खण्ड-174, अंक-6
गुरूवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1878
(26 जुलाई, 1956 ई0)

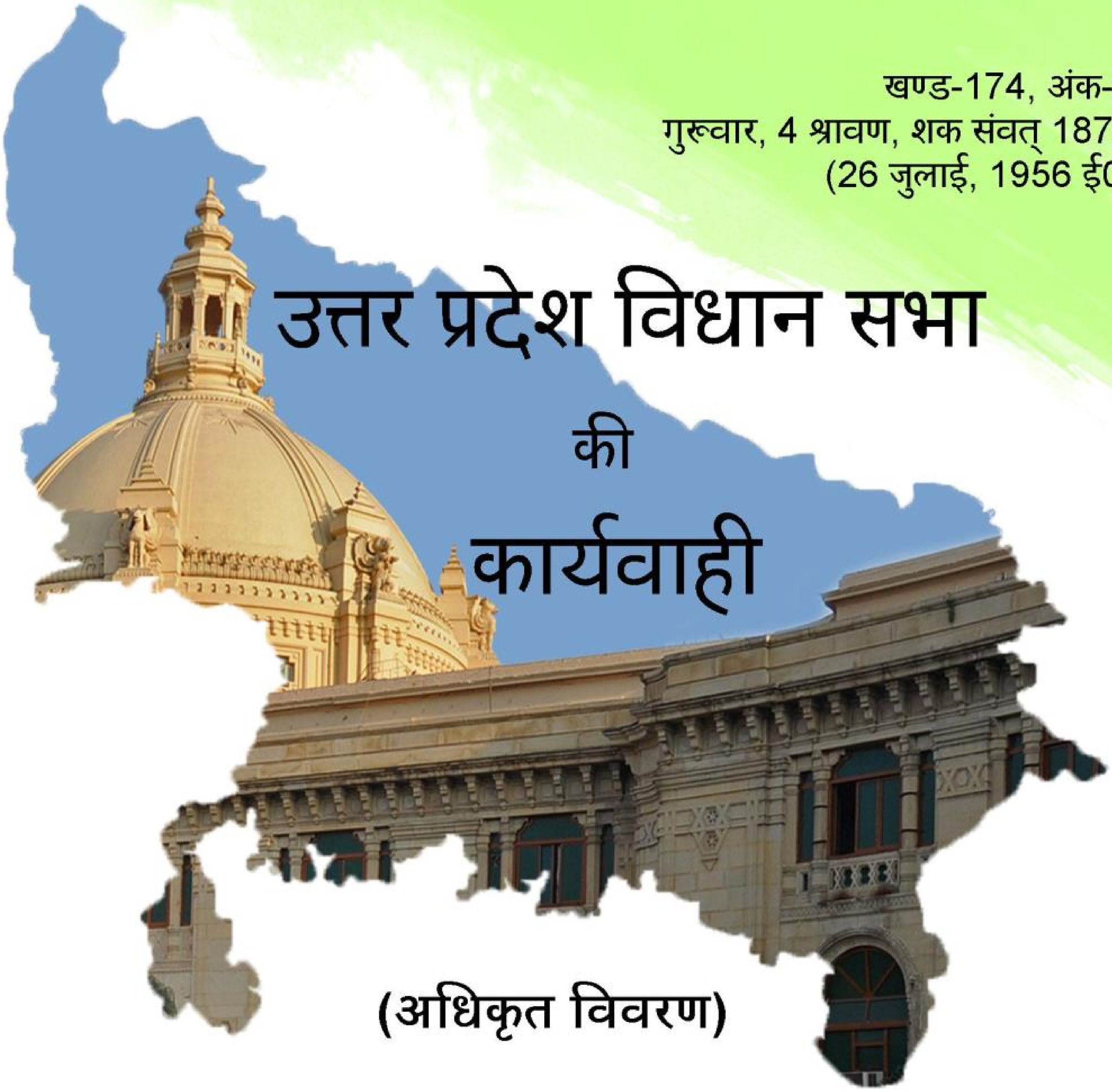

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री

जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री

महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री

वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ जुलाई, १९५६

तारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले की चौगढ़ पट्टी में नरभक्षी शेर का आतंक

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि नैनीताल जिले की चौगढ़ पट्टी नामक स्थान में एक आदमखोर के कारण जनता में बड़ा आतंक फैला हुआ है? यदि हां, तो उसने जनता की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—प्रश्न में कही गई स्थिति कुछ समय पहले की है। गत १६ अप्रैल के बाद कोई व्यक्ति शेर द्वारा नहीं मारा गया। शेर को मारने के लिये

४०० रुपया का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा अन्य प्रबन्ध भी किये गये थे। फलस्वरूप ४ मई, १९५६ से ३ जून, १९५६ तक पांच शेर मारे जा चुके हैं। अनुमान है कि इन्हीं शेरों में से एक या अधिक के द्वारा उस हल्के में उत्पात हो रहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि नैनीताल जिले की चौगढ़ पट्टी में और उसके आस-पास आदमखोर शेर द्वारा कितने व्यक्ति पिछले वर्ष मारे गये या घायल किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुलाई-अगस्त के महीने में दो आदमियों की जान गई और २८ अक्तूबर को एक और आदमी मारा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने इस क्षेत्र में जंगली जानवरों को मारने या आदमखोर जानवरों को मारने के हेतु मुस्तकिल शिकारी नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो यह उनके द्वारा आदमखोर शेर मारा गया या किन्हीं और व्यक्तियों के द्वारा मारा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ये शेर उनके हाथों से तो नहीं मारे गये और लोगों के हाथों से मारे गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस चौगढ़ पट्टी और उसके आस-पास के जंगली पर्वतीय क्षेत्र में जिन कार्बेट साहब के जमाने से जब कि उन्होंने मैन ईटर्स आफ कुमायूं नाम की पुस्तक लिखी, तबसे लेकर अब तक निरन्तर कुछ न कुछ आदमखोर शेरों की कार्यवाही की खबर आती रहती है, तो क्या सरकार कोई ऐसे नियम बनाने की कृपा करेगी कि जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस अधिक मिल सकें और जानमाल की रक्षा के लिये कोई शिकारी मुस्तकिल रूप से वहां नियुक्त हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य को मालूम होगा कि एक शिकारी तो स्थायी रूप से है और इसके अलावा जहां तक मुझे सूचना है हाल में जब से इस मर्दुमखोर शेर की तरफ से उत्पात होना शुरू हुआ तब से वहां पर काफी उदारता के साथ लोगों को हथियार दिये गये हैं।

जिलों में डिप्टी सुपरिंटेन्डेंट पुलिस (भ्रष्टाचार) की नयुक्तियां

*२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भ्रष्टाचार रोकने के कितने जिलों में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की नियुक्तियां हुई हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, और जौनपुर जिलों को छोड़कर प्रदेश के सब जिलों में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (भ्रष्टाचार) की नियुक्तियां हो चुकी हैं। पर्वतीय जिलों में से प्रत्येक को अलग से एक-एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (भ्रष्टाचार) नहीं दिया गया है। अतः अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों के कार्य की देखभाल क्रमशः नैनीताल, बिजनौर और देहरादून जिलों के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (भ्रष्टाचार) करते हैं। जौनपुर जिले में एक अफसर शीघ्र ही नियुक्त किया जायगा।

*३---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पदों पर किस-किस ओहदे के लोग रक्खे गये हैं और उनके स्थानों में से कितने की पूर्ति हो चुकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उक्त पदों पर इन्सपैक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के ओहदे के लोग रक्खे गये हैं और उनके रिक्त स्थानों में से सबकी पूर्ति हो चुकी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नियुक्तियां स्थायी हुई हैं अथवा अस्थायी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह जो नियुक्तियां हैं यह तो सब अस्थायी होती हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो रखे गये हैं ये जिले के सुपरिंटेंडेंट के, आई० जी० पुलिस के या किस के मातहत हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस संबंध में तो कई बार कहा जा चुका है कि आई० जी० पुलिस के मातहत तो यह सभी लोग हैं, लेकिन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के लिये एक स्पेशल डी० आई० जी० भी रखे गये हैं और स्थानीय जिलों में वे अपने सुपरिंटेंडेंटों के मातहत रहकर काम करेंगे।

पुलिस विभाग में सर्किल इन्स्पेक्टरों के स्थान पर सब-डिप्टियों की नियुक्ति के संबंध में पूछताछ

*४---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---(अनुपस्थित) क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेश के पुलिस विभाग में सर्किल इंस्पेक्टरों के पद समाप्त करके उसके स्थान पर सब-डिप्टियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उपर्युक्त सब-डिप्टियों की नियुक्तियां किस आधार पर हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस तरह का प्रस्ताव आंशिक रूप से सरकार के विचाराधीन है।

*५---श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सर्किल इंस्पेक्टर का पद आर्थिक बचत के ही कारण समाप्त करना निश्चय हुआ था ? यदि हां, तो इस नवीन प्रणाली के कारण प्रतिवर्ष कितनी बचत का अनुमान है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

*६---श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस और थानेदार के बीच ये सब-डिप्टी अधिकतर सर्किल इंस्पेक्टरों से ही लिये गये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में हाकिम परगना के स्थान पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर आपत्ति

*७---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाकिम परगना के स्थान पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल घोसी तहसील में ?

*८---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक इन तहसीलों के लिये हाकिम परगना स्थायी रूप से क्यों नहीं नियुक्त किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्योंकि जुडिशियल अफसर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रीरियल और प्रथम श्रेणी के माल के अधिकारों का प्रयोग करते हैं उनको कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर और लैन्ड-रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत परगने का हाकिम नियुक्त किया जा सकता है। अतएव

यदि जिलाधीश किसी विशेष जुडिशियल अफसर को उस पद के लिये उपयुक्त समझता है तो उस अफसर के प्रशासकीय विभाग में काम करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अतः परगना हाकिमों का स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि घोसी तहसील में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट परगना हाकिम बनाये गये हैं वह कन्फर्म हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनकी बाबत व्यक्तिगत रूप से इस वक्त तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

इलाहाबाद में मध्यम श्रेणी के लिए बनवाये गये मकान

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो मकान सरकार ने मध्यम श्रेणी के लिये बनवाये हैं उनमें से कितने मकान किराये पर उठ गये और कितने मकान अभी खाली हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—इलाहाबाद में जो मकान सरकार ने मध्यम श्रेणी के लिए बनवाये हैं वह सभी किराये पर उठ गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि वहां कितने मकान बनवाये गये और कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री धर्मसिंह—इस वक्त तक वहां पर २० मकान बनाये गये हैं। कितने प्रार्थना-पत्र उनके लिए आये इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों को मकान दिये गये वह सरकारी नौकर थे या बाहर के लोगों को दिये गये ?

श्री धर्मसिंह—उनमें से कुछ सरकारी नौकर थे और कुछ बाहर के लोग भी थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किराये पर दिये जाने हेतु मध्यम श्रेणी की परिभाषा सरकार ने क्या नियत की है ?

श्री धर्मसिंह—जिन लोगों की आमदनी कम से कम सौ रुपया और अधिक से अधिक ५०० रुपया थी उनको मध्यम श्रेणी में रखा गया था, इलाहाबाद के मकान उठाने के पहले।

कुम्भ दुर्घटना, इलाहाबाद में लावारिश मृतकों का सामान

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में हुई कुम्भ दुर्घटना में मरे हुये लावारिश आदमियों का कितना सामान सरकारी खजाने में जमा हुआ था और कितना इस समय जमा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—१,६१७ रु० १० आ० और ६ पाई नकद और ७,४६० रु० का सामान जमा हुआ था। इस समय ८,९१७ रु० १० आना ६ पाई जमा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद के नागरिकों ने यादगार बनाने के लिये कोई मेमोरेंडम भेजा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना मुझको नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुम्भ दुर्घटना में कितने आदमी ऐसे मरे जिनको सरकार लावारिश समझती है ?

श्री अध्यक्ष—सरकार की राय आप पूछ रहे हैं, मैं राय पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने आदमियों की मृत्यु हुई जो लावारिश थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया अभी तक बंटा नहीं है जिनको सरकार लावारिश समझती है तो उस रुपये के सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार इंतजार करेगी और जो हकदार होगा उसको सरकार रुपया देगी नहीं तो रुपया सरकारी खजाने में पड़ा रहेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार उस रुपये से जिनकी मृत्यु हुई है, यादगार बनाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा कोई विचार नहीं है।

नैनी जेल का प्रेस

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी जेल में कोई प्रेस है ? यदि हां, तो उस प्रेस से कहां का काम लिया जाता है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस समय नैनी जेल में कोई प्रेस नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि नैनी जेल में जो एक प्रेस चल रहा था वह हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—अर्सा हुआ वहां एक जेल था, ३९ में हटाया गया है। उसमें एक कमेटी बैठी थी उद्योग विभाग की तरफ से, उसकी सिफारिश पर हटाया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या जेल हटा दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं प्रेस, मैं गल्ती से जेल कह गया, माफ कीजिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रेस किस जेल में रखा गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—किसी दूसरी जेल में नहीं गया।

टिकरी फारेस्ट रेंज में रामबरन डाकू का आंतक

*१२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि नवाबगंज और वजीरगंज तथा मनकापुर के थाना के क्षेत्र में कितनी डकैतियां और कत्ल मई और जून सन् १९५६ में हुई हैं और किन-किन स्थानों पर हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डकैती कोई नहीं हुई। जून सन् १९५६ में कत्ल भी कोई नहीं हुआ। मई में वजीरगंज थाने के क्षेत्र में दो कत्ल हुये, एक ग्राम कादीपुर तथा दूसरा टिकरी फारेस्ट में। उसी महीने में मनकापुर थाने के विद्यानगर ग्राम में भी एक कत्ल हुआ किन्तु नवाबगंज थाने में कत्ल की कोई घटना नहीं हुई।

*१३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टिकरी फारेस्ट रेन्ज में कुछ बाहरी डाकुओं का अड्डा है जिन्होंने किसी ठेकेदार को गोली से मार दिया है ? क्या सरकार पूरा विवरण मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---डाकुओं का कोई अड्डा नहीं है। ठेकेदार की हत्या से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिकरी रेंज में रामबरन नाम का डाकू है, वह कितने दिनों से वहां ठहरा हुआ है और उसने आस-पास कितने कत्ल और डकैतियां की हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो इत्तिला नहीं है कि कितने दिनों से ठहरा हुआ है। जब यह मालूम हो जायगा तो उसको पकड़ने की कोशिश की जायगी।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ईश्वर सरन जो रामबरन की गोली से मरा ९ बजे रात को उसको उपचार के लिये नजदीक के अस्पताल में न ले जाकर फैजाबाद अस्पताल में क्यों ले जाया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिकरी रेंज में अब तक कितनी पुलिस गार्ड रामबरन की गिरफ्तारी के सिलसिले में लगी हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सूचना कि कितनी पुलिस किस की गिरफ्तारी में लगी हुई है यह बताना मैं जनहित में मुनासिब नहीं समझता हूं।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक रामबरन ने कितने कत्ल और डकैतियां गोंडा और बस्ती जिले में की हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि रामबरन का आतंक टिकरी जंगल के निकट इस कदर छाया हुआ है कि आज तक करीब एक दर्जन आदमियों को वह मार चुका है और ६ डकैतियां डाल चुका है?

श्री जगनप्रसाद रावत---आतंक जरूर है और उसके मिटाने की कोशिश की जा रही है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रामबरन डकैत के पास बस्ती और गोंडा के कुछ हथियार रखने वालों के हथियार भी हैं? अगर यह जानकारी है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह जानकारी तो नहीं है कि किन-किन लोगों के हथियार उसके पास हैं। यह जानकारी हो जायगी तब तो हम उसको पकड़ ही लेंगे।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामबरन डाकू ने टिकरी रेंज के ठेकेदारों से कितना रुपया वसूल किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री बलदेव सिंह---रामबरन का जो आतंक फैला हुआ है और उसके पास जो तमाम प्रकार के असलहा, बन्दूक और रिवाल्वर वगैरह हैं, तो उस आतंक को मिटाने के लिये क्या सरकार उस जंगल के निकट के लोगों को अधिक लायसेन्स देने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---आतंक का कारण और रामबरन डाकू की बढ़ती का कारण कुछ सफेद पोश भी हैं। वे भी हमारी निगाह में हैं।

*१४-१६--श्री उमाशंकर--[२३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर और बरेली में बिजली के डी० सी० कनेक्शन्स को ए० सी० में बदलना

*१७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर और बरेली में बिजली कम्पनियां इन नगरों के डी० सी० के उप-भोक्ताओं के कनेक्शन ए० सी० में बदल रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी हां। बरेली में यदि कोई डी० सी० से ए० सी० कनेक्शन में बदलने की स्वयं मांग करता है तो उसको ए० सी० कनेक्शन दे दिया जाता है। सहारनपुर में रानीबाजार, हरनाथपुर, कटेहरा, कमबोहान मुफती और झोटीवाला के मोहल्लों के आसपास तथा पुरानी मंडी व खालापार के क्षेत्रों में डी० सी० से ए० सी० कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

*१८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं के नये कनेक्शन बदलने के पहले उनकी स्वीकृति ले ली गई थी और क्या कम्पनी ऐसे उपभोक्ताओं को मुआविजा देगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बरेली के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता। सहारनपुर में कनेक्शन के बदलने के पहले उपभोक्ताओं की स्वीकृति ले ली जाती है और कम्पनी उनको मुआवजा देती है।

झांसी जेल में फांसी के समय सिविल सर्जन की मौजूदगी

*१९--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि झांसी में सन् १९५५ से १९५६ तक ऐसी कितनी फांसी हुईं जिसमें कि सिविल सर्जन मौजूद नहीं थे? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५५-५६ में झांसी जेल के अन्दर तीन व्यक्तियों को फांसी दी गई और इन फांसियों के समय या तो सिविल सर्जन या सिविल सर्जन इन्चार्ज मौजूद थे।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने आदमियों को राजनैतिक पीड़ित पेंशन दी जाती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१०५ को।

गोंडा जिले के थाने और चौकियां

२--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने थाने और कितनी चौकियां हैं और किन-किन स्थानों पर हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोंडा जिले में १७ थाने और १३ चौकियां हैं, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:—

थाने	चौकियां
१—कोतवाली	१—लकड़मंडी (Rural Outpost)
२—चपिया	२—पांडे बाजार
३—माकापुर	३—महराजगंज
४—उतरौला	४—बरगांव
५—ललिया	५—सिविल लाइन
६—तुल्सीपुर	६—कर्नलगंज
७—पचपरवा	७—लकड़मंडी (Watch & Ward Outpost)
८—बलरामपुर	८—पुरानिया तालाब
९—कर्नलगंज	९—मेवालाल तालाब
१०—धानपुर	१०—बलवा
११—इन्टिया थोक	११—भगवतीगंज
१२—कोरिया	१२—कटरा
१३—नवाबगंज	१३—खरगूपुर
१४—तराबगंज	
१५—बजीरगंज	
१६—सादुल्लानगर	
१७—परसपुर	

थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर में पुलिस अत्याचार के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी का एक कामरोको प्रस्ताव थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर के सम्बन्ध में है। उस समय जो प्रस्ताव मैंने उनके पास वापस किया था और उन्हें कहा था कि वह कृपा करके नियमानुसार प्रस्ताव भेज दें, क्योंकि वह अनियमित था, उसे फिर से उन्होंने संशोधन करके भेजा है। ७९ नम्बर का नियम जो है उसका तीसरा भाग इस प्रकार है :

"It shall not contain arguments, inferences, ironical experssions, imputations or defamatory statements."

माननीय राजनारायण जी ने अपने प्रस्ताव को दुरुस्त तो किया, लेकिन चूंकि इसमें भी इम्प्यूटेशन्स मौजूद हैं और इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों के ऊपर भी हैं, इसलिये मैं इसको अनुचित समझता हूं कि इस प्रस्ताव के लिए मैं अनुमति दूं और इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, अवैध करार देता हूं।

बनारसी में हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन के सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का यह है कि क्योंकि १० जून, सन् १९५६ ई० को हरिजन मन्दिर प्रवेश सत्याग्रहियों के साथ बनारस में जो गैरकानूनी, अवैधानिक व बर्बर कार्यवाहियां हुई हैं। उसने बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा कर दी है।

[श्री अध्यक्ष]

अतः सदन सरकारी कर्मचारियों द्वारा उक्त बर्ती गई अनुचित, अवैधानिक तथा गैरकानूनी कार्यवाहियों पर जनहित की दृष्टि से विचार करने के लिये आज अपना कार्य-स्थगित करता है।" इसके सिलसिले में जो घटनायें हुई हैं उनका ब्योरा भी उन्होंने मेरे पास भेजा दिया है और जो उन्होंने शायद किसी अखबार में वक्तव्य दिया था वह भी भेजा है। मैं जानना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि इसके सम्बन्ध में यानी घटना के सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रकाश यदि वह डाल दें तब मैं इसका निर्णय दे सकता हूं कि यह लिया जाय या न लिया जाय।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो मालूम नहीं कि माननीय राजनारायण जी ने आपके पास उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में क्या ब्योरा दिया है, उसकी बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव की भूमिका में जो लिखा गया है और इसके जो शब्द हैं उनके आधार पर कुछ अनुमान करता हूं। मुझे इसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें निवेदन करनी हैं। जहां तक बर्बर कार्यवाहियों की बात है मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वह मेरे सामने नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि कोई बर्बर कार्यवाही किसी किस्म की हुई। बाकी अवैधानिक और गैरकानूनी बात के बारे में मुझे यह जरूर निवेदन करना है कि मैं इसके पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूं कि यह जो मन्दिर प्रवेश की बात है इसके सम्बन्ध में बनारस में एक मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे में मुंसिफ बनारस की ओर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनारस, सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस बनारस, सिटी मैजिस्ट्रेट बनारस और डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट, बनारस इन सब लोगों को एक इंजेक्शन है कि मन्दिर प्रवेश के मामले में आप कोई कार्यवाही न करें और यही आफिसर्स हैं जिनके जरिये कोई सरकारी आदेश , कोई भी कानून लागू कराया जा सकता है। तो ऐसी हालत में अगर उस किस्म की कोई भी कार्यवाही करें, उस कार्यवाही की बाबत मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जिससे कोई कार्यवाही मन्दिर प्रवेश के मामले में होती तो मुंसिफ का इंजेक्शन मौजूद है और वह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जाय। इसके साथ ही अगर यहां बहस होती है कि वह खास किस्म की कार्यवाही करनी चाहिये या न करनी चाहिये तो उन सब बातों का जिक्र होगा कि जो विधान के अन्दर कानूनी थीं या गैरकानूनी थीं। मुश्किल यह है कि पिछली इक्कीस तारीख को मुंसिफ का फैसला होना था और हम आशा करते थे कि इस ओर किसी किस्म का फैसला हो तो ऐसा नहीं हो, लेकिन इक्कीस तारीख के बजाय अब तीस तारीख डाल दी गई है। और जब तक वह फैसला नहीं हो जाता तब तक सरकारी अहलकारान के हाथ बंधे हुये हैं और वे भी मजबूर हैं और गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है इस मामले में।

एक बात तो यह है और दूसरी बात एक और निवेदन करना चाहता हूं जिसकी वजह से इस कामरोको प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता। जैसा कि नियम है कामरोको प्रस्ताव का कि जो मामला यहां पर आने वाला हो उसको एंटीसिपेट नहीं करना चाहिये। आप देखेंगे कि हमने कल ही एक कानून यहां पुरःस्थापित किया है। हमारा ऐसा ख्याल है कि यह जो मन्दिर प्रवेश की जिच चली आ रही है उसको किसी न किसी प्रकार समाप्त करना है और इसी उद्देश्य से हमने उस कानून का मसविदा बनाया है जिससे हम समझते हैं कि वह जिच दूर हो जायगी। मुझे आशा है कि तीन चार दिन में उस पर बहस होगी तो उस वक्त सारा मामला आ जायगा। लेकिन अगर इस पर बहस होगा तो वह एंटीसिपेट करेगा उन सारी बहसों को जो दो चार दिन में यहां होने वाली है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी, जो बातें इसके उपस्थित करने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताईं उस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जी हां, श्रीमन्। मैंने जो कामरोको प्रस्ताव आपकी सेवा में दिया था आपने उसको पढ़ कर सदन को सुनाया। उसका जो विवरण था मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ मिल गया है जिसको कि आपने इस सदन में पढ़ा नहीं है और उसी आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बयान भी दे दिया। यह ठीक है कि मैंने पूरा विवरण ही उसमें दे दिया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका अन्तिम पोर्शन ही पढ़ा और वह सारा नहीं पढ़ा। तो मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो तर्क है वह तर्क स्वतः विधान की सीमा के बाहर है और वह गैर कानूनी और अवैधानिक है। श्रीमन्, पहली जून, १९५५ से अनटचेबिलिटी (आफेन्सेज) ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का लागू है, इस समय वह ऐक्ट हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिये लिखा है और वह भेज रहे हैं। आप उसकी १६वीं धारा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह स्पष्ट कहती है कि इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद कोई भी कोर्ट, कोई भी अधिकारी, कोई भी अदालत न किसी मुकदमे को ला सकती है और न पुराने चलते हुए मुकदमे को चला सकती है और किसी भी आदमी को कोई भी अधिकारी या अदालत मन्दिर प्रवेश से रोक नहीं सकती। तो जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट इतना स्पष्ट है, मैं चाहता हूं कि उसको मंगा कर उसकी भाषा भी यहां पढ़ दी जाय, तो मैं समझ नहीं सकता कि किसी भी लोअर कोर्ट की अधिकार-सीमा में यह बात कहां से आती है कि वह इंजेक्शन आर्डर निकाले और मैं श्रीमन्, आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि देखा जाय तो साधारण तरीके से जो यहां पर प्रैक्टिसिंग लायर्स होंगे वे जानते होंगे कि इंजेक्शन आर्डर का फैसला तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिये। यह प्रैक्टिस है और नियम है। मगर यह बनारस कोर्ट में, जिस कोर्ट की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है उसमें इंटेरिम इंजेक्शन आर्डर....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कोर्ट के फैसले के ऊपर तो आप टीका नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---फैसले पर टीका नहीं कर रहा हूं, केवल जो नियम है उस पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप यह कह सकते हैं कि तीन महीने के बाद भी इंजेक्शन जारी है, लेकिन कोर्ट का आर्डर गलत है आप नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण---आर्डर को मैं बता दूं कि यह १९-४-५४ को जारी हुआ और उसको बैकेट करने की अप्लीकेशन हमने ३-५-५४ को दी। अब ३-५-५४ से आज २६-७-५६ है। मैं समझता हूं कि दो बरस कई महीने हो गये। तो दो बरस कई महीने किसी कोर्ट में इंटेरिम इंजेक्शन चलता रहे, मैं समझता हूं कि यह हर तरह के कानून और हर तरह के विधान की अवहेलना है और श्रीमन् आप मुझे क्षमा करेंगे...

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे कह रहा हूं कि यह आक्षेप जो है वह आप कोर्ट के फैसले पर कर रहे हैं। यह बात आपके भाषण में नहीं आनी चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि दो बरस कई महीने हो गये मैं इस वक्त विधान को और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो ऐक्ट है उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं और जितने विशेषज्ञ कानून के हैं, जिनसे मैंने सलाह ली है उन सबका कहना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इस ऐक्ट के बाद कोई इंजेक्शन नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष---अब तो आपने फैक्ट्स बता दिये।

श्री राजनारायण---अब फैक्ट्स बता दूं। इस ऐक्ट को लेते हुए वहां पर हरिजन मन्दिर प्रवेश के लिये जाते हैं। आप जानते हैं और इस सदन में कई बार यह मामला

[श्री राजनारायण]

उठ चुका है कि वहां बराबर इस सरकार की पुलिस हम लोगों पर डंडे बरसाती है। मैं जानता हूं कि कोर्ट की मर्यादा क्या है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कई बार पत्र भी लिखे हैं। कोर्ट की मर्यादा की सुरक्षा मैं भी चाहता हूं, इस आदरणीय सदन की मर्यादा की सुरक्षा हम सारे सदस्य चाहते हैं और अगर कोई नहीं चाहता तो मेरी यह ख्वाहिश है कि वह चाहें। तो वहां पर अगर हम कोर्ट की मर्यादा को तोड़ते हैं तो कोर्ट खुद इतना कांपीटेंट है कि वह हमारे ऊपर मुकदमा चला सकती है। तो अगर वह आर्डर वैलिड है और उसको हम तोड़ते हैं तो कोर्ट हमारे ऊपर मुकदमा चलाये। हम स्वतः इसके लिये भुक्त-भोगी होंगे और जो दंड मिलेगा बरदाश्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप थोड़ा-सा रेलेवेंसी से बाहर चले गये हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारी सीमा बहुत है। वस्तु स्थिति को सामने होने देने में आप थोड़ी सी मदद कर दें तो बड़ा अच्छा हो। मैं सचाई को ही सामने रख रहा हूं।

तो श्रीमन् मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा था कि जब मैं स्वयं सत्याग्रही हूं और गांधी जी ने जब इतने दिनों तक इस सत्याग्रह के एक विषय को प्रतिपादित किया और उन्होंने जो तरीका बतलाया वह यह कि सत्याग्रही को स्वतः कष्ट उठाने के लिये अपने को तैयार करना चाहिये। तो यदि हम नियम को तोड़ेंगे तो इसमें यह सन्निहित है कि जो मुसीबत आयेगी उसको हम झेलेंगे। अगर हम कोर्ट की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट हमारे ऊपर मुकदमा चलाये। मगर मैं श्रीमन्, सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस को यह कहां से अधिकार मिल गया कि वह हमारे ऊपर डंडे चलाये, हमारी दाढ़ी के बाल खींचे और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करे। यह श्रीमन्, १० जून की घटना है....

श्री अध्यक्ष--आप अभी घटना के बारे बहस नहीं कर सकते। केवल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आक्षेप उठाया है उसका जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि यह अवैध है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी भी विधान, नियम और कानून के अन्दर हरिजन मन्दिर प्रवेश निषिद्ध नहीं है और कोई भी आदेश और कोर्ट का आर्डर हमारे उस अधिकार में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। इसलिये हम उस अधिकार को पूर्ण करने के लिये जाते हैं। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कोर्ट के खिलाफ है तो हम समझते हैं कि यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कुछ सलाहकारों से सलाह की होगी और उन्होंने सेन्ट्रल कानून का अध्ययन भी किया होगा, किन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने उस सेन्ट्रल कानून का अध्ययन नहीं किया है, इसी कारण भ्रमवशात् वह ऐसी बात कह रहे हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि...

श्री अध्यक्ष--उनसे निवेदन करने का यह प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमन्, सेन्ट्रल कानून को देखें। उस कानून के अधिकारों की मर्यादाओं की रक्षा करने की आप कृपा करें। मैं आपकी जानकारी के लिये ...

श्री अध्यक्ष--इसके बाद आप अपनी बात रखिये।

श्री राजनारायण--मैं अभी यहां पर बैठा हुआ था तो एक डाक्टर लोहिया का प्रेस बयान इस हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन के सिलसिले में आया....

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न को पहले उठाया जा चुका है लेकिन कल मुझे उसकी सूचना मिली थी। यह सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सलाह से परिचित है फिर भी यह उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर अवैध कार्य कर रही है....

श्री अध्यक्ष--यह असंगत-सा हो रहा है। आप उसी अपनी 'अण्टीसिपेशन' वाली बात पर आइये।

श्री राजनारायण--मैं अब उसी अन्टीसिपेट वाली बात पर आ रहा हूं। श्रीमन्, अब यह देखा जाय कि यह जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत हो रहा है यह कोई नया विधेयक नहीं है। इससे पहले यहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट पास हुआ है कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि किसी विषय में हमारा यह डिस्कशन अन्टीसिपेट करता हो कि यह सरकार कोई नयी चीज रखने वाली है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १९५५ के १ जून से ऐक्ट बना कर किसी हरिजन के मन्दिर प्रवेश रोकने को अपराध माना है। जो उनको मन्दिर प्रवेश से रोकेगा उसको ६ महीने की सजा मिलेगी और ५०० रुपये तक उस पर जुर्माना हो सकता है। इसके पूर्व अनटचेबिलिटी रिमूवल ऐक्ट इस प्रदेश की सरकार ने बनाया था। तो यह कोई नया विषय नहीं रहा जिसको अन्टीसिपेट किया जा सके इसके पूर्व ही यह कानून आ चुका है।

अब आप देखिये कि हमारा भी कामरोको प्रस्ताव आज का नहीं है। १६ तारीख का है। हमारे मोशन पर सरकार विवाद करना पसन्द नहीं करती और इसी वजह से यह विधेयक लाकर यहां पर उपस्थित कर दिया। हमारे डिस्कशन को रोकने के लिये इस हकूमत ने यह प्रस्तुत कर दिया। तो सरकार की गतिविधि से हमको बहुत जानकारी है। मैं इतना मानता हूं कि सरकार की जो गतिविधि इस सदन में चल रही है श्रीमन्, उससे आप भी सन्तुष्ट नहीं हैं।.....

श्री अध्यक्ष--यह ठीक हो या न हो आप अपने विषय पर कायम रहिये।

श्री राजनारायण--वह कह सकते हैं कि हम ऐन्टीसिपेट कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ऐन्टीसिपेट करने की बात कहां से आई। कल यह प्रस्तुत हुआ है। इससे बहस होगी या नहीं, यह कहीं चर्चा नहीं है। सरकार बहस पसन्द नहीं करती है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत प्रतिक्रियावादी भी है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि ऐन्टीसिपेट करता है इस घटना पर विवाद विधेयक की बातों को या नहीं। आपने जवाब दे दिया है, अब आप कृपा कर बैठ जावें।

(श्री राजनारायण बैठ गये)

प्रस्ताव इस प्रकार का है कि वह मन्दिर प्रवेश करने के लिये सत्याग्रही के नाते गये तब उनके ऊपर पुलिस ने जो कार्यवाही की वह अवैधानिक और अनुचित थी, यह प्रस्ताव में आक्षेप है और उससे जो परिस्थिति पैदा हो गई उस पर विचार करने के लिये काम रोको प्रस्ताव आया है। मैंने इसलिये जानकारी हासिल की कि उसमें निश्चितता हो जाय कि किस विषय पर विचार करने के लिये माननीय राजनारायण जी ने प्रस्ताव में कहा है। जहां तक मुख्य मंत्री जी ने विधेयक के सिलसिले में कहा है कि विधेयक सामने आ रहा है और इसलिये

[श्री अध्यक्ष]

यह प्रस्ताव बहस को ऐन्टीसिपेट करता है, मैं समझता हूं कि एक घटना के ऊपर विचार करने के लिये राजनारायण जी ने कहा है। वह घटना उस विधेयक में नहीं आ सकती है। इसलिये ऐन्टीसिपेशन का कोई प्रश्न नहीं है। अगर इस चर्चा के लिये यह काम रोको प्रस्ताव आया होता कि जो मन्दिर प्रवेश वहां होना चाहिए उस पर चर्चा की जाय तो 'ऐन्टीसिपेशन' का प्रश्न उठ सकता था और उसके ऊपर जवाब भी राजनारायण जी दे सकते थे लेकिन चूंकि घटना से विधेयक के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये ऐन्टीसिपेशन का प्रश्न मूलतः नहीं उठता है।

दूसरी बात यह जानकारी मालूम हुई कि वहां कोई इन्जेन्कशन कोर्ट की तरफ से हुआ है। इन्जेन्कशन के वैध या अवैध करार देने का अधिकार हाई कोर्ट को हो सकता है। यह सदन इस पर विचार नहीं कर सकता कि कानून में फलां चीज दी हुई है, इसके विपरीत किसी कोर्ट ने या हाई कोर्ट के मातहत किसी कोर्ट ने यह वैध या अवैध किया। कोर्ट की आज्ञा की अपील के लिये हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। जब तक किसी अदालत का हुक्म कायम रहता है तब तक उससे हर सरकारी अफसर वाध्य है। मैं समझता हूं कि तब तक उससे आम जनता भी वाध्य है। उसके बारे में, मेरी दृष्टि से कोई दो राय अभी तक नहीं बताई गई है। यदि ऐसा न हो तो यह सिद्धान्त कि अदालतें स्वतन्त्र हैं और उनका फैसला सब को मानना चाहिये, खत्म हो जाता है। सत्याग्रह का सिद्धान्त बिल्कुल उससे अलग और आगे है। कानून से उससे विशेष संबंध नहीं है। उसमें नैतिकता के आधार पर निश्चय होते हैं। इसलिये उसमें यह सिद्धान्त होता है कि हम कानून वह अनैतिक होने के कारण तोड़ेंगे, यही कहा जायगा। हुकुम चाहे जज का या सरकार का या किसी का भी दुनिया में हो उसके विपरीत कार्य करने का अधिकार नैतिक दृष्टि से सत्याग्रही मान लेता है और वह सिद्धान्त अलग है, लेकिन कानून के दायरे में वह सिद्धान्त नहीं आता है। तो उससे तो माननीय राजनारायण जी सत्याग्रही के नाते वाध्य हो सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या इन्जेन्क्शन के दायरे में ही यह घटना हुई है या पुलिस द्वारा हस्तक्षेप इन्जेन्कशन के मातहत नहीं किया गया बल्कि अन्य परिस्थिति के कारण हुआ। प्रस्ताव में तो घटना के विषय में यह कहा गया है कि सत्याग्रहियों के ऊपर हमला किया या किसी ने माननीय सदस्य की दाढ़ी खींची---ऐसी घटना बताई गई और मेरे पास एक अखबार भेजा गया जिसमें श्री राजनारायण जी ने वक्तव्य दिया है और उसमें घटना यह बताई गई है कि मन्दिर प्रवेश करने वालों में तथा जो नहीं करने देना चाहते थे उनमें लड़ाई सी होने लगी और उस के बाद पुलिस का हस्तक्षेप हुआ, हालांकि यह प्रश्न यहां पर किसी ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो इत्तला है उससे मेरा ख्याल है कि केवल बलवे या झगड़े को रोकने के लिए ही कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा हुई जिसको राजनारायण जी सदन के सामने लाना चाहते हैं, यद्यपि जो तर्क उन्होंने दिया उसमें उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया लेकिन जो कुछ मेरे पास कागजात आये हैं उन सब के पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है और मैं समझता हूं कि चूंकि यह पुलिस हस्तक्षेप केवल एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और इससे गवर्नमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता, इसलिए भी मैं इसको अवैध करार देता हूं।

कुमायूं में भौमिक अभिलेख और सर्वेक्षण क्रियाओं की असंगतता तथा अव्यावहारिकता के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---तीसरा काम रोको प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी का है कि यह सदन समस्त कुमायूं डिवीजन में असंगत एवं अव्यावहारिक नियमों के आधार पर चल रहे भौमिक अभिलेख तथा सर्वेक्षण क्रियाओं (लैण्ड रिकार्ड्स ऐंड सर्वे आपरेशन्स) तथा परिणाम

स्वरूप टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिलों के सहस्त्रों किसानों में बढ़ती हुई बेचैनी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिए अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

मैंने इस पर काफी गौर किया और श्री नारायणदत्त जी इसका अर्थ समझाने के लिए मेरे पास आये भी थे, वह महत्व का विषय तो अवश्य है, इसलिए उस पर सरकार से डिवेट मांग सकते हैं, लेकिन यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक निश्चित विषय नहीं है, हर जगह अलग-अलग तरह से आपरेशन्स का कार्य होता है तो उसमें अनेक विषय सम्मिलित होंगे, इसलिए यह एक निश्चित विषय नहीं है और इसकी अर्जेन्सी नहीं है कि तत्काल इस पर विचार किया जाय। इसलिए इसको मैं अवैध करार देता हूं।

वाराणसी जिले में सूखा और अनावृष्टि के कारण निर्दयतापूर्वक तकावी वसूली के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—चौथा काम रोको प्रस्ताव है श्री राजनारायण जी का कि "बनारस जिले में अनावृष्टि से सूखा पड़ा हुआ है, पशुओं के लिए चारे का बड़ा अभाव है, पेड़ों की पत्तियां खाकर पशु जिन्दा हैं। इसी सूखे की परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी बड़ी बेरहमी के साथ सरकारी देय तथा तकावी में बांटी गई रकम की वसूली कर रहे हैं। किसानों के घर के सामने बैल आदि कुर्क किये जाते हैं, जिस बर्बर तथा जालिमाना ढंग पर तकावी की वसूली की जा रही है उसने बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। अतः यह सदन उपर्युक्त परिस्थिति पर विवाद करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।

इसके साथ ही उन्होंने अपनी जांच के सम्बन्ध में भी मुझे लिखा है। २३ तारीख को वह बनारस गये थे और उनसे वहां के कार्यकर्ताओं ने यह बातें कहीं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने इसकी सूचना माननीय माल मंत्री को भी दी, यानी ता० २४ को दी होगी और आज है २६ जुलाई, मैं समझता हूं कि यह सरकार इसकी जांच कराके निश्चय करे कि यह निश्चित विषय है या नहीं तो उसके लिए २ रोज का यह समय ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर कोई बहस अब हो सकती हो और फिर आमतौर पर जो उनको मालूमात हुई या जो उन्होंने सुना वह भी कुछ अनिश्चित सी बात है उसके ऊपर ही उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको भी निश्चित न होने के कारण मैं अवैध करार देता हूं।

श्री राजनारायण—मैं कुछ सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यदि इन २ रोज में कुछ जानकारी कर सके हों तो माननीय माल मंत्री बता दें, इतनी मैं इस वक्त उन्हें इजाजत दे सकता हूं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया कि यह काम रोको प्रस्ताव जो राजनारायण जी ने आपको दिया है वह अनिश्चित था, तो बिल्कुल इसी प्रकार का एक अनिश्चित पत्र अनिश्चित इबारत का मुझको मिला था जिस पर मैंने कोई तहकीकात कराना जरूरी नहीं समझा। कोई अगर इस तरह की बर्बरता हो रही होती तो कम से कम किसी आदमी की कोई शिकायत, कोई चिट्ठी मेरे पास आती। लेकिन बनारस जिले से एक भी शिकायत एक भी किसान की इस बर्बर तरीके के सिलसिले में नहीं आई। इसलिये मैंने यह समझ कर कि माननीय राजनारायण जी किसी काम रोको प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं कोई तहकीकात कराना जरूरी नहीं समझा।

[श्री चरणसिंह]

अब जहां तक सूखे का सम्बन्ध है मेरी इत्तिला के अनुसार बनारस के जिले में पिछले साल पहली जून से लेकर १५ जुलाई तक १५.६७ बारिश हुई थी और इस वर्ष १४.५३ हुई है। इससे यह नहीं मालूम होता कि सूखा पड़ गया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--पिछले साल भी तो सूखा था।

श्री चरणसिंह--पिछले साल सूखा नहीं था। पिछले साल जून के आखिर में और जुलाई में जबरदस्त बारिश हुई। दस बीस गांव में जहां माननीय राजनारायण जी रहते हों किसी छोटे से इलाके में वारिश की कमी हो और वहां प्रकृति का विशेष रूप सा रहा हो तो मुझे उसका कोई इल्म नहीं है लेकिन उससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि बनारस जिले में आमतौर पर इस तरह की बात है। इसलिये मैंने तहकीकात नहीं की क्योंकि ये आंकड़े मेरे सामने थे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमको भी मौका दे दें। माननीय मंत्री जी ने मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया है। मंत्री महोदय मेरठ के रहने वाले हैं वहां ज्यादा वर्षा ने बरबादी कर दी है। मैं उनके समान पाप का भागी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं। इस पर मैं अब विवाद करने की इजाजत नहीं दे सकता।

लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५-५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम वापसी के लिये २५ जुलाई, १९५६ को तीन बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित किया गया था। अब क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट से श्री वसी नकवी ने तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट से श्री तेजबहादुर ने अपने-अपने नाम वापस ले लिये हैं और उक्त दोनों कोर्ट के ५-५ स्थानों के लिये केवल ५-५ सदस्यों के नाम ही रह गये हैं अतः निम्नलिखित सदस्यों को उनके लिये मैं विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट--

(१) श्री नेकराम शर्मा, (२) श्री तुलाराम, (३) राजा वीरेन्द्र शाह, (४) श्री लीलाधर अष्ठाना, और (५) श्री तेजबहादुर।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट--

(१) श्री अजीज इमाम, (२) श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव, (३) श्री सुखीराम भारतीय, (४) श्री गेंदासिंह, और (५) श्री महावीरप्रसाद शुक्ल।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० दिसम्बर १९५४, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ जनवरी, १९५५, की बैठक,

में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २१ जून, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ मई, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ मई, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २१ जून, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे कामरोको प्रस्ताव पर यह इंगित किया कि मैं विवाद के लिये नियमों के सम्बन्ध में समय मांग लूं। आपने देखा होगा कि मैंने एक रिपोर्ट नत्थी कर रक्खी थी कामरोको प्रस्ताव के साथ, जिसमें सब बातें ब्यौरे के साथ लिखी हुई थीं। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुमायूं सर्वे ऐंड लैन्ड रेकार्ड आपरेशंस के बारे में जो नियम लागू किये गये हैं उनके बारे में विवाद के लिये कोई समय अविलम्ब निश्चित किया जाना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ कहना है तो वह कह सकते हैं ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मुझे यही निवेदन करना है कि माननीय माल मंत्री से कुछ बातें करने के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा ।

पुलिस के अत्याचार विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के संबंध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जरा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैं एक कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिये मैं ही हूं, मैं कहीं जाऊं और वहां के थाने की पुलिस को प्रभावित करके एक गांव लुटवा लूं तो अगर इस सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव आ सकता है इस सदन में और जो सदस्य लायें वह हमारा नाम लिखवायेंगे कि नहीं ? और अगर लिखवायेंगे तो पर्सनल तरीके से आक्षेप करना हो जायगा .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आप मेरे कमरे में मुझसे पूछ सकते हैं ।

संविधान एवं उसके संशोधन विधेयक की प्रतियों के प्राप्त करने के संबंध में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, एक निवेदन करना था । संविधान विधेयक ३०, ३१ को बहस होगी तो उसकी अगर प्रतिलिपियां मिल जायं तो अच्छा होगा । लेकिन उसकी प्रतियां नहीं प्राप्त हुई हैं और उसके संशोधन विधेयक की भी । तो मैं जानना चाहूंगा कि कब तक उसकी प्रतियां मिल जायंगी ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द वह चीज सामने आ जाय ।

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—श्रीमन्, मैं दन्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) विधेयक, १९५६ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२७–४२९ पर)

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

**खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

† श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, कल मैंने माननीय नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर जो प्रति-कुलपति के सम्बन्ध में है अपने विचार व्यक्त किये थे। श्रीमन्, मेरी हार्दिक ख्वाहिश है और उसका कारण भी है, और मैं चाहता भी हूं कि प्रति-कुलपति का स्थान रखा जाय। यह सही है कि मंत्री जी के कथन का जिसमें उन्होंने कहा कि यह प्रति-कुलपति का स्थान या पद डेकोरेटरी है, उसका विरोधी हूं मैं। यह सही है कि डेकोरेशन से किसी भी व्यक्ति को घृणा नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि सामन्तवादी डेकोरेशन और समाजवादी डेकोरेशन में अन्तर होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री जी का मतलब समाजवादी डेकोरेशन से रहा होगा। और अगर यह मतलब मंत्री जी का रहा हो तो मैं श्रीमन्, मंत्री जी को कुछ विचार के लिये आपके द्वारा सलाह देना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि जो यह प्रति-कुलपति का स्थान या पद इस विधेयक में रखा गया है उसके दो, तीन कारण मेरी समझ में आये हैं। एक तो यह हो सकता है कि प्रति-कुलपति का स्थान इसलिये रखा गया हो कि किसी व्यक्ति को उसके पिछले कामों के लिये मुआवजा हो या उसका सम्मान हो। या यह हो सकता है कि कुलपति हो उनके सहायक के रूप में प्रति-कुलपति की नियुक्ति हो। मेरा श्रीमन्, आग्रह है मंत्री जी से आपके द्वारा प्रति-कुलपति की नियुक्ति या पद का निर्माण इस विधेयक में किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिये यदि हुआ तो मैं इससे सहमत हूं और मैं यह चाहता हूं कि सम्मानार्थ इस सदन की यदि यहां पर रचना की जाय तो यह श्रेयस्कर होगा। सम्मान श्रीमन्, सारा सदन जानता है कि किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को ही मिला करता है और यदि यह सही है तो मैं यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि बनारस में डा० भगवान दास जी हैं, उन्हें यह सम्मान क्यों न प्राप्त हो, बहुत से लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान् जो कि बनारस में ही हैं उन्हें इस सम्मान से क्यों न विभूषित किया जाय और इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि प्रति कुलपति की नियुक्ति अवश्य की जाय और प्रति-कुलपति की नियुक्त पर इसलिये मैं जोर देना चाहता हूं कि कुलपति और उपकुलपति, चाहे वह गवर्नर हों या और कोई राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो या उपकुलपति जिसे हम तनख्वाह देने जा रहे हैं, मैंने इस विधेयक को देखा, प्रतिकुलपति के लिये कोई किसी तरह की पैसे या आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद देने की कोई बात नहीं है। प्रतिकुलपति का काम शिष्ट मंडल की बैठक का सभापतित्व करना है या दीक्षान्त समारोह में जब वह बुलाये जायं और उसमें कुलपति या गवर्नर अनुपस्थित हों तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता करना प्रति कुलपति का कार्य है। कोई बहुत ऐसा कार्य प्रतिकुलपति का नहीं है कि प्रतिकुलपति के उस कार्य से उस विश्वविद्यालय के लक्ष्य में किसी भी तरह की कोई क्षति हो, हानि हो। तो मैं यह समझता हूं कि ऐसे पद की रचना यदि इस विधेयक में की गई है तो श्रेयस्कर

---

*विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

**२५ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है बशर्ते कि वह समाजवादी दृष्टिकोण अपना कर की जाय और कोई लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान् जैसे कि मैंने कहा डा० भगवान दास जी आज हैं उनको इसमें विशिष्ट स्थान दिया जाय, या, यह पद उनसे सुशोभित कराया जाय, तो मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं समझता था कि सरकारी पक्ष के सदन के कोई सम्मानित सदस्य माननीय रामेश्वर लाल जी के भाषण के बाद खड़े होंगे, मगर मेरा दुर्भाग्य कि वे खड़े नहीं हुए और मैं उनकी सम्मति जान सकने से असमर्थ रह गया। श्रीमन्, आज जो यह प्रतिकुलपति का प्रश्न यहां प्रस्तुत है इसने सदन के सम्मानित सदस्यों में कुछ द्वन्द्व पैदा कर दिया है। सरकारी पक्ष के बहुत से सम्मानित सदस्यों के सामने भी सारी परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। कोई भी बात श्रीमन्, सब जगह न तो ठीक ही मानी जा सकती है न तो सब जगह गलत ही मानी जा सकती है। परिस्थिति विशेष में ही किसी बात को परखने से हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रतिकुलपति का रहना आवयश्क है या अनावश्यक है इसकी सच्ची कसौटी हमारी समझ में यह होनी चाहिए कि यदि प्रतिकुलपति कुलपति की शक्ति को कम करने वाला होता है तो प्रतिकुलपति का पद आवश्यक होगा, क्योंकि हमारा स्पष्ट मत है यहां पर कि मैं नहीं चाहता कि राज्यपाल महोदय कुलपति हों और मैं नहीं चाहता कि कुलपति के हाथ में विशेष सत्ता सन्निहित हो। जब जब यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कानून इस सदन में संशोधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, तब तब हमने अपने इस विचार को व्यक्त किया है। आज भी मैं अपनी उन्हीं धारणाओं के साथ और उन्हीं उक्तियों के साथ आपके द्वारा इस सदन में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों से भी कहूंगा जो इस सदन के हैं चाहे किसी पक्ष के हों, कि रामेश्वर लाल जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है उस तर्क की गहराई में भी जाने की कृपा करेंगे। जहां तक मैं समझ पाया हूं रामेश्वर लाल जी, को उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि उप-कुलपति उस परिस्थिति में आवश्यक होंगे यदि उपकुलपति के स्थान पर किसी ऐसे विद्वान् की प्रतिष्ठा हो जो कुलपति की शक्ति को अपने में ले लें। तब तो वह इसके समर्थक हैं। जैसे उन्होंने नाम भी लिया कि काशी के डा० भगवान दास जी हैं और मैं समझता हूं आप और इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य जो स्वातंत्र्य संग्राम से परिचित हैं और जिनका दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है और दर्शन के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने संस्कृत विद्या का अध्ययन किया है वह डा० भगवान दास जी के नाम से परिचित होंगे। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो और प्रतिकुलपति की नियुक्ति हो, यदि उस पर डा० भगवान दास जी का नाम नहीं दिया जाता तब मैं समझता हूं कि प्रतिकुलपति की भी समुचित रूप में प्रतिष्ठा नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिकुलपति का रहना अनावश्यक है।

हमारे सम्मानित सदस्य देखेंगे, मैं उनको कुछ और पोलिटिकल फिलासफी की ओर ले जाना चाहता हूं कि अगर किसी सत्ता को हमें तोड़ना है तो उसकी शक्ति का बटवारा करना हमारे लिए आवश्यक होगा। इसीलिए लेनिन ने, जब रशिया की क्रान्ति हो रही थी, तो कहा था कि "टर्न दिस इम्पीरियलिस्ट वार इन सिविल वार।" उसने कहा था कि जब एक जारशाही तमाम प्रदेशों को एकत्रित करके उन पर तानाशाही शासन चला रही है तो आटोनामी देनी चाहिये तमाम स्टेट्स को। फिर बाद में उसने कहा कि यह नियम उस समय लागू नहीं किया जा सकता जबकि समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जायगी और समाजवाद को स्थापित करने के लिए किसी समुचित सरकार की स्थापना होगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रतिकुलपति के पद को उसी नुक्तेनिगाह से और उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये कि यह रहे या नहीं रहे और रहे तो क्यों रहे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि काशी नरेश को ही प्रतिकुलपति के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए विधेयक के अन्दर गुंजाइश की जा रही है तो इसको तत्काल ही हटा देना चाहिये, इसको एक मिनट

[श्री राजनारायण]

के लिए बरदाश्त नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, जैसा कि कल आपका आदेश हुआ था कि जब दसवीं धारा आये तो उस पर ब्योरे से हम अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, वह बिलकुल उचित और ठीक था और हम उसी समय अपनी राय को जाहिर करेंगे और अपने मत को व्यक्त करेंगे। मगर इस समय प्रतिकुलपति का स्थान हटाये जाने का संशोधन है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं और सरकार का जहां तक मंशा हमने देखा है, सरकार इस बात को बिल्कुल आदी होकर कह रही है, बार बार कह रही है कि प्रतिकुलपति के स्थान पर काशी नरेश को सुशोभित करने के लिए ही यह धारा बनायी जा रही है। तब मैं समझता हूं कि सरकार की सफाई के बाद अब इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य के मस्तिष्क में यह भ्रम नहीं रह जाना चाहिये कि प्रतिकुलपति केवल काशी नरेश को, प्रतिष्ठित करने के लिए ही हमारी इस धारा में रहे, यह अनुचित है उचित नहीं है। क्योंकि इस स्थान को सुशोभित नहीं करेंगे डा० भगवान दास जी, इसको सुशोभित नहीं करेंगे सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी, इस स्थान को शिक्षा में जिनकी ख्याति है, जो विद्यादि भूषण हैं वह सुशोभित करने वाले नहीं हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी का तर्क मुझे समाचार-पत्रों में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत ही लचर दलील दी थी और उसका जवाब मैं फिर दूंगा जब १० क्लाज आयेगा। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि प्रतिकुलपति के पद को रखने देने के लिये उन की भावना इस वजह से होती है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने तर्क प्रस्तुत किया था कि काशी नरेश का रहना इसलिये जरूरी है कि उनका संबंध जुड़ा हुआ है काशी की संस्कृति से और काशी राज्य से....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप फिर उसी चीज पर आ रहे हैं, कई दफा आप यह बात कह चुके हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इसका समर्थन सम्मानित सदस्य इसलिये न कर दें कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने तर्क दिया था। आज काशी राज्य का प्राचीन राज्य से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत इस समय नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जब सरकार की ओर से सफाई हो गई है तो या तो सरकार सफाई दे कि प्रति-कुलपति के पद पर कोई व्यक्ति विशेष जो उनके दिमाग में है, वह नहीं रहेगा और यह कि यह खुला हुआ पद है, इसको दूसरा व्यक्ति ले सकता है, तब तो समर्थन किया जा सकता है, वरना इसका विरोध होना चाहिये और जमकर विरोध होना चाहिये। जब कि सरकार की ओर से यह बात व्यक्त कर दी गई है कि किसी एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम आगे की धारा में आयेगा उसको केवल शोभा के लिये प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो भ्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है और इसका विरोध होना चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं अत्यन्त ध्यानपूर्वक उन सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुनता रहा जिन्होंने मेरे संशोधन के समर्थन या विरोध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वक्तव्य दिया। दो-तीन माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस आधार को मान कर विरोध कर रहे हैं कि मैं काशी नरेश के विरुद्ध हूं और इसीलिये मैं प्रति-कुलपति का विरोध कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि काशी नरेश के व्यक्तित्व के प्रति आक्रमण करूं या उनको क्यों बनाया जा रहा है इसलिये विरोध करूं। मैं तो प्रो-चांसलर के पद का ही विरोध करता हूं। मेरे विचार से संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये इस पद की आवश्यकता नहीं है। जो इस विधेयक के प्रणेता थे उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। प्रवर समिति में आवश्यकता समझी गई। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारियों ने जब विधेयक बनाया तो कोई रूपरेखा नहीं थी कि इस पद को रखा जाय।

श्रीमन्, कल मैंने स्पष्ट किया था यदि काशी नरेश संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत वांगमय के प्रकांड पंडित हैं तो हम क्यों निरर्थक पद प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। इतने बड़े विद्वान हैं इसलिये नहीं कि काशी के राजा हैं बल्कि संस्कृत के विद्वान हैं, हम उनको चांसलर बना सकते हैं। नियमों के अनुसार ५, ६ वर्ष के लिये बना सकते हैं। इसलिये नहीं कि वे नरेश हैं बल्कि उनकी विद्वता के आधार पर, जन्मना दृष्टिकोण से नहीं बल्कि कर्मणा दृष्टिकोण से।

श्रीमन्, आप देखें कि इतने कमीशन्स इस बीच में बैठे हैं किसी ने तो यह नहीं कहा कि प्रो-चांसलर के पद की आवश्यकता है। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पर मैंने इस बीच में दोबारा दृष्टिपात किया। तो मैंने देखा कि जहां उसमें एक ओर चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्ति का जिक्र किया गया है, जहां विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों की नियुक्त का जिक्र किया गया है, वहां दूसरी ओर प्रो-चांसलर की नियुक्ति के बारे में लेशमात्र भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया इसका स्पष्ट कारण यही है कि राधाकृष्णन कमीशन यह समझता था कि प्रो-चांसलर पद की कोई आवश्यकता नहीं है। देहली यूनिवर्सिटी में प्रो-चांसलर पद के लिये स्थान दिया गया है। लेकिन उसमें भी यह निश्चित किया गया है कि कोर्ट के द्वारा चुनाव हो। यह नहीं कहा गया है कि जीवन पर्यन्त कोई होगा। वहां तीन वर्ष की अवधि रखी गयी है इस विधेयक में इस पद को बनाते समय कोई इस तरह की विधि भी निश्चित नहीं है। मुझे दुःख है कि मेरे परम मित्र और सदस्य साथी रामेश्वरलाल जी ने मेरे संशोधन का विरोध किया। यह ठीक है कि उनके कल के भाषण में और आज के भाषण में अन्तर था और वह शायद राजनारायण जी के कारण हो।

श्री राजनारायण---उसके लिये कोई व्यक्तिगत आक्षेप आप न कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं। कल उन्होंने कहा था कि राजा हो जाय तो क्या बुरा है लेकिन आज उन्होंने डाक्टर भगवान दास का नाम लिया। इस संशोधन के लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि राजनारायण जी और रामेश्वरलाल जी इस बात से स्वयं सहमत होंगे कि डाक्टर भगवान दास जैसे महान् विद्वान् के लिये प्रति-कुलपति का पद देना उनके लिये अशोभनीय बात होगी। मेरा ख्याल है कि अगर उनको यह पद दिया जाय तो वे खुद इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हां, उनको कुलपति बनाया जाय तो एक बात है। माननीय अवधेश प्रताप जी ने तो राजा की वजह से मेरे संशोधन का विरोध किया, लेकिन मेरे मित्र रामेश्वरलाल जी ने कहा कि इससे नुकसान क्या होता है? मैं और कुछ नाम बता दूं जिनसे नुकसान नहीं होता है। एडीशनल चांसलर भी रख लीजिये, कोई नुकसान नहीं होगा। प्रो-वाइसचांसलर, एडीशनल-वाइस चांसलर रख लीजिये, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन निरर्थक पदों को रखने से लाभ क्या? जैसा मैं स्वयं कह चुका हूं, यह काशी नरेश की महिमा और गरिमा के

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लिये उचित नहीं है कि उनको हम इस प्रकार प्रति कुलपति के पद पर सुशोभित करें।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर विचार करेंगे और अन्ततोगत्वा मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, इस विषय पर जो वाद-विवाद यहां कल सुना और आज सुना उससे मुझे थोड़ा दुःख हुआ। दुःख इस कारण हुआ कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनके सन्मुख किसी का सम्मान कोई अर्थ नहीं रखता। जो यह समझते हैं कि शायद स्वतंत्र भारत में आगे चल कर हम किसी के सम्मानार्थ कोई चीज नहीं रखेंगे और इतना ही नहीं और मुझे यह देख कर भी दुख हुआ कि ऐसी बातें कहीं गई जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी प्रकार से तोड़-मरोड़ कर किसी एक व्यक्ति पर प्रहार करना जो व्यक्ति स्वयं यहां नहीं है मैं समझता हूं कि यह सदन की मर्यादा के लिये सर्वथा अनुचित बात है। आखिर इसमें प्रश्न क्या है। मैं जानता हूं कि यूनिवर्सिटीज में रेक्टर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, प्रो-चांसलर्स भी होते हैं और क्यों ये सब रखे जाते हैं? किसी विधेयक में आए तो यह नहीं देख सकते कि सबके लिये एक काम रखा गया हो कि रेक्टर यह करेगा, विजिटर यह करेगा, वह चौबीसों घंटे यूनिवर्सिटी में उसके कम्पाउन्ड में बैठ कर कुछ कार्य करेगा। कोई भी समाज और उस समाज का चाहे जो भी संगठन हो पहले तो सम्मान था ही, वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी जो समाज बनेगा चाहे उसका रूप कुछ भी क्यों न हो लेकिन उसमें से शिष्टाचार उठ जायगा, लोगों का सम्मान उठ जायगा, लोगों के प्रति आकर्षण उठ जायगा, कम से कम मैं इसकी बिडम्बना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि जब तक समय जीवित रहेगा तब तक एक दूसरे का सम्पर्क रहेगा, लोग एक दूसरे के अन्योन्याश्रित रहेंगे और तब तक सम्मान अवश्य रहेगा। मैंने इसमें कोई चीज आपसे छिपाई नहीं है। पहले ही मैंने यह कह दिया था, वह दो सज्जन तो डेकोरेटरी कह रहे थे लेकिन मैंने न तो वह शब्द सुना था और न मैंने कहा था, मैंने डेकोरेटिव कहा था डेकोरेटरी नहीं कहा था और उसी के साथ-साथ यह कहा था कि यह सम्मानार्थ है। तो प्रश्न यहां इस बात का नहीं है कि कोई बड़ा विद्वान् है या नहीं। अगर सच पूछिये ऐसी कोई योग्यता अगर रखी जानी चाहिये तो इस सदन के सदस्यों के लिये रखी जानी चाहिये क्यों कि इस भवन के माननीय सदस्यों के ऊपर समाज निर्माण का बोझ है, समाज के लिये कानून बनाने का बोझ है और वह कानून ऐसे होने चाहिये जिसमें समाज रह सके, समाज में अच्छी प्रवृत्तियां पैदा हो सकें। लेकिन हमारे संविधान में आप देख सकते हैं कि हर एक इन सदनों का सदस्य हो सकता है, बन सकता है और बनता है लेकिन अगर यह हम सम्मान के लिये कह देते हैं तो प्रश्न पैदा होता है कि साहब वह तो बड़े विद्वान् नहीं हैं।

मैंने तो पहले ही कह दिया कि उनकी विद्वता के लिये यह प्रतिकुलपति का स्थान नहीं रखा गया है। यह इसलिये रखा गया है कि हमें इतना कृतघ्नी नहीं होना चाहिये कि जिसने इतने दिनों तक इस भाषा की सेवा की, मैं उसके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में काशी राज्य जा रहा था उस समय भी, जब हर एक को फिक्र थी कि हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, हमारे लिये यह सुविधायें सुरक्षित रहें, काशी राज्य ने यह कहा कि हमारे यहां बनारस में एक संस्कृत कालेज रहेगा। हमें उनके लिये उनके सम्मान में कुछ करना चाहिये। चाहे हम समाजवाद की स्थापना करें या कोई और समाजवादी व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या सम्मान घट जायगा। आखिर इसमें है क्या? इतिहास इस बात का साक्षी है कि काशी राज्य ने संस्कृत कालेज की स्थापना की, आज तक वह उससे संबंधित रहा, आज तक उस राज्य ने, उस घराने ने उसकी सेवा की। कौन इस बात से इंकार कर सकता है कि भले ही वह फ्यूडलिज्म ग्रुप के हों लेकिन वह उस जमाने की बात है कि जब उसके बगैर वह जीवित रह ही नहीं सकता था।

जब इस संस्कृत कालेज का निर्माण हुआ था तो उस समाज में, उस समय में इसका निर्माण इसी प्रकार से संभव था। अगर कोई यह चाहे कि फ्यूडलिज्म न रहे, तो अगर उस समय इस कालेज के लिये यह न रहती तो उसके लिये रहना नामुमकिन था, वह स्वयं ही खत्म हो जाता इसलिये कि समाज उस समय उसी ढंग से, उसी ढांचे में चल सकता था, और आज जब हम इसको निरर्थक समझते हैं तो वह इसलिये कि आज के वातावरण में आज की अवस्था में जिस समाज का निर्माण आज होने जा रहा है उसमें उनको कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी क्या आप यह कहेंगे, इस बात से इन्कार करेंगे कि उन्होंने भारतीय कला की रक्षा नहीं की? क्या आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्य की सेवा नहीं की? क्या आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं की? इसके लिये इंकार नहीं कर सकते। तो यह तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं और उसे फिर दोहराऊंगा कि यह केवल उनके सम्मानार्थ रखा गया है। हम चाहते हैं कि जिस संस्कृत कालेज की स्थापना में उनका इतना बड़ा हाथ था, जिसके कि संरक्षण में उनका इतना बड़ा हाथ रहा, आज जब वह विश्वविद्यालय बन रहा है तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी कृतज्ञता उनके प्रति इसी प्रकार प्रकट करनी चाहिये कि जिस संस्कृत कालेज की उन्होंने स्थापना की थी आज उसको एक विश्वविद्यालय के रूप में हम उनके संमुख प्रस्तुत करें और उनसे इस बात की प्रार्थना करें कि जिस छोटे से अंकुर को आपने लगाया था आज वह एक बड़ा वृक्ष हो गया है, आप भी इसमें जल दीजिये, आप भी इसकी सेवा कीजिये, जिससे यह बढ़े। इसमें कौन सी बात है इसमें कौन सी बुराई है? बुराई और भलाई की बात तो मैंने पहले ही कह दी कि इसमें कुछ नहीं है। यह बात भी नहीं थी कि पहले जो ड्राफ्ट बना था उसमें इनका कोई स्थान नहीं था। उस समय भी कोर्ट में उनको स्थान दिया गया था उनके जीवन भर के लिये, लेकिन उस के बाद प्रवर समिति के सभी लोग एक मत से इस बात के लिये राजी हुए कि शायद उनकी सेवाओं को देखते हुए कोर्ट में एक मेम्बर बना कर रखना उनको जीवन भर के लिये, उपयुक्त न होगा। आखिर यह जो यूनिवर्सिटीज से जो रोज आनरेरी डाक्टरेट दी जाती है यह एक बड़ा सत्कार होता है। लेकिन उस आनर का 'आनरिस काजा' नाम रखा गया है। उस आनर को उनको उठा कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में यह जो इसमें रखा गया है और उनका जो नाम इसमें दिया गया है वह इसलिये दिया गया कि अगर हम काशी राज्य को हमेशा के लिये एक स्थान दे देते हैं तो हो सकता है कि उनके लड़के अभी नाबालिग हों तो उनको प्रो-वाइस चांसलर बनाना उचित नहीं होगा। इसलिये इनके जन्मभर के लिये यह चीज रखी गयी है। उसके बाद फिर यह प्रश्न आयेगा तो उपकुलपति की तरह से उसकी नियुक्ति कर लेंगे। तो इसमें आपको कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। मैं ऐसा समझता कि प्रति कुलपति रहे या न रहे लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में यह चीज नहीं है और ये शब्द नहीं हैं यह कुछ सही नहीं जान पड़ता। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रतिकुलपति रखा है अलीगढ़ में प्रतिकुलपति रखा जाता है। दिल्ली में प्रतिकुलपति रखा जाता है और बनारस में भी प्रतिकुलपति रखा जाता है। उनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबमें प्रतिकुलपति रखा जाता है। इस लिये राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट में प्रतिकुलपति नहीं आया है इसलिये इसको नहीं रखा जाय यह मैं ठीक समझता नहीं हूं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह शब्द बहुत उचित है कि महाराजा बनारस जो इस समय हैं उनको अपने इस विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति बनायें।

श्री अध्यक्ष—आपका तो कहना यह था कि प्रतिकुलपति का स्थान ही नहीं रहना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—उसका कारण तो उन्होंने यह दिया था कि वह विश्वविद्यालय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्तर्गत भाग (१—क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२,
विपक्ष में—९१।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—(१) उत्तर प्रदेश के राज्य पाल कुलपति होंगे।

(२) कुलपति, अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष (Head) तथा शिष्ट परिषद् के सभापति (President) होंगे और वे, उपस्थित रहने पर शिष्ट परिषद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह (Convocation) का सभापतित्व करेंगे।

(३) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"१०—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षाविद् (Educationist) अथवा संस्कृत या इन्डोलौजी (Indology) के विद्वान् के रूप में ख्याति प्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा।

(२) कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो।

(३) कुलपति के पद के आकस्मिक रिक्ति में उसके पद के कर्त्तव्यों का संपादन, उस पद की पूर्ति किये जाने तक, ऐसे शिक्षाविद (educationist) अथवा संस्कृत या इन्डोलौजी (indology) के विद्वान् व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार नाम-निर्देशित करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(४) कुलपति, अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा संसद का सभापति (President) होगा और वह, उपस्थित रहने पर, संसद के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह (Convocationr) का सभापतित्व करेगा ।

(५) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे दिये जावें ।"

मूल विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के कुलपति न हो कर कोई ऐसा विद्वान् हो जिनका नाम निर्देशन-राज्य सरकार करे । राधाकृष्णन कमीशन ने भी अपनी सिफारिशों में लिखा था कि जहां एक ओर किसी भी राज्य में उस राज्य के ऊपर यह बात छोड़ देना चाहिये कि वह किसी व्यक्ति को कुलपति नियुक्ति करे या न करे, वहां साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरे दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्पष्ट कर दिया कि जहां एक राज्य में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हों वहां राज्यपाल महोदय का चांसलर बनाना इतना वांछनीय नहीं होगा । उत्तर प्रदेश में इस समय ६ विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, रुड़की और एक गोरखपुर में बनने जा रहा है । सभी में एकाध को छोड़ कर चांसलर राज्यपाल महोदय हैं । तो जितने विश्वविद्यालय बनते जावेंगे उन सभी में अगर राज्यपाल महोदय को चांसलर बनाने की परम्परा रहेगी तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा । संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति संस्कृत का विद्वान् ही होना चाहिये । संस्कृत विद्यालय के समस्त अधिकारी संस्कृत के विद्वान ही होने चाहिये । अभी प्रतिकुलपति का पद पिछले खंड ९ में बढ़ाया गया है । उसका कारण देते हुये भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि काशी नरेश को संस्कृत का विद्वान् होने के नाते ही प्रतिकुलपति का पद दिया जा रहा है । इसलिए कुलपति के पद को हम छोड़ दें और ऐसी गुंजाइश रखें कि वह संस्कृत के विद्वान् न हों तो यह अनुचित होगा । ऐसे भी राज्यपाल हो सकते हैं कि वे विज्ञान के मनीषी हों, या इतिहासकार हों, हिन्दी साहित्य या किसी दूसरी भाषा साहित्य के प्रकान्ड पंडित हों, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह संस्कृत के भी विद्वान हों । कोई विद्वान् अपने विषय में कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन वह संसार के हर विषय का समान ज्ञान नहीं रख सकता । किसी भाषा विशेष का कोई पंडित हो सकता है, साहित्य का पंडित कोई माना जा सकता है लेकिन सभी विज्ञानों का पंडित तो कोई असाधारण या बिरला ही आदमी हो सकता है । इसलिए राज्यपाल को संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति रखना अधिक उचित नहीं है ।

इसके साथ-साथ जैसे कि अभी डाक्टर भगवान दास जी का नाम लिया गया ऐसे ही अनेक लब्धप्रतिष्ठ पुरुष और विद्वान् इस देश में उपलब्ध हैं जो कुलपति हो सकते हैं और जिनके कुलपति होने से विश्वविद्यालय को बल मिलेगा, शक्ति प्राप्त होगी और वहां के शिष्ट मंडल, शिक्षा परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् को अधिक अनुभवी महानुभावों का नेतृत्व और सहयोग प्राप्त हो सकेगा । आप जरा कल्पना करें कि संस्कृत के प्रकांड पंडित अगर कुलपति हों और वह शिक्षा परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् या शिष्ट मंडल का सभापतित्व करें तो वह कितनी शोभनीय बात होगी । इसलिए मैं इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि राज्य सरकार को यह अधिकार हो कि वह ५ साल के कार्यकाल के लिए संस्कृत के किसी माने हुए विद्वान् को ही कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित करे ।

श्री अध्यक्ष—आपने रखा है कि शिक्षाविद् अथवा संस्कृत या इन्डलाजी के ज्ञाता हों ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"के विद्वान् के रूप में ख्याति प्राप्त हों" यह आगे और है । श्री परिपूर्णानन्द जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जब मैं ने अध्यापक की परिभाषा में संशोधन रखा था, तो बताया था कि बहुत से विद्वान् ऐसे होते हैं जो घरों में बैठ कर ही शिक्षा-दीक्षा देते हैं, उनका किसी राजनीतिवाद या समाजवाद से मतलब नहीं होता, उनको केवल

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

संस्कृत के मंत्रों और सूत्रों आदि के रहस्योद्घाटन से ही दिलचस्पी होती है, ऐसे विद्वान् जो सीधे विश्वविद्यालय की शिक्षा में आना पसन्द नहीं करते उनकी सेवा को हम कुलपति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी दृष्टिकोण से यह उचित होगा कि राज्यपाल महोदय को यहां का चांसलर न बनाया जाय और किसी शिक्षा-वेत्ता को या किसी शिक्षाविद् संस्कृत भाषा के विद्वान् को ही कुलपति बनाया जाय। अब ज्यादा तर्क देने की आवश्यकता नहीं है और मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हृदय से मेरे संशोधन का समर्थन करेंगे और सदन की भावनायें मेरे संशोधन के साथ होंगी।

*श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन का उस रूप में समर्थक हूं कि कुलपति ऐसा होना चाहिए जो संस्कृत का विद्वान् हो। हमारे यहां एक प्रथा ऐसी बन गई है कि अब कुलपति कुल में नहीं रहते यद्यपि हमारे प्राचीन गुरुकुलों की प्रथा होती थी कि कुलपति गुरुकुल में ही रहते थे। वह आज भी वहीं रहने चाहिए। लेकिन अब तो केवल दीक्षान्त भाषण के दिन, या साल में एक दो दिन और, वह कुल में आते हैं और बाकी इधर-उधर रहते हैं और यथार्थ में कुलपति का स्थान उपकुलपति को प्राप्त है। इसलिये जो बातें श्री नारायण दत्त जी चाहते हैं कुलपति में होनी चाहिये वे तो असल में उपकुलपति के लिये जरूरी है। रह जाता है सवाल कुलपति कैसा होना चाहिये तो उसमें कोई हो जाय बहुत अच्छा है और उनमें से यदि अपने प्रांत का राज्यपाल हो जाय तो और अधिक अच्छा है। जब हम श्रीमन्, देखते हैं कि सरकारी कार्य के लिये भी किसी उपयुक्त आदमी की तलाश करते हैं तो इसमें एतराज क्यों होना चाहिये, यह मैं नहीं समझ पाया। यह ठीक है कि संस्कृत का विद्वान् हो तो संस्कृत विश्वविद्यालय अच्छा चलेगा, लेकिन वह तो उपकुलपति के लिये ही जरूरी है जो वहां हर समय रहता है और जो उपस्थित ही नहीं रहता उसके लिये वे विशेषतायें जो कि उपकुलपति में होनी चाहिये रख देना कुछ अधिक संगत बात प्रतीत नहीं होती। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मैं नारायण दत्त तिवारी जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं, मान्यवर, यहां पर इस प्रदेश में बहुत से विश्वविद्यालय हैं और इसी सदन में बहुत से विधेयक उनके संबंध में पारित किये हैं। हमने यह देखा और यह समझा कि उनका कुलपति जो हुआ वह राज्यपाल महोदय हुये। पुरानी परम्परा को देखते हुये हमने उसको स्वीकार किया और यदि आपत्ति भी की तो वह आपत्ति इस ढंग की थी जब किसी मानी में अगर उस आपत्ति को न माना जाय तो भी सहन कर सकते थे लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस विधेयक में एक ऐसी चीज लादी जा रही है जिसको स्वीकार करना हमारे लिये शक्ति के बाहर प्रतीत हो रहा है। श्रीमन्, यह कहना कि राज्यपाल महोदय या कुलपति केवल एक दिन के लिये जायेंगे या साल में दो दिन या तीन दिन के लिये जायेंगे, परन्तु यह हमको भूलना नहीं चाहिये कि इस विधेयक में कुलपति के अधिकार हैं और यह भी संभव हो सकता है श्रीमन् कि इसी उत्तर प्रदेश में जब कोई राज्यपाल ऐसे हों जिनको संस्कृत शब्द का उच्चारण करना भी कठिन प्रतीत हो, उस भाषा से परिचित होना तो दूसरी बात है, यह भी हो सकता है कि जब किसी माननीय सज्जन को उससे घृणा भी हो और ऐसे व्यक्ति विशेष को जो इस भाषा से अपरिचित हो, इस भाषा के प्रति श्रद्धा न हो, इसके बारे में कुछ ज्ञान न हो, अगर ऐसा राज्यपाल इस विश्वविद्यालय का कुलपति होता है तो मैं समझूंगा कि वे दुर्भाग्य के दिन होंगे और जब कि यह विधेयक इस सदन में लाया गया है तो इसके उद्देश्य और कारण में कोई ऐसी नवीनता नहीं थी जिसे कि हमारे मंत्री महोदय समझ नहीं सकते थे। जब विधेयक इस सदन में लाया गया तो विचार यही था, यही उद्देश्य था कि इसके कुलपति जो हों वे राज्यपाल न हों परन्तु दुख के साथ कहना होगा कि प्रवर समिति में इसका प्रवेश क्यों हुआ और क्यों किया गया, यह केवल माननीय सदस्य ही समझ सकते हैं। तो मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई डेकोरेटिव या सम्मान हेतु कोई पद किसी को दिया जाय तो उसके लिये मंत्री महोदय का कथन ठीक है परन्तु इससे क्या कोई सम्मानित सदस्य इंकार कर सकता है कि इस विधेयक में कुलपति के अधिकार नहीं होंगे, क्या इस विधेयक के द्वारा उसके जो अधिकार हैं वे कोई साधारण अधिकार हैं जिनके लिये हमको यह न देखना हो और सोचना हो इस अवसर पर कि यह अधिकार किसे दिये जायं। वह सुयोग्य हाथों में दिये जायं। मान्यवर, होता यह है और व्यवहारिकता यह है, आज युग में यह देखा जाय कि जब तक कुलपति उस भाषा से परिचित न हो वह वास्तविकता में उस विश्वविद्यालय की किसी रूप से सेवा करने में असमर्थ रहेगा। श्रीमन्, आज तक संभवतः लोग यह समझ रहे हैं कि उपकुलपति सब कुछ करेंगे और संभवतः संयुक्त प्रवर समिति ने जो प्रवेश करने का साहस किया वह संभवतः इस विचार से, यह समझते थे कि यह एक डेकोरेटिव पद है, लेकिन यह भूल है, कुलपति के अधिकार महत्वपूर्ण हैं और मैं यह जरूर चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो जिसमें कि हमको भविष्य में चलकर दुख हो।

मैंने जैसा कल भी कहा था राज्यपाल के प्रति सम्मान रखते हुये भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय खुलें उनके कुलपति वही होंगे। यह समझ में आता नहीं। अपनी जगह पर हठवादिता हो या वह समझते हों राज्यपाल का सम्मान इस रूप से किया जा रहा है तो मैं समझता हूं यह भी उनका भ्रम होगा। राज्यपाल के सम्मान हेतु इसकी आवश्यकता नहीं थी। वे तो स्वयं सम्मानित हैं, हेड आफ दी स्टेट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं यह भूल इस समय मंत्री जी को न मालूम हो सके लेकिन आइन्दा तकलीफदेह हो सकती है, और मैं आपके द्वारा सदन से यह अनुरोध करूंगा, इस पर गम्भीरता से सोचें और देखें कि इसमें कोई दल विशेष की बात नहीं है। इसमें विरोधी दल किसी भी उद्देश्य से नहीं कह रहा है जिससे वह यह समझें कि उनका कोई लाभ है। परन्तु एक ऐसी परम्परा होगी, एक ऐसा रास्ता होगा जो कि प्रदेश के लिये सहायक और जनता के लिये और भाषा के लिये, जिस उद्देश्य से यह विधेयक आया है उसकी भी पूर्ति होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो नारायण दत्त जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है यदि एक प्रकार से देखा जाय तो इसे सरकारी संशोधन भी कहा जा सकता है। क्योंकि ....

श्री अध्यक्ष—आप उसका विरोध कर रहे हैं क्या?

श्री राजनारायण—मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि सरकार की ओर से जो मूल विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ था करीब करीब नारायण दत्त जी की मंशा को उस मूल विधेयक में मान लिया गया था। इसलिये मैंने इसको पहले ही कह दिया कि नारायण दत्त जी के संशोधन के पक्ष में अपनी राय देने में सरकारी पक्ष के लोग हिचकेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सरकारी पक्ष के लोग जितना भी सुन्दर और साधु संशोधन विरोधी पक्ष से आता है केवल इसलिये कि यह विरोधी पक्ष से कहा जा रहा है और इसमें उनका पोलिटिकल गेन होगा यदि इस सुन्दर और साधु संशोधन को सरकार मान लेगी, विरोध कर दिया करते हैं। इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। इसलिये मैं बहुत ही लिखित प्रमाण दे रहा हूं कि जो ये विधेयक की प्रतियां संयुक्त प्रवर समिति से विचार विनिमय होने के बाद हमारे सामने हैं उसके छठे पेज पर यदि देखा जाय जिसको निकाल दिया गया है संयुक्त प्रवर समिति में, उसमें यह कहा गया है:—

"राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षाविद् अथवा संस्कृत या इंडोलाजी के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हो, उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा।"

माननीय नारायण दत्त जी का भी संशोधन यही कहता है कि राज्य सरकार किसी एस व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षाविद् अथवा संस्कृत इंडोलाजी के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा। हूबहू एक अक्षर उसमें कहीं हेर-फेर नहीं है, हुबहू वही है। आगे भी यदि देखा जाय तो सातवें पेज में है दूसरा। कुलपति का

[श्री राजनारायण]

कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन भी है कि कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा। उसमें भी कहीं एक शब्द का इधर उधर हेरफेर नहीं है और इसके आगे भी आप देखेंगे कि बेकार समय लेने की जरूरत नहीं है। माननीय सदन के सम्मानित सदस्य देख लेंगे। मूल रूप में जब सदन में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो उसकी जो मंशा थी उसमें सरकार की, उसी मंशा को माननीय नारायण दत्त जी चाहते हैं कि सरकार इस समय कायम रखे। और यह जो मंशा सरकार ने मूल विधेयक में सदन में प्रस्तुत की थी वह केवल एकाएक नहीं आ गई थी मंशा, बल्कि बार बार इस सदन में जब चर्चा हुई है यूनिवर्सिटी विधेयकों पर तब इस बात को कहा गया है कि राज्यपाल महोदय को क्यों इस पद से सुशोभित किया जाय? क्यों उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी दी जाय? वह स्वतः इतनी जिम्मेदारियां पहले से ही लिये हुये हैं कि उनके ऊपर शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी लादना और तमाम कमेटियों की नियुक्ति करना, तमाम कमेटियों के व्यक्तियों की नियुक्ति करना, उपकुलपति की नियुक्ति करना, अन्ततोगत्वा यह सारा भार जाकर के राज्यपाल के ऊपर ही आ जाता है।

मुझे तो अफसोस होता है तब, जब कि माननीय दीनदयालु जी शास्त्री यहां पर बोलने खड़े हुये और उन्होंने माननीय नारायण दत्त जी की मंशा का तो समर्थन किया मगर जरा उसमें सकुचे और डरे। ऐसे व्यक्ति के लिये तो यह कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं। पता नहीं वह भ्रम कब जायगा और क्यों है? दुनिया में आजतक रहाई का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, हाउ का तो हो गया है। अब इसको तो वह स्वतः जानते होंगे कि यह भय उनको क्यों है? कहते हैं कि यदि वाइस चांसलर जिसको यहां उपकुलपति माना गया है छठे पेज के, नवें क्लाज में है, अगर नारायण दत्त जी इन्हीं शर्तों को वाइस चांसलर के लिये रखें तब तो वह समर्थन करेंगे। स्पष्ट और मुक्त कंठ से उन्होंने यह बात कही है। विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और जिस तरह से आजकल संस्कृत की पाठशालाओं में संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती है उसकी भी जानकारी उनको है। उन्होंने यह कहा कि आजकल सही माने में कुलपति का स्थान उपकुलपति ने ले रखा है क्योंकि जो प्राचीन प्रणाली थी उसके मुताबिक कुलपति पूर्ण समय का हुआ करता था। शिक्षा संस्था के अन्दर विद्यार्थियों के साथ रहना पड़ता था। अब वह स्थान उपकुलपति ने ले रखा है। इसलिये उसके लिये तो यह शर्तें हों, मगर उस व्यक्ति के लिये जो उपकुलपति को चुने यह शर्त न हो। जरा देखा जाय कि कितना खोखला माननीय शास्त्री जी का तर्क है। उन्होंने यह समझ रखा है कि कुलपति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। कुलपति के हाथ में बड़ी शक्ति है। इस विधेयक के अन्दर भी उसके हाथ में शक्ति है। अन्ततोगत्वा उसी को अधिकार है उपकुलपति की नियुक्ति का। इसको बाद की धारायें जब आयेंगी तो साफ किया जायगा। इस समय तो संकेत के लिये कहे देता हूं। माननीय शास्त्री जी की मंशा और भावना को जो मैं समझ पा रहा हूं और जो ईमानदारी के साथ मैं समझता हूं वह यह है कि वह खुद चाहते हैं कि यह संशोधन रहे क्योंकि जो उन्होंने शंका व्यक्त की कि कुलपति तो एक शोभा के लिये है, कुलपति तो तमाम कार्यों में रहता नहीं, मगर वह देखेंगे कि कुलपति नियुक्त करेगा अंतिम रूप से उपकुलपति को, तमाम कार्यवाहियों में सभापति का पद ग्रहण करेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--कहां?

श्री राजनारायण--माननीय मंत्री जी को पढ़ कर सुना ही दूं कि कुलपति के क्या कर्तव्य हैं। लेकिन देर होगी, वह खुद पढ़ लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--आप समझा दीजिये, बड़ा अच्छा है।

श्री राजनारायण--"कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।" तथा "कुलपति अपने पद के कारण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा शिष्ट परिषद् के सभापति होंगे और वे, उपस्थित रहने पर, शिष्ट परिषद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे", यह कोई मामूली अधिकार है, मामूली शक्ति है? ऐसे व्यक्ति के हाथ से हम दीक्षा प्राप्त करें, सनद प्राप्त करें जिसको हम अनुपयुक्त समझते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--आपसे वह बड़े रहेंगे।

श्री राजनारायण--आपने श्रीमन्, कल संकेत किया था, लेकिन मैं समझता हूं इस विधेयक के अन्त तक शिक्षा मंत्री जी अपने उसी प्राचीन रूप में आ जायेंगे जिस रूप में वह रहते हैं। लेकिन जिस रूप में वह चलें, हमको भी उसी रूप में चलने की इजाजत देते रहें।

श्री हरगोविन्द सिंह--और कोई चले या न चले, आप तो चलेंगे ही।

श्री राजनारायण--शास्त्री जी कहीं चले गये। वह हैं! खैर, शास्त्री जी हमको खुद समझायें या अपने किसी दूसरे साथी से यहां पर कहलवा दें कि आज जो भाव उन्होंने यहां पर व्यक्त किया और जिस भाव से उन्होंने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई की जाय और संस्कृत के छात्रों को विद्यादान किया जाय, वह भाव क्या राज्यपाल के कुलपति के पद पर रहने से सफल होता है। मैं समझता हूं कतई नहीं होता है। इसलिये यह कह देना कि राज्यपाल ही कुलपति के पद पर रहें, मैं समझता हूं कि इस सदन में इस से बढ़कर इस सदन का कोई अपमान नहीं हो सकता जितना कि इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमन्, इस सदन में बार बार इस बात को कहा गया है और बार बार इस शंका को रखा गया है कि राज्यपाल महोदय को जितना अबतक काम करना है उतना काम उनको करने दें सरकार। विशेष कार्यभार से उनको लादने की कृपा न करें। वह स्वतः अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि अभी रणधीर सिंह कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उस पर यहां ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, प्रसंगवश मैं कह रहा हूं कि उन्होंने राज्यपाल के कार्य के संबंध में बहुत कुछ संकेत किया है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत राजनीति शिक्षा संस्थाओं में फैल रही है और पनप रही है और उनके रहने से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह--वह अंग्रेजी में लिखी हुई है।

श्री राजनारायण--माननीय शिक्षा मंत्री जी को भाषा पढ़ने का ज्ञान हो लेकिन उस रिपोर्ट का ज्ञान नहीं है। तो मैं यह कह रहा हूं कि यदि यह देखा जाय तो किसी भी माने में नारायणदत्त जी का जो संशोधन है वह उपयुक्त माना जायगा और उसको इस समय इस सरकार को मानना चाहिये और इस सरकार के सदस्यों को उसके पक्ष में अपनी सम्मति देनी चाहिये। अब मैं नहीं जानता कि कोई व्हिपिंग है या कोई विचारों का अंकुश है, मगर यदि यह कुछ नहीं है तो उसका प्रमाण यही होगा कि उनकी स्वतंत्रता के साथ जो मूल निधेयक में इस सदन में बार बार व्यक्त किये हुये विचारों का जो फल था, जो समुच्चय था, लुब्बेलुबाब था कि इस सभा में बार बार विरोध हुआ कुलपति के पद पर राज्यपाल के रहने का, उसी से प्रभावित होकर आरम्भ में वैसा ही विधेयक लाने की बात की गयी थी, मगर बाद में सरकार के सामने फिर वही राजनीति, फिर वही पालिटिक्स शिक्षा संस्थाओं में घुसेड़ने की बात आ गयी और संयुक्त प्रवर समिति में अपने सदस्यों के बहुमत से इस बात की सिफारिश करवाई। इस बात को मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये कि एक बार जब इस सदन में बार बार विचार प्रकट होते हैं, उनसे सरकार प्रभावित होती है और प्रभावित होकर भी जब वह अपने स्वार्थ को सामने रखती है, जब बाद में समझती है कि अगर हम निष्पक्ष रूप में शिक्षा संस्थाओं

[श्री राजनारायण]

का संचालन करेंगे तो जिस राजनीति को शिक्षा मंत्री जी चलाना चाहते हैं वह नहीं चल पायेगी, तब राज्यपाल को फिर लादा जाता है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं तर्क इसी संशोधन के विषय में दें।

श्री राजनारायण---इसलिये राज्यपाल का कुलपति के पद पर रहना नितान्त अनुचित है इसलिये मैं नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सम्मानित सदस्यों से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह नारायण दत्त जी के संशोधन का मुक्त कंठ से समर्थन करें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अक्सर कुलपति राज्यपाल हैं। हमारे भारतवर्ष के जो दो विश्वविद्यालय अलीगढ़ और बनारस हैं उनके कुलपति राष्ट्रपति हैं। जब हमारे यहां एक प्रथा चली आई है तो फिर हम उसमें अन्तर क्यों करें? मान लीजिये इसमें कुलपति गवर्नर न रखते तो मुझे विश्वास है कि विरोधी पक्ष की ओर से यह दलील पेश कर दी जाती कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय को सरकार हीन दृष्टि से देखती है। इसीलिये इसमें अन्तर किया गया है। विरोध की ओर से हमेशा ऐसी बातें कही गई हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया जाता है। यह तो विरोध करने की दृष्टि से ऐतराज किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि कुलपति का ज्यादा काम प्रबन्ध करने का है जैसे कुलपति शिष्ट मंडल के अध्यक्ष पद का कार्य करेगा। जब कन्वोकेशन होगा तो उसका सभापतित्व करेगा, यह सब प्रबन्ध की बातें हैं। इसी तरह से उपकुलपति की नियुक्ति का मामला है। जितना अच्छा कार्य एक अच्छा शासक कर सकता है उतना एक विद्वान नहीं कर सकता है। यह काम अधिकतर शासन से संबंध रखता है न कि शिक्षा से, इसलिये गवर्नर का कुलपति होना बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में अधिकतर कुलपति गवर्नर को ही रखा गया है, उनकी एक पोजीशन है, उनको एक तजुरबा है, उनकी एक प्रतिष्ठा है और उनका अनुभव है जिससे वह अच्छा काम कर सकते हैं। इनको अनुभव बहुत ज्यादा है और इनके साथ काम करने वाले भी काफी हैं जिनसे ये सहायता लेते हैं। यह दलील कि उनके पास गवर्नमेंट का बहुत सा काम है वह यूनिवर्सिटी का काम अच्छा नहीं कर सकेंगे, मुझे रुचिकर मालूम नहीं होती है क्योंकि तमाम भारतवर्ष में इसी तरह से कार्य चल रहा है और मुझे विश्वास है कि अगर गवर्नर को कुलपति न रखा गया होता तो विरोध की तरफ से कहा जाता कि इसको क्यों नहीं रखा गया है? जहां-जहां अन्तर किया गया है उनकी तरफ से कहा गया है। जब शुरू में इस यूनिवर्सिटी का ढांचा बनाया गया था तो नारायणदत्त जी ने कहा था कि क्यों नहीं पुराने जमाने की नालन्दा की तरह से इसके ढांचे को बनाया गया। जहां-जहां और जैसे-जैसे उनको आक्षेप करने का मौका मिलता है वह आक्षेप करते ही हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि ज्यादातर इसमें शासन का सवाल है, इसमें संस्कृत की योग्यता का सवाल नहीं है और राज्यपाल से ज्यादा और कोई व्यक्ति उपयुक्त हो नहीं सकता है। इसलिये इसको रखना उचित ही है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, इस संशोधन का मैं आपकी अनुमति से विरोध करता हूं। इसलिये भी कर रहा हूं कि मुझे ऐसा भय लगता है कि संभवतः संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के संबंध में कुछ एक भ्रांति सी भी है। हमारे मित्र श्री दीनदयालु जी ने बहुत ही सही कहा कि प्राचीनकाल में कुलपति विद्यालय में स्वयं रहा करते थे। किन्तु जिस समय कुलपति स्वयं विद्यालय में रहा करते थे उस समय उपकुलपति नाम की कोई रचना हमारे यहां नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कुलपति और उपकुलपति दोनों का आसन एक ही व्यक्ति ग्रहण करता था। किन्तु प्राचीन संस्कृत शिक्षा की एक प्रणाली जो सदैव से रही है वह यह है कि चाहे वशिष्ठ का विद्यालय हो, चाहे विश्वामित्र का विद्यालय,

हो, चाहे कण्व का विद्यालय हो, कोई भी हो, जो राजा होता था देश का, जो शासन का रहबसे बड़ा अधिकारी होता था वही अनायास उस विश्वविद्यालय का रक्षक, अभिभावक और संरक्षक समझा जाता था। यह एक प्राचीन परिपाटी सदैव से चली आयी थी। इसीलिये, श्रीमन् जब नालन्दा विश्वविद्यालय की रचना की गयी तो अशोक ने की, रक्षा की तो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने की और उसके बाद पालो वंशीय राजाओं ने उसकी सेवा की, वे उसके अभिभावक थे, उसके संरक्षक थे। तो इस प्रकार इस नीति से भी जो हमारे कांस्टीट्यूशनल हेड हैं, गवर्नर हैं, उनको यदि इसका कुलपति बना दिया जाय तो यह उचित और वांछनीय बात होगी। यह एक बात हुई श्रीमन्।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूं कि मेरा ख्याल है कि शायद नारायण दत्त जी ने गलती से राज्यपाल के संबंध में बनारस के विश्वविद्यालय का जिक्र कर दिया था। बनारस के विश्वविद्यालय के कुलपति का जिससे संबंध है वह बिलकुल दूसरा है। और उसमें तो प्रतिकुलपति भी होता है और उपकुलपति भी होता है। तीनों पद उसमें हैं। यह बात माननीय राजनारायण जी शायद भूल गये होंगे, प्रतिकुलपति पद की रचना हमारे महामना मालवीय जी ने की थी।

श्री राजनारायण—वह आगे बतायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—बतायेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर कुलपति का आसन कौन ग्रहण करे? एक बड़ा सुन्दर शब्द 'इंडोलोजी' का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ-साथ शिक्षाविद् का। इन्डोलाजी होती क्या चीज है। माननीय नारायणदत्त जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं और राजनारायण जी से इतनी मेहनत की आशा तो मैं नहीं करता कि 'इंडोला' जी की व्याख्या देख लें। इंडोलोजी शब्द जहां तक मेरी जानकारी है शायद आज से करीब ७०–७५ साल पहले इसका सबसे पहले उपयोग हुआ था और इसलिये हुआ था कि इतिहास, दर्शन तथा साहित्य शास्त्र, इन सब चीजों की जानकारी में इंडोलोजी आ जाती है। तो फिर उस शब्द की ऐसी व्याख्या कर लेना कि इंडोलोजी तो अब सरकारी विधेयक में आ गया, अतएव उसका अर्थ भी ठीक है, गलत है। यह अच्छा शब्द है। लेकिन यह देखना कठिन होता है कि इसकी व्यापकता में कौन-कौन सी चीजें आती हैं। दीनदयालु जी ने कहा कि गुरूकुल में संस्कृत शिक्षा ने उन्नति की। लेकिन संस्कृत की जो वास्तविक प्रणाली है उसमें शिक्षा किसे कहा जाय इसकी व्याख्या बहुत कठिन है। एक ही संस्कृत की शिक्षा में विषय को लेकर जिन्दगी बीत जाती है। व्याकरण के आचार्य हो गये, दर्शन के आचार्य हो गये, तर्क शास्त्री हो गये और इस एक चीज को लेकर इतनी जिन्दगी बीत जाती है कि इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और शास्त्री जी ऐसे योग्य पंडित ऐसे एक ही विषय को लेकर सारी जिन्दगी व्यतीत कर देते रहे कि "घृता धारे पात्रं" अथवा "पात्रा धारे घृतं"। लेकिन श्रीमन् शिक्षा की भी निराली व्याख्या है। उसकी यदि एजुकेशन से भी व्याख्या की जाय तो उस व्याख्या में शिक्षाविद् की व्याख्या बैठती नहीं है क्योंकि अंग्रेजी एजुकेशिनस्ट शब्द है। हमारे मित्र देखेंगे कि एजूकेशन उस चीज का नाम है जिसे कहते हैं एडल्ट पापुलेशन को समाज की सेवा के योग्य बनाना। इस शब्द का मूल है "एड्यूसरी"। इसी शब्द से एजुकेशन निकला है। एड्यूसरी के माने हैं "टु लीड ऐंड टु गाइड"। ले जाना और गाइड करना। तो जो राज्यपाल हैं, हमारे देश के शासन के जो प्रधान मंत्री हैं या जो शिक्षा मंत्री हैं, ये एड्यूसरी की व्याख्या में सबसे पहले आते हैं। उनको भी कुलपति बनाने में लोगों को शिकायत है? और वह शिकायत करने के लिये भी इतनी खींचा तानी की शिकायत है। मैं नहीं समझता कि समझदार व्यक्ति ऐसा कैसे करते हैं। मालूम नहीं कि राज्यपाल की नियुक्ति और रणधीर कमेटी से क्या संबंध जोड़ा गया? अंग्रेजी में वह रिपोर्ट थी और कम से कम मैं अंग्रेजी तो पढ़ लेता हूं और बिना डिक्शनरी लिये पढ़ लेता हूं और उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसमें केवल एक बात है और वह है चांसलर के कैम्प के बारे में कि उसमें अच्छा होता कि वही

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

विद्यार्थी बार-बार न बुलाये जाते तो विद्यार्थियों में आपस में द्वेष की भावना नहीं होती। अब इसमें भी राजनीति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार के ऐसे-ऐसे प्रवचन आपके समय को नष्ट करने के लिये और हम लोगों के लिये भी यह सोचकर कि हमने पढ़ा नहीं होगा हमारा समय नष्ट करने के लिये होते हैं। यह समाजवाद के किसी सिद्धांत में होगा, कम से कम यह शिक्षा के सिद्धांत में उचित नहीं है। फिर उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है "ख्याति प्राप्त"। "ख्याति प्राप्त" किसे कहते हैं। बड़े विद्वान और विशेषकर संस्कृत से संबंध रखने वाला विद्वान, जो संस्कृत से संबंधित सभी विषयों का पूरा जानकार हो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यह विधेयक उससे बिलकुल भिन्न है। हम संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो संस्कृत की बात कर रहे हैं, एक भाषा की बात कर रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यह दोनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा और ख्याति प्राप्ति का संबंध बहुत दूर है।

मैंने मिसाल के तौर पर निवेदन किया था और राजनारायण जी भी जानते हैं कि गोपीनाथ जी कविराज को कितने समय तक लोगों ने नहीं जाना। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के ऐसे ऐसे बड़े-बड़े विद्वान हैं और यह शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वे ख्याति की तरफ जा नहीं सकते। वे ख्याति की तरफ जा नहीं सकते और चार आदमी उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। आखिर कौन सा तरीका होगा हम किसको विद्वान मानें? एक जमाना था जब संस्कृत के विद्वानों की खोज करने के लिये काशी की गलियों में घूमा करते थे और वह जमाना था जब कि उनसे विद्या प्राप्त करने के लिये उनके कमरे में जाते थे और जब वे उनके कमरे से चले आते थे तब उस कमरे की सफाई की जाती थी। किन्तु वह प्रयत्न तो करते थे कि कोई विद्वान तो मिल जाय। ख्याति प्राप्त विद्वानों को लिया जाय तब तो ठीक होगा लेकिन यदि राज्यपाल कुलपति हो जाय तो उससे बट्टा लग जायगा ऐसी बात कहना किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के लिये शोभा नहीं देता। जिसने हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो और जहां कि यह परिपाटी परम्परा बन गई हो कि जिसका चांसलर गवर्नर हुआ करता है, तो उस गवर्नर के रहते हुये विश्वविद्यालय पर कोई बुरी छाप पड़ जायगी उसको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं इस विषय में कि इसमें कोई राजनीतिक भावना नहीं है। हमें विश्वविद्यालय के स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा। यह भी कहा जाता है कि कुलपति के पास जब कोई काम नहीं रखा जाता है तो उसका पद क्यों रखा जाय? लेकिन जब यह समझ लिया गया कि उसके पास कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो उसके लिये इन शिक्षा संस्थाओं का चांसलरशिप क्यों न रखा जाय। वह एक का हो जाय दो का हो जाय, तीन का हो जाय और माननीय शिक्षा मंत्री ने तो यह बताया कि वह चाहते हैं कि सब विश्वविद्यालयों का एक स्तर बना दें चाहे वह अंग्रेजी का हो, चाहे वह संस्कृत का हो, सबको एक ही स्तर पर स्थापित कर दें तो उससे गिराने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

चौथी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति आखिर हो भी तो कौन। जब यह बात निश्चय हो गई कि इसकी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती कि कौन संस्कृत का वास्तविक विद्वान है। इसकी पहचान करने के लिये बहुत से प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत बड़े-बड़े विद्वान पड़े हुये हैं, गुरुकुल के बड़े-बड़े अलंकार पड़े हुये हैं, बड़े-बड़े साहित्यशास्त्री और तर्कशास्त्री हैं लेकिन इंडोलोजी का ज्ञाता जिसे कहते हैं उनकी संख्या विशेष नहीं मिलती, शिक्षाविद् भी बहुत संख्या में नहीं मिलते लेकिन शब्द शिक्षाविद् शब्द और इंडोलोजी का ज्ञाता अर्थात् सब विद्याओं का अधिष्ठाता और इन सब विद्वानों का अधिष्ठाता राज्य है और उस राज्य का जो अधिष्ठाता है वही उसका कुलपति होगा। इससे विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ जाती है, उसका विकास होता है

और विकास के साथ-साथ यह चीज होती है जिसके लिये कि शायद हमारे माननीय मित्रों की इच्छा भी होगी और वह इच्छा है उसका पद, उसका गौरव और उसका महत्व बढ़े।

इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री रणंजय सिंह अपना भाषण बाद में करें। समय हो गया है और अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोबिन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बड़ी-बड़ी आपत्तियां की जा रही हैं कि राज्यपाल महोदय को जो कुलपति बनाया जा रहा है वह ऐसे आदमी होने चाहिये और वैसे आदमी होने चाहिये। इसमें मेरी यह प्रार्थना है कि यदि राज्यपाल को संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाता है तो इससे उसका कोई गौरव घटने वाला नहीं है अपितु मैं यह समझता हूं कि जब सब सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है तो इस संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति अन्य को क्यों बनाया जाय? यह दलील देना कि राज्यपाल जो कुलपति बनाये जाते थे वह अंग्रेजी शासन में बनाये जाते थे और वही परिपाटी आज भी चली आ रही है? इसमें कोई युक्तिसंगत बात नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो यह कहा जाता है कि जो राज्यपाल के लिये आपत्ति की गयी है कि वह ऐसे होने चाहिये जो शिक्षाविद् हों, जो संस्कृत के या इंडोलोजी के विद्वान हों, यह ठीक है, लेकिन जो भी कुलपति सरकारी विश्वविद्यालयों के बनाये गये हैं क्या वह ऐसे ही हैं? इस विश्वविद्यालय के लिये कहा जाता है कि वह संस्कृत के ज्ञाता हों, इंडोलोजी के जानकार हों और शिक्षाविद हों लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है जब मैं यह देख रहा हूं कि इसमें से सेलेक्ट कमेटी ने जिसको निकाल दिया है उसमें जो संशोधन है, उसके विरुद्ध पुराने शब्द ला कर यह रखा जाय। सरकार ने इस पर विचार किया है और उसके बड़े-बड़े अफसरों अर्थात् अधिकारियों ने इस पर विचार किया है और उसमें जो संशोधन हुआ है उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं जान पड़ती है। बल्कि इस बात की आवश्यकता थी कि राज्यपाल महोदय इसके भी कुलपति होंगे। यह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय किसी अन्य विश्वविद्यालय से कम नहीं समझा जायगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस विश्वविद्यालय में संस्कृत का जानने वाला ही कुलपति रखा जाय लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाय। यह ऐसी बात है जो विचार करने के योग्य है। प्रचलित प्रथा के अनुसार जितने भी कुलपति आज हमारे देश में हैं वह सब ऐसे कुलपति नहीं हैं जो उन सभी भाषाओं के जानकार हों जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं।

मैं किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं लेना चाहता। लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में जो भी भाषायें पढ़ाई जाती हैं इस देश के अलावा जो फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी आदि बाहर की भाषायें पढ़ाई जाती हैं, क्या सब उन भाषाओं के जानकार उनके कुलपति हैं? इसलिये इसका यह अर्थ अवश्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि जितनी भाषायें पढ़ायी जायं उनके ज्ञाता कुलपति हों। कुलपति बैठकर पढ़ाने का काम नहीं करता है। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये वह यह बात कहते हैं कि संस्कृत के जानकार या इंडोलोजी के ज्ञाता हों यह शब्द रखना उचित नहीं जान पड़ता है। यदि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस संशोधन के शब्दों पर विचार करेंगे तो उनको अपने इस संशोधन में बहुत बड़ी दुर्बलता ज्ञात हो जायगी। इसमें तो लिखा हुआ है कि "शिक्षाविद् अथवा संस्कृत या इंडोलोजी के विद्वान"। तो यहां विकल्प ही विकल्प भरा हुआ है, "अथवा" और "या" लगे हैं। लेकिन यह कैसे मान लिया जाय कि कुलपति शिक्षाविद् ही हों? यदि संस्कृत तथा इंडोलोजी का विद्वान होता तो मैं मान लेता लेकिन इसमें तो "अथवा" है। इसलिये यह संशोधन मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता जो बहुत ठीक हो बल्कि मैं

[श्री रणंजय सिंह]

समझता हूं कि इसमें "अथवा" के स्थानपर "तथा" लाया जाता तो ठीकहोता। यह भी कहा गया कि राज्यपाल के पास बहुत काम होते हैं, वह पहलेही बहुत से विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं तो कैसे इस संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंच पावेंगे ? जब प्रति उपकुलपति तथा उपकुलपति उनकी, राज्यपाल की, सहायता के लिये हैं तो वह काम कर सकते हैं और राज्यपाल को सहायता दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि राज्यपाल को राजनीतिक दृष्टिकोण से रखा गया है। यह तो साधारण सी बात है कि राज्यपाल राजनीति से अलग रहते हैं, वह राजनीति से दूर रहते हैं तो फिर यह कहना कि राज्यपाल को यहां राजनैतिक दृष्टि से रखा जा रहा है, समझ में नहीं आता। अगर राज्यपाल के लिये नहीं, अपितु यह कहा जाता कि कोई भी कुलपति हो सकेगा तो संदेह किया जा सकता था कि वर्तमान शासक दल चाहता है कि राज्यपाल न होकर कोई उसके दल का विशेष पुरुष रख दिया जाय जो कि उनके राजनैतिक दल की अधिक सहायता कर सके। इसलिये यह दलील कि राज्यपाल को कुलपति राजनीतिक कारण से बनाया जा रहा है, यह भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। राज्यपाल का वहां रहना ही प्रकट करता है कि यह कार्य राजनैतिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से यह सब आक्षेप हो रहे हैं, जो मेरी राय में नहीं होने चाहिये थे।

मैं समझता हूं कि राज्यपाल का कुलपति होना बहुत आवश्यक है। साथ ही ये विकल्प जो लगाये गये हैं, ये नहीं होने चाहिये। जहां इतने विचार प्रकट किये गये, इतने भाषण दिये गये इतने यहां पर प्रयत्न किये गये, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि "अथवा" या "या" शब्दों पर विचार न करके और ही बातें कही गईं जिनमें मुझे कोई सार नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि राज्यपाल को कुलपति न बनाया जाय। यह तो ऐसी ही बात हो गई कि अंग्रेजी शासन काल में डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर होते थे और अब यह कहा जाय कि चूंकि ये अंग्रेजी शासनकाल में होते थे तो अब क्यों रखे जाते हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह दलील कहां तक मानने योग्य है। अंग्रेजी राज्य तो गया, अब तो अपना शासन काल है और ऐसे पदों पर यहीं के विद्वानों की नियुक्तियां की जाती हैं। सर मारिस हैलेट अब नहीं हैं अब तो श्री के० एम० मुन्शी हमारे राज्यपाल हैं, वह किसी दूसरे देश के नहीं हैं। यहां पर जो संशोधन रखा गया है और जो दलीलें उसके पक्ष में रखी गई हैं वह मेरी समझ में नही आईं और उनकी आवश्यकता मैं नहीं समझता और यह सुधार बहुत सोच समझकर ही सेलेक्ट कमेटी ने किया है, पूर्ण रूप से विचार कर के किया है, उन्होंने कोई शीघ्रता नहीं की है, कुछ भूल से उसमें नहीं छूट गया है। जो शब्द वह लाना चाहते हैं वह पहले बिल में आये थे, लेकिन बहुत विचार कर के अब उनको बदला गया है, वह ठीक हैं उनको रखना चाहिये। उन्होंने जो संशोधन में विकल्प रखा है वह उचित नहीं है और वह ऐसा सुझाव नहीं है कि जिसका समर्थन किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री शारदा बख्श सिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि कुलपति के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सदन में बहुत बार माननीय सदस्यगण अपने विचार रख चुके हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कई बार बताया जा चुका है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि प्रांत में एक यूनिवर्सिटी हो और उसके राज्य पाल कुलपति हों तो वह आवश्यक ध्यान उस विश्वविद्यालय को ओर दे सकते हैं परन्तु जहां प्रान्त में एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं तो राज्यपाल महोदय स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि जो आवश्यक सहयोग, आवश्यक जानकारी और जो आवश्यक मेहनत है वह उनके लिये करना सम्भव न होगा और इसीलिए उस में सिफारिश की गई है कि राज्यपाल लोग स्वयं इस बात का अनुभव करते हुए वहां का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुलपति बनने को अपनी स्वीकृति न देंगे लेकिन हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल महोदय की ओर से एक क्या कितनी यूनिवर्सिटियों के वह कुलपति बनाए जायं कोई ऐसी बात हमारे समाने नहीं आई कि उन्होंने ऐसा विचार रखा हो कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है। लेकिन जब यह प्रश्न माननीय सदन के सम्मुख है तो हमें विचार करना है कि इतने बड़े प्रान्त में जहां इतने विश्वविद्यालय हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्यपाल महोदय आवश्यक ध्यान सब विश्वविद्यालयों को ओर नहीं दे सकते। जैसा कि अभी कहा गया है कि चूंकि उपकुलपति सब विश्वविद्यालयों में होंगे इसलिये कुलपति ध्यान न भी दें तो कोई हानि नहीं है लेकिन हम जब इस सदन में कोई विधेयक बनाने की बात सोच रहे हैं तो हम यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे हानि होगी या नहीं। हमारा ध्येय यह है कि ऐसा कानून बनायें जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके, यदि हम संस्कृत के विद्वान् को कुलपति रख सकते हैं जिसके लिए यह संशोधन रखा गया है तो उससे विश्वविद्यालय का लाभ ही होगा और ऐसे संशोधन को हमें मानना चाहिए।

अभी कहा जा चुका है कि सरकार की ओर से स्वयं पहले बिल में जो धारा बनी थी उसमें यह विचार माना गया था। प्रवर समिति में जाने से पूर्व इसमें वही बातें थीं जो तिवारी जी ने आज संशोधन में रखी हैं, वह बात सरकार को भी मान्य थी लेकिन आगे चलकर ऐसी कोई विशेष बात सरकार के सामने आई जिसके कारण आज वह इस संशोधन को मानने को तैयार नहीं हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है जितने भी अन्य दल हैं विशेष कर कांग्रेस दल को छोड़ कर इस बात को बराबर कह रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में भी राजनीति घुसेड़ी जा रही है। इस बात को लेकर सरकार द्वारा कुछ न कुछ उस पर कंट्रोल रक्खा जाय इस बात को सोच कर सरकार ने फिर राज्यपाल को कुलपति बनाने की बात रक्खी है इस पर हमें ध्यान देना होगा। सरकार शिक्षा क्षेत्र में जो अधिक से अधिक राजनीति को रखने का प्रयत्न करती है यह बहुत उचित बात नहीं है। हम जानते हैं कि कई बार इस सदन में भी कहा गया है कि चांसलर राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले हैं और जो वहां की कोर्ट्स हैं, कोषाध्यक्ष हैं या अन्य सीट्स हैं उनमें मंत्रीगण या सरकारी अधिकारियों को रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह बात अनुचित भी नहीं है। इसके विरोध में कितने ही प्रकार से माननीय सदन में विचार रक्खे गये लेकिन सरकार की ओर से उसमें ध्यान नहीं दिया गया।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन रिपोर्ट कोई गीता नहीं है। ठीक है। इतने विचारवान लोग, देश के विद्वानों ने उस कमीशन में बैठकर अपनी एक राय दी और माननीय मंत्री की ओर से कहा जाता है यह कोई हमारे लिए गीता नहीं है। हम लोग तो इस उत्सुकता में थे कि अगर वह कोई गीता नहीं है तो माननीय मंत्री जी जैसे विद्वान् और महान् पुरुष अपनी वाणी से गीता का प्रचार करें तो हम लोक कृतकृत्य हो जायं लेकिन आज तक कोई गीता सुनने को मिली नहीं, कोई विचार प्राप्त हुए नहीं, दूसरी गीता बनी नहीं तो फिर जो कुछ विशेषज्ञों का एक निश्चित मत है जिन्होंने सारे विश्वविद्यालयों की कार्यवाहियों को और उनके द्वारा की गई सब प्रकार की बातों को देख कर यह राय दी है वह सरकार को मान्य होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब सरकार की ओर से ऐसा कमीशन बैठाया जाता है जो हर प्रकार की बातों को देखते हुए अपनी राय देता है। इसलिये कमीशन की रिपोर्ट और माननीय सदन के सदस्यों के विचार और सरकार की स्वयं उस विधेयक के सम्बन्ध में स्वीकृति इन तीनों बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें मैं जानता हूं कि बहुमत होने के कारण आज वह इसको उचित समझते हुए भी उसका विरोध कर सकते हैं और किसी विशेष बात के कारण कर सकते हैं लेकिन जिस वक्त यह विधेयक बना सरकार ने विचारों से प्रभावित होकर एक नया कदम उठाने का उसने निश्चय किया था लेकिन जो भी नया कदम उठाने का सरकार निश्चय करती है उसमें राजनीति खड़ी हो जाती है और उसके कारण पग फिर पीछे उठाना पड़ता है। कई कानून ऐसे हो चुके हैं जिनको सरकार ने पहले बनाया और फिर वापस ले लिया। उसी प्रकार यह भी ऐसा विधेयक

[श्री शारदाबख्श सिंह]

है जिसमें सरकार ने सारी बातों को देख कर नया कदम उठाया था और पुरानी परम्परा से हटकर और जो जनता की मांग थी उसको मान कर एक नया कदम उठाया लेकिन उसको उन्होंने वापस ले लिया। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि संशोधन सरकार स्वीकार करेगी।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---श्री रामसुन्दर पांडेय के बोलने के बाद ले लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। श्रीमान्, जिन व्यक्तियों ने इस संशोधन का विरोध किया है मैं समझता हूं कि उन लोगों ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण पर अपनी राय जाहिर नहीं की है और उनको पढ़ने का कष्ट भी नहीं किया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों से खास तौर से उधर जो बैठने वाले सरकारी बेंचेज के सदस्य हैं निवेदन करूंगा कि जरा सा कष्ट करके उद्देश्य और कारण को पढ़ें। मैं समझता हूं कि उसमें स्पष्ट कहा गया है, उसमें कोई शुबहा की बात नहीं है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति और उपकुलपति संस्कृत के आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों। इसमें श्रीमन्, साफ लिखा हुआ है कि संस्कृत का पंडित कुलपति हो, ऐसा अनिवार्य सा है। मैं समझता हूं कि जो पुराना विधेयक प्रवर समिति में जाने के पहले था वह विधेयक और उस विधेयक की यह १०वीं धारा इस उद्देश्य और कारण के अनुकूल थी। लेकिन यह धारा जो कुलपति के लिये जोड़ी गयी है यह धारा उद्देश्य और कारण के बिलकुल विपरीत है। प्रवर समिति के सम्बन्ध में श्रीमन्, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। प्रवर समिति की हालत वही होती है जो इस सदन में अच्छे से अच्छे संशोधन इधर से लाये जाते हैं और जिसका सरकार द्वारा सरकारी बेंचों में बैठने वाले सदस्यों द्वारा निरादर होता है। उसी प्रकार से प्रवर समिति में भी होता है। श्रीमन्, मैं अदब से कहना चाहूंगा अभी माननीय रणंजय सिंह जी ने आक्षेप किया इधर के बैठने वालों पर कि कुलपति को हटा कर के किसी दूसरे कुलपति को नियुक्त करना चाहते हैं। वह कुलपति ऐसा हो जो किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत हो। और अधिकतर इधर के खयाल के मानने वालों का हो। श्रीमन्, इधर के खयाल वालों की भावना.....

श्री रंणजय सिंह---श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरा अभिप्राय तो यह है कि यदि कुलपति कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता तब यह प्रश्न उठ सकता था। कोई राजनीतिक नेता होगा। लेकिन राज्यपाल से और राजनीति से कोई वैसा सम्बन्ध नहीं और इस दल के लिये भी नहीं कहा। क्या यह लोग चाहते हैं कोई बाहर का हो या उनके दल का हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, सारे प्रदेश में और देश में कांग्रेसी सरकारें जो हैं वे पार्टी विशेष की हैं। उसकी ओर से जितने प्रदेशों के राज्यपाल नियुक्त होते हैं मैं समझता हूं जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रदेश में तथा देश में किसी प्रदेश का ऐसा राज्यपाल कोई नहीं है जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य न रहा हो। और प्रदेशीय सरकारों के मन्त्रि मंडल का सदस्य रहा हो तथा कांग्रेस का जो नेता न रहा हो यह कह देना हम यह चाहते हैं।

एक सदस्य---मोदी साहब और महाराज सिंह कौन थे?

श्री रामसुन्दर पांडेय---मोदी साहब और सर महाराज सिंह कितने दिनों तक रहे। कैसे उन्होंने गवर्नर का काम किया, श्रीमन्, सारा प्रदेश जानता है। और मोदी साहब को

इस सरकार से कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, कितनी शासन काल में, शासन व्यवस्था में पाबन्दी उनको लानी पड़ी थी और उसी का कारण हुआ कि मोदी साहब को अलग होना पड़ा था। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस की सरकार जो है वह राजनीति को छोड़ कर के विश्वविद्यालयों में चाहती है कि पठन पाठन हो। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बार नहीं श्रीमन्, बीसों बार कहा है कि हम इसको नहीं मानते हैं कि राजनीतिक खयाल हमारे विश्वविद्यालयों में न रहें। हम नहीं मानते हैं कि हम जो ग्रान्ट देते हैं तो हमारे पक्ष का आदमी विश्वविद्यालयों में न रहे। इसको तो हरगोविन्द सिंह जी बीसों बार दोहरा चुके हैं और उधर से सफाई दी जाती है कि हम राजनीतिक बातें बिलकुल नहीं चाहते हैं। बिलकुल ग़लत बातें की जाती हैं। मैं जानना चाहूंगा आप के प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, इस सरकार के पहले सभी विश्वविद्यालयों के गवर्नर कुलपति होते रहे हैं, लेकिन सरकार एक भी उदाहरण पेश करे कि कांग्रेसी सरकार की हुकूमत के पहले हमारे विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते थे और आज के कुलपति उस प्रकार से व्यवहृत होते हैं और विश्वविद्यालयों में आज की जो अनुशासनहीनता, जो आज पार्टीबन्दी है, आज जो नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है, क्या अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। उसका एक ही कारण है और दूसरा कारण नहीं हो सकता है कि कांग्रेसी हुकूमत हर जगह श्रीमन्, दांव पेंच से, राजनीतिक भावना से ओतप्रोत हो करके कुलपति को आसन देना चाहती है। इसलिये देना चाहती है कि सरकार जो जो कहेगी कुलपति उसको अक्षरशः मानते हैं। मैं श्रीमन्, यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इस सदन में कई विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव आये हैं, विवाद होते हैं तो माननीय शिक्षा मन्त्री और मुख्य मंत्री कहा करते हैं कि विश्वविद्यालयों के शासन प्रबन्ध से मेरा कोई मतलब नहीं है। वह तो कुलपति का काम है। लेकिन श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कुलपति कोई आचार्य नरेन्द्र देव जी ऐसा आदमी होता, कुलपति डाक्टर भगवान दास जी ऐसे व्यक्ति होते, कुलपति कोई ऐसा आदमी होता जिसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष वाले भी उंगली न उठाते, उनकी ईमानदारी, उनके त्याग, उनकी निष्पक्ष भावना के सम्बन्ध में। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी एक पार्टी से सम्बन्धित थे, उनका एक सिद्धान्त था लेकिन मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री से कि लखनऊ तथा बनारस के विश्वविद्यालय में जब वह कुलपति थे तो वहां कभी भी क्या उन्होंने अपने पद का उपयोग अपनी पार्टी के संगठन के लिये किया।

श्रीमन्, जब हमारे ऐसे व्यक्तियों द्वारा इस सम्बन्ध में, कुछ कहा जाता था तो वह कहा करते थे कि यूनिवर्सिटी इसलिये नहीं है कि उसे राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाय। लेकिन सरकार की ओर से कुलपति की नियुक्ति करके श्रीमन्, जो उद्देश्य है उसका उलटा कर के यह साबित किया जा रहा है कि कुलपति की नियुक्ति हमारे प्रदेश में ऐसे लोगों की की जाय, ऐसे अधिकारी उसके रखे जायं जो एक पार्टी विशेष से सम्बन्धित हों, वह पार्टी सरकार चलाती हो, सरकार जो कहे उसकी पाबन्दी वह करें। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। कहा जाता है कि इस प्रकार का कुलपति जो संस्कृत का पंडित हो शिक्षा विद् हो कहां मिलेगा। श्रीमन्, आप जानते होंगे एक मर्तबा शिक्षा मंत्री ने, माननीय उपमन्त्री शिक्षा मौजूद हैं, उनको भी जानकारी है, जब इसका सवाल आया कि कुलपति राज्यपाल न हों, कोई बाहर का आदमी इस काम के लिये रखा जाय तो फिर शिक्षा मंत्री जी ने हमसे सवाल किया कि तुम बताओ तो सही तुम्हारी नजरों में कोई इस प्रदेश में, देश में ऐसा व्यक्ति है जो कुलपति बनाया जा सके? श्रीमन्, हमने कई शिक्षा विदों के नाम उपस्थित किये लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी की नजरों में वे लोग ठीक नहीं उतरे।

श्री रणंजय सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, क्या वहां प्रवर समिति की बात यहां पर कही जा सकती है?

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैंने प्रवर समिति का नाम कहां लिया है? प्रवर समिति का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। लेकिन माननीय रणंजय सिंह जी को याद आ

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

गई बात वही। मैं समझता हूं कि सरकार को इतना भरोसा रखना चाहिये। इस प्रदेश तथा देश में ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो श्रीमन्, राज्यपाल से भी अधिक शिक्षा विद् हो सकते हैं। आज के प्रदेशों के राज्यपाल जो हैं उनसे बढ़ कर प्रकांड विद्वान, हर विषयों के विद्वान बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर बैठे हुये जो विद्वान हैं उनकी विद्वता का सरकार कुछ कायल नहीं है, असर सरकार के ऊपर नहीं है। इसीलिये सरकार के शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति का भरोसा नहीं करते हैं कि राज्यपाल के बाद इस प्रदेश में कोई कुलपति का स्थान ग्रहण करने वाला है। श्रीमन्, कहा जाता है माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कहते हैं और आज माननीय रणंजय सिंह जी ने भी कहा कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में यदि गवर्नर कुलपति नहीं होगा तो उसकी प्रतिष्ठा कोई ज्यादा नहीं होगी। श्रीमन्, मैं कैसे इसको कहूं। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते, शिक्षा मंत्री जी कहते तो बात समझ में आती लेकिन माननीय रणंजय सिंह जी ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित हो, एक स्थान जो कुलपति का है उसी से प्रभावित हो कर माननीय रणंजय सिंह जी ऐसा कहते हैं, उसके व्यक्तित्व, उसकी विद्वत्ता, उसके पांडित्य पर वह नहीं जाते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति कैसा हो? राज्यपाल हो। राज्यपाल यदि संस्कृत जानता न हो, सिर्फ अंग्रेजी जानता हो और कुलपति बना दिया जाय संस्कृत विश्वविद्यालय का। तो कुलपति राज्यपाल को बना कर सरकार यह साबित करना चाहती है कि जिस विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल नहीं होगा उसकी इज्जत हमारी नजरों में नहीं होगी। सरकार की नजरों में भी श्रीमन्, कुलपति की इज्जत तभी होगी जब राज्यपाल कुलपति होगा। दूसरी जगह का आदमी बाहरी व्यक्ति जो शिक्षाविद् होगा अगर वह कुलपति का स्थान ग्रहण करता है तो सरकार की नजरों में उस कुलपति की इज्जत नहीं होगी। माननीय रणंजय सिंह तो स्वतंत्र विचार के व्यक्ति हैं, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जबकि श्रीमन्, आप जानते होंगे कि साधारण बहस में--माननीय काटजू साहब मौजूद नहीं हैं, माननीय नवलकिशोर मौजूद नहीं हैं, दोनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार को चाहिये था कि राज्यपाल को कुलपति न रख करके एक दूसरा योग्य व्यक्ति रख कर एक आदर्श उपस्थित करती, अपने प्रदेश में एक नया सिस्टम रखने की बात सोचती जिससे लोगों को मालूम होता कि राज्यपाल के अलावा भी जब कोई दूसरा कुलपति बनता है तो सरकार का व्यवहार वैसा ही उस संस्था के साथ होता है। नवल किशोर जी तथा काटजू जी और दूसरे स्वतंत्र विचारों के व्यक्तियों का कहना है कि राज्यपाल कुलपति नहीं होना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में माननीय नारायणदत्त जी की बात न मानते, शारदा बख्श सिंह जी की बात न मानते, राजनारायण सिंह जी की बात न मानते, लेकिन शिक्षा मंत्री नवल किशोर जी और शिवनाथ काटजू जी की बात तो मान लेते कि उन्होंने इस कुलपति के सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किया है। मगर सरकार हठवादिता से काम लेती है। सरकार को श्रीमन्, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस रास्ते पर आ जाना चाहिये कि संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में ऐसे लोगों का नाम देना चाहिये जो सही मानों में शिक्षाविद् हों, जिनको राजनीति से इतनी लगन और उत्साह न हो जितना कि उधर के बैठने वाले सदस्यों को है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिये ऐसे कुलपति के नियुक्त करने का है जो शिक्षाविद् होगा, पंडित होगा, संस्कृत का ज्ञाता होगा; ऐसा नहीं होगा कि जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी जानता हो और संस्कृत विद्या को अच्छी निगाह से नहीं देखता हो। राज्यपाल, श्रीमन्, हमारे के० एम० मुंशी हैं। वह संस्कृत जानते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि आगे भी हमारे प्रदेश में के० एम० मुंशी जैसे राज्यपाल ही आयें। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, अन्य लोग भी हो सकते हैं जोकि हमारे प्रदेश के राज्यपाल बन जायं।

श्रीमन्, एक बात कहना चाहूंगा, जो नारायणदत्त जी कहा करते हैं कि विश्वविद्यालय कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि कुलपति का स्थान राज्यपाल को अधिक नहीं देना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं श्रीमन्, कुलपति का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारे इस प्रदेश में

८ विश्वविद्यालय होने जा रहे हैं। ८ में से ६ के मालिक, कुलपति राज्यपाल हैं और सारे प्रदेश में जो हो रहा है उस सारे काम-काज के मालिक हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की एक जिम्मेदारी है और कुलपति की जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई भी समाज जब उसकी शक्ति के बाहर, उसके कंधे के ऊपर जितना बोझ डाला जा सकता है उसके बाहर उस पर ज्यादा बोझ डाला जायगा तो मानी हुई बात है कि उस बोझ को वह वहन नहीं कर सकेगा और वह उसको गिरा देगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, अन्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनके ऊपर इतना काम हमारे प्रदेश की सरकार केन्द्र की सरकार सुपुर्द करती चली जा रही है जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि राज्यपाल मजबूर हो कर सारे कामों को देखता नहीं है। वे कानूनों को नहीं देखते हैं, प्रदेश के शासन को नहीं देखते हैं, विश्वविद्यालयों के कामों को नहीं देखते हैं और उसके कारण अराजकता फैलती है और गलत-गलत कानून बनते हैं। हाईकोर्ट में जिन कानूनों के खिलाफ रिट दाखिल होते हैं उन कानूनों को भी सरकार बनवाये बगैर नहीं मानती है और बनाती है। हमारे प्रदेश के राज्यपाल पर इतना काम लादा जा रहा है कि उसको करने में वह संलग्न रहते हैं। हो सकता है कि सरकार कहेगी कि आप की भी जिम्मेदारी है। मेरा विचार यह है कि हमारे प्रदेश में जो काम-काज है वह सारे का सारा गवर्नर के सिपुर्द है। उसके कंधे पर इतना बोझ लादा जाना प्रमाणित करता है कि सारी जिम्मेदारी गवर्नर की है और सरकार गवर्नर की आड़ में अपनी राजनीति के दांव पेंच पूरे करना चाहती है। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी हठवादिता से काम न लेगी और इसको मान लेगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो रामसुन्दर पांडेय जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है यह महत्वपूर्ण विधान का प्रश्न है और इस खंड पर या संशोधन पर विचार करने से पहले मैं इसमें जरूरी समझता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अपनी राय दे दें। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं उनके विपरीत यह खंड जा रहा है। हमारी नियमावली के नियम ९० के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी विधेयक के आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पूरे होने चाहिये, इसके उद्देश्य और कारणों में जो तीसरा पैरा है, इसकी अंतिम पंक्ति देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है कि "विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके कुलपति तथा उपकुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परानुगत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके"।

श्रीमन्, इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स में यह है कि इस विश्वविद्यालय के चांसलर और वाइस-चांसलर दोनों ही संस्कृत और आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों, इसको पूरा करने के लिए जो आगे खंड है उसमें यह रख दिया गया है। इसके उद्देश्य प्रवर समिति के सम्मुख गये हैं और उसने वाराणसेय कर दिया है। कुलपति के लिए इस खंड में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे और विधान के अनुसार राज्यपाल को प्रेसीडेंट नियत करते हैं तो कहीं नहीं लिखा है कि जब प्रेसीडेंट राज्यपाल को नियत करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि गवर्नर के लिए संस्कृत भाषा का विद्वान् होना जरूरी होगा। इसमें तो खाली पावर दी गयी है कि प्रेसीडेंट नियत करेगा। लेकिन खंड १० इसके उद्देश्य के खिलाफ जाता है। उद्देश्य के अनुसार खंड होता है न कि खंड के अनुसार उद्देश्य होता है। इसलिये जब तक यह पुनर्संशोधित न हो या सरकार मंतव्य प्रदर्शित न करे तब तक विचार न हो या स्पष्टीकरण इस सम्बन्ध में किया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती है। जो बिल लेजिस्लेचर के सामने पेश किया गया था, उसके जो आब्जेक्टस और रीजन्स थे उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अनुसार वह था। इसके बाद यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास गया और लेजिस्लेचर की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी इसके लिये बाध्य नहीं है कि वह इसमें कोई चेंज न करे। और वह इसके लिये भी वाध्य नहीं है कि चेन्ज आब्जेक्ट्स और रीजन्स के अन्दर ही हों। आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स को तो वह नहीं चेंज कर सकती है लेकिन बिल के खंडों को लेजिस्लेचर की कमेटी चेंज कर सकती है। लिहाजा लेजिस्लेचर की कमेटी ने चेंज किया है। इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं पैदा होता है।

दूसरी बात यह कि आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स किसी बिल का पार्ट नहीं हुआ करता। आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स सिर्फ़ यह दिखलाते हैं कि हम क्यों बिल ला रहे हैं। वह लेजिस्लेचर की इन्फार्मेशन के लिये होता है वह कोई बिल का पार्ट नहीं होता। इसलिये भी कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज़ हो सकता। यह आपत्ति बिलकुल निर्मूल है।

श्री राजनारायण—मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ज प्वाइंट आफ आर्डर मैं उठाने जा रहा था माननीय नारायणदत्त जी ने उसको उठा दिया। हमने उनको बता भी दिया था। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ऐसी अनोखी युक्ति यहां दे दी, मैं समझता हूं उस पर आपको तो बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा और इस सदन को तो आश्चर्य है ही। अब ऐसी अनोखी-अनोखी युक्तियां उनके मस्तिष्क से निकला करती हैं कि मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाया करता हूं। श्रीमन्, आप देखते हैं कि जब भी कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है और यदि यह प्रस्ताव होता है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो बराबर यह प्रश्न उठा है कि जो उद्देश्य और कारण रहा है उसी के अन्दर ही सेलेक्ट कमेटी उसमें संशोधन कर सकती है और आप याद करें कि एक बार स्वतः आप ने व्यवस्था दी है मेरे संशोधन पर क्योंकि मैंने यह कह दिया था कि सेलेक्ट कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि उद्देश्य और कारण के स्कोप को भी बढ़ा सके। उस समय तो आपने ऐसी व्यवस्था दे दी कि नहीं, मगर बाद में जब अध्यक्ष महोदय आये और पार्लियामेंट की रूलिंग्स दी गयीं तो उन्होंने यह कहा कि हां, उद्देश्य और कारण को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैं यह देखता हूं कि यदि उद्देश्य और कारण कोई अहमियत रखने वाली चीज न होती किसी बिल के साथ और वह व्यर्थ ही जोड़ दी जाती, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी कहा, तब तो कुछ कहना ही नहीं था और उनका तर्क ठीक होता। इसीलिये मैं कहता हूं कि उद्देश्य और कारण अपना एक खास स्थान रखते हैं। उनमें जो स्कोप दिया जाता है उसके विपरीत विधेयक की भाषा और विधेयक की धारा नहीं जा सकती। यह सर्वमान्य पार्लियामेंटरी सिस्टम है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने न मालूम कहां से अपनी युक्ति निकाल दी कि उद्देश्य और कारण किसी विधेयक के अंग नहीं हुआ करते। खैर, यह वही कह सकते हैं शिक्षा मंत्री होते हुये।

अब मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इसको देखा जाय कि जब यह संयुक्त प्रवर समिति में भेजा गया तो क्या प्रस्ताव आया था? क्या इसके स्कोप को बढ़ाने का प्रस्ताव आया था? श्रीमन्, उसे मंगाया जाय और इसके स्कोप को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं आया था तो संयुक्त प्रवर समिति उसी स्कोप के अन्दर ही इसमें संशोधन कर सकती है, उस स्कोप के बाहर नहीं जा सकती। यह संयुक्त प्रवर समिति के अधिकार सीमा के बाहर की बात है।

श्रीमन्, एक दूसरा तर्क भी हमारा है कि यदि उद्देश्य और कारण के स्कोप को बढ़ाने की बात उस समय थी जब कि संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव हुआ था तो संयुक्त प्रवर समिति ने इसके स्कोप को नहीं बढ़ाया जैसा कि नारायणदत्त जी ने संकेत किया कि जहां बनारस शब्द है वहां पर वाराणसी कर दिया गया है, यह संयुक्त प्रवर समिति ने किया है। मगर ये कुलपति और उपकुलपति कैसे हों, इसके स्कोप को उद्देश्य और कारण में संयुक्त प्रवर समिति ने नहीं बढ़ाया है। उसने कोई संशोधन नहीं किया है। संयुक्त प्रवर समिति से जो विधेयक हमारे सामने वापस हो कर आया विचारार्थ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, श्रीमन्, तीसरे पैरे की तीसरी लाइन नीचे से देखिये। उद्देश्य और कारण में यह व्यवस्था की गयी है कि इसका

कुलपति और उपकुलपति संस्कृत तथा ज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों के संचालन को आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परागत प्रणाली में विद्यमान विशिष्टताओं से भी लाभ उठाया जा सके। यह स्पष्ट उद्देश्य और कारण में वर्णित है। उसके रहते हुये शिक्षा मंत्री जी का यह तर्क बिलकुल अनर्गल है कि उद्देश्य और कारण का कोई महत्व नहीं है किसी विधेयक के लिए। मैं समझता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी भी हमारे समर्थन में खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि वह भी हमारे ओर देख रहे हैं। इसलिये मैं इस विषय पर आप की रूलिंग चाहता हूं क्योंकि जब आप अपनी रूलिंग दें तो इन सब बातों को अवश्य देख लें। आप चाहें तो इस समय इस पर विचार करना छोड़ दें। इसका स्वयं अध्ययन कर लें, अध्यक्ष महोदय से भी समझ लें और पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी देख लें। इस समय इसका विचार स्थगित हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। इस निवेदन के साथ मैं यह कहूंगा कि यह जो वैधानिक प्रश्न उठाया गया है वह सही है और इसकी उपेक्षा करना उद्देश्य और कारण की उपेक्षा करना होगा और उसको निर्मूल करना होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वैधानिक आपत्ति को अपनी जगह सही मानें और हमारी वैधानिक आपत्ति यह है कि उद्देश्य और कारण में जो कुलपति और उपकुलपति की व्यवस्था बताई गई है उसके प्रतिकूल यह धारा जा रही है।

विधेयक की धारा में कुलपति के लिये स्पष्टतया कहा गया है जो वह आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जानने वाला या संस्कृत का विद्वान् हो ऐसी शर्त नहीं रखता। विधेयक की धारा साफ कह रही है कि राज्यपाल चाहे उसे संस्कृत का ज्ञान हो या न हो, चाहे उसे अंग्रेजी का ज्ञान हो या न हो, वह चाहे हिन्दी लिख भी न सकता हो क्योंकि संविधान में राज्यपाल के लिए कहीं नहीं लिखा है कि यह सब जानने वाला हो। ऐसे राज्यपाल के लिए कह दिया जाता है कि वही कुलपति होगा और उद्देश्य और कारण में साफ लिखा है कि कुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो तब उसके बिलकुल विपरीत यह धारा जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक के इस अंश पर विचार करना इस समय स्थगित किया जाय और इस पर अच्छे तरीके से सदन का मत जाना जाय, पार्लियामेन्टरी सिस्टम पर विचार किया जाय क्योंकि जो पार्लियामेंटरी प्रणाली प्रचलित है उसके विपरीत जाता है और इस सदन में जो व्यवस्थायें हो गयी हैं उनके भी विरुद्ध जा रहा है तो ऐसे अंश पर इस समय विचार न किया जाय तो अच्छा है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यह वैधानिक आपत्ति जो उठाई गई इसको मैंने पहले ही देखा था और इसके पूर्व ही मैंने इस रूप में नहीं बल्कि इस सदन में पढ़ कर सुना चुका था कि इसमें इतनी चीजें असंगत हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स जो हैं वह किसी एनैक्टमेंट के या किसी ऐक्ट के पार्ट नहीं होते हैं यह तो अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा उसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। यह कानूनी चीज है लेकिन साथ ही साथ मुझे जो आपत्ति है वह इस ढंग की है कि संयुक्त प्रवर समिति ने जो इसमें संशोधन किया है वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस सम्मानित सदन को यह अधिकार है कि इसके प्रतिकूल भी कोई संशोधन इस विधेयक में ला सकें और ऐसे संशोधन सदन में पारित किये जा सकते हैं। लेकिन जहां तक सेलेक्ट कमेटी का प्रश्न उठता है श्रीमन्, उसके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि वह इस स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स के विरुद्ध जा सके और इसके रहते हुये उसमें कोई ऐसी चीज प्रवेश करा सके जो इससे असंगत हो और इसके विरुद्ध हो। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं उनकी दलील को तस्लीम करता हूं, स्वीकार करता हूं और जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह ठीक है कि यह उद्देश्य और कारण किसी ऐक्ट का पार्ट नहीं बनता। ऐक्ट कल पास हो जाने के बाद स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स उसका पार्ट ऐण्ड पार्सल नहीं माना जायगा लेकिन अपनी जगह पर यह भी सत्य है कि प्रवर समिति को यह कोई अधिकार नहीं था कि इस तरह का संशोधन वह कर सके, जब तक कि यह अधिकार इस सदन द्वारा उसको न दिया गया हो और जहां तक हाउस का संबंध है उसमें कोई आपत्ति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह].

नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इस तरह का संशोधन ले आयें और उसको सदन स्वीकार कर ले तो उसमें कोई वैधानिक कठिनाई नहीं हो सकती है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जरा इसको समझ लीजिये इसमें अन्तर है। जैसा कि माननीय मित्र राजनारायण जी ने और श्री नारायण दत्त जी ने कहा, मैं उन से इसमें सहमत नहीं हूं कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में और रीज़न्स बिल का पार्ट और पार्सल होगा और मैं समझता हूं कि इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको मानते हुये भी प्रवर समिति को यह अधिकार नहीं था कि वह इस प्रकार का संशोधन करे। यह हो सकता है कि सदन इसके लिये दूसरा संशोधन लाये और अगर वह संशोधन सदन स्वीकार करे तो यह हो सकता है। लेकिन जब तक सदन द्वारा सेलेक्ट कमेटी को इसके लिये अधिकार न दिया जाय, यह उचित नहीं था। यही मेरा कहना है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि यह वैधानिक आपत्ति क्यों उठायी गई और चूंकि नारायणदत्त जी ने उठाई इसलिये मैंने जरा उसे गौर से देखा। माननीय राजनारायण जी को तो तकरीर करने का मौक़ा मिल गया। स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट और रीज़न्स जो होता है वह एक ऐसी चीज़ है कि जिसको माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि वह विधेयक का अंग नहीं है। मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का नाम तो बहुतों ने सुना होगा लेकिन किसी भी पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में, किसी भी प्रणाली में उद्देश्य और कारण को विधेयक का अंग नहीं मानते। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीज़न्स जो होता है वह तो एक ऐसी चीज़ है कि जब गवर्नमेंट कोई बिल पेश करती है तो हाउस को यह बताने के लिये कि वह ऐसा क्यों कर रही है, वह उसमें एक भूमिका सी लगा देती है। उसके बाद जिस समय वह विधेयक हाउस के सम्मुख आता है, उस पर विचार होता रहता है, उस विचार के सिलसिले में जो भी कुछ परिवर्तन हाउस कर दे, प्रवर समिति कर दे, प्रवर समिति को करने का अधिकार था या नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन प्रवर समिति ने जो उचित समझा अपना विचार इस सदन के सम्मुख रख दिया और उसने जो कुछ कहा उस पर सदन विचार कर रहा है और यह विचार करते समय जो कुछ भी संशोधन यह सदन कर दे वह ही उसमें प्रविष्ट हो जायंगे स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स के संशोधन हो जायंगे। चुनांचे जब गवर्नमेन्ट कोई स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्टस और रीजन्स देती है, उसका जो लक्ष्य रहता है उसके बाद जो जो संशोधन सदन करता जाता है वह उस सीमा तक स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीज़न्स में होती जाती हैं या स्टेम हो जाते हैं और इसमें वैधानिक आपत्ति की कोई चीज़ नहीं है और न ऐसी कोई बात है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इसके उद्देश्यों की बात है उनकी रक्षा विधेयक में कर दी गयी है। इसमें लिख दिया गया है कि " "as an educationist or as a scholar in Sanskrit or Indology to be Kulpati अब रहा यह कि चांसलर ऐसा होता है या नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह बात कुछ ज्यादा शोभनीय नहीं होगी। हेड आफ दि स्टेट कुछ पढ़ा लिखा होगा या नहीं इस बात की चर्चा करना मैं समझता हूं कि यहां शोभनीय न होगा। एक परम्परा सी चली आ रही है कि हेड आफ़ दि स्टेट के बारे में इन चीजों की आलोचना नहीं करनी चाहिये। कुछ एक ट्रेडीशन हो गया है जो स्वीकृत माना जाता है। क्या यह मुमकिन है कि हेड आफ़ दि स्टेट कभी गंवार आ जाय? तो यह बात उनकी मर्यादा के विरुद्ध होती है। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। क्योंकि स्टेट के हेड की मर्यादा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीज़न्स को ले कर विधेयक के ज़रूरी क्लाज का हनन करना अवैधानिक है और यह अवैधानिक बात नहीं हो सकती। इसलिये यह वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है माननीय परिपूर्णानन्द जी की बात सुन कर। इस तरह से वे इस बात को टालना चाहते हैं कि हेड आफ दि स्टेट के सम्बन्ध में कुछ न कहना उचित होता है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह महज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुलपति के सम्बन्ध में कहा जा रहा है। हेड आफ दि स्टेट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स किसी बिल के साथ रखा जाता है तो उद्देश्य क्या है इसका बाद को पता चल सके, उससे उद्देश्य का पता चल जाता है कि गवर्नमेंट का क्या मन्शा है इस बिल को इन्टरोड्यूस करने का। उनका जो यह कहना है कि बाद में इस तरीके से वह एजेन्डे को समाप्त कर के संशोधन ले आयेंगे तो मैं समझता हूं यह उनका भ्रम है। उनको यह बात अपने ला डिपार्टमेंट से समझ लेनी चाहिये। जब तक यह चीज सेलेक्ट कमेटी में न जाय इसका अधिकार नहीं हो सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात निवेदन करनी है और वह यह है कि उद्देश्य और कारणों का स्थान किसी विधेयक में उस अधिनियम का अंग नहीं होता है यह तो मैं मानने के लिये तैयार हूं और इसको स्वीकार करता हूं कि उद्देश्य और कारण जो हैं वह किसी विधेयक की व्यवस्था का स्थान नहीं ले सकते लेकिन उद्देश्य और कारणों का अपना एक स्थान होता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता और वह स्थान यह है कि उससे यह मालूम होता है कि उसका क्या सिद्धांत है जिसके आधार पर इस बिल का निर्माण किया गया है। क्या उसके उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति के लिये इस विधेयक का निर्माण किया गया है और इसलिये किन कारणों से उन सिद्धान्तों की या उस आदर्शों की पूर्ति की जाती है जिस आधार पर वह बनाये जाते हैं ? इन उद्देश्यों और कारणों का अपना एक स्थान होता है। ऐसी दशा में कोई भी संशोधन उद्देश्य के विरुद्ध होता है तो सिद्धान्त का विरोध होता है। इसलिये विधेयक का उद्देश्य चाहे अधिनियम का अंग भले ही न हो लेकिन कोई भी संशोधन यदि उद्देश्य के विरुद्ध हो जाता है तो वह बिल के बनाये उद्देश्य के ही विरुद्ध हो जाता है। अगर कोई उद्देश्य फेल हो जाता है तो उस उद्देश्य का महत्व नहीं रहता। किसी संशोधन से किसी भी विधेयक के उद्देश्य यदि विफल होते हैं तो वे उसके संशोधन सिद्धान्त के विरुद्ध है इसलिये वैध नहीं होने चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं जिसकी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री और परिपूर्णानन्द जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के पेज दूसरे को देखें उसमें सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है "जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा बढ़ाया विषय रेखांकित है और निकाला हुआ विषय कोष्टकों में है" तो इस उद्देश्य और कारणों को दूसरी लाइन में एक तो "के" शब्द को बढ़ाया गया है। दूसरे बनारस शब्द को "वाराणसी" किया गया है, एक कोष्टक में है, बाकी रेखांकित है। हमने यह कभी नहीं कहा "कि उद्देश्य और कारण" में भी बिल की तरह से वोटिंग ली जाती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य के विपरीत हम नहीं जा सकते हैं। अगर उद्देश्य है कि बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल बनाया जायगा और हम बिल बनाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो क्या ऐसा हो सकता है ? सरकार ने जो उद्देश्य घोषित किये हैं उन्हीं के अनुसार विधेयक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी गलती महसूस करेंगे। वह कहते हैं कि ग़लती के कारण उद्देश्य और कारण में संशोधन होना रह गया है। लेकिन वह फिर कहते हैं कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स का कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी बात पर दृढ़ हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में अच्छी प्रकार से विचार करके कल रूलिंग दे दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग होगी। इसमें आप जल्दी रूलिंग देने की कृपा न करें क्योंकि यह आइन्दा के लिये पार्लियामेंटरी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंटरी काम होगा। इसमें यह बात निहित है कि उद्देश्य और कारण का विधेयक से क्या सम्बन्ध है। इसलिये आप इस सम्बन्ध में बहुत सोच-विचार कर रूलिंग देने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करने के लिये आपकी आज्ञा चाहता हूं।

एक सदस्य—बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री राजनारायण—शांत। दे आर नाट दी डिक्टेटर्स हीयर। दे शुड नो हाऊ टू बिहैव इन दी हाउस। बारबैरिज़म मस्ट बी मेट विद बारबैरिज्म (They are not the dictators here. They should know how to behave in the House, Barbarism must be met with barbarism.

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य राजनारायण जी, उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा बोलने की आज्ञा न देते हुये भी बोलते रहे। इस भवन की प्रतिष्ठा की उन्होंने अवहेलना की और बार-बार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। यह प्रश्न उठा रहा हूं कि उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है।

श्री राजनारायण—मैं एक दूसरा प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जावें।

मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि "उद्देश्य" विधेयक का ऐसा अंग नहीं है जो कानूनी सूरत में अंग माना जाय। ऐसी सबकी राय है। पर इतना जरूर है कि इसके बाहर भी कोई कानून बनाया जा सकता है या नहीं। इसमें संदेह नहीं इस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का एक नियम, एक रूलिंग, शायद इसके विचार में कुछ सहायता दे सके। इस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"The objects of a bill are stated in its long title which should cover everything contained in the bill, as introduced, and any amendment, which is inside the title of the bill, is in order. Moreover, the committee is empowered by S. O. no. 4o to make amendments "relevent to the subject matter of the bill", provided that, where such amendments are outside the title, the committee extends the title so as to cover them.

तो मैं समझता हूं कि इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता जरूर है। इन बातों को देखते हुये हम इस पर विचार इस वक्त स्थगित कर दें और आगे बढ़ें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करने का मौका चाहता हूं। यह गलतफहमी कुछ हो गयी है दिमाग में क्योंकि माननीय पालीवालजी, नारायणदत्त जी और अवधेशप्रताप जी बोले, कि उद्देश्य और कारण विधेयक का कोई अंग नहीं है। यह बात ठीक नहीं है, उद्देश्य और कारण विधेयक के अंग होते हैं अधिनियम के नहीं होते। विधेयक और अधिनियम में अन्तर है मैं समझता हूं कि वह कानून का अंग नहीं है बल्कि वह विधेयक का अंग है और इसीलिये वह विधेयक के साथ आते हैं और वह इसीलिये आते हैं कि उस को देखते हुए संशोधन आये और उसी को लेकर अंतिम रूप में कानून बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने जो प्रार्थना की है उस के विषय में आप कल व्यवस्था देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—हां, कल दे दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य आप से कुछ प्रार्थना करना चाहता हो तो कोई दूसरा माननीय सदस्य उनसे बैठने के लिये कह सकता है और उनके न बैठने पर सदन में शोर मचा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--हां, वह अपनी बात कह सकता है।

अच्छा तो खंड १०, १०-क व ११, स्थगित किये जाते हैं।

(खंड १०, १०-क एवं ११ पर विचार स्थगित हुआ।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अभी माननीय सदस्य श्री राम जी सहाय ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था उस पर आप ने कोई निर्णय नहीं दिया। हम जानना चाहते हैं कि आप ने क्या निर्णय दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं निर्णय देने की कोई आवश्यकता नहीं।

खण्ड १२

उपकुलपति के अधिकार और कर्तव्य।

१२--(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति तथा प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति में शिष्ट परिषद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था (body) के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण उसे उस (सभा) में मत देने का अधिकार न होगा।

(२) उपकुलपति का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३७ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उपकुलपति को शिष्ट परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और उनमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कर सकता है और जब आवश्यक हो उसे निलंबित (suspend) भी कर सकता है। यदि उपकुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और मामला उसके मतानुसार--

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे, उसकी जांच करेगा।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उपकुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उपकुलपति तथा जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली संस्तुति के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो, तो संस्तुतियां बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायंगी। कार्यकारिणी परिषद् प्रतिवेदन (report) में की गयी संस्तुतियों के अनुसार---यदि वह उनसे असहमत नहीं है---आज्ञा देगी। असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी संस्तुतियों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेंगे जिसे वह उचित और आवश्यक समझें।

(७) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उपकुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक (budget) में न की गयी हो।

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, ३० दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील कर सकता है।

(९) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञाओं को, पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, उपकुलपति कार्यान्वित करेगा।

(१०) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) व (६) निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि मैंने जो वैधानिक प्रश्न उठाया था उस पर आप ने निर्णय देने की कृपा की और आशा है कि कल आप निर्णय देंगे और अब वह स्थगित हो गये। यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह इस दृष्टिकोण से किया गया है कि वाइस चांसलर महोदय को किसी अध्यापक के खिलाफ किस प्रकार की अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार मिलना चाहिये और किस प्रकार का नहीं मिलना चाहिये। इस तरह के उपखंड (५) व (६) पहले किसी विश्वविद्यालय के ऐक्ट में नहीं थे उनकी शुरुआत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल से हुयी जिस में कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट सिफारिश के आधार पर, एक गलत तरीके से जबकि मूथम कमेटी ने उस की सिफारिश नहीं की थी लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी ओर से यह व्यवस्था कर दी की उपकुलपति को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार के अधिकार दिये जायं कि एग्जाक्यूटिव कौंसिल की बिना सलाह के किसी अध्यापक के विरुद्ध या किसी वैतनिक पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कर सकता है पहले ऐसी व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय बिल में नहीं थी। अब भी आप अगर उपखंड (५) व (६) को देखें तो उस में वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापकों को २ श्रेणियां बना दी गयी हैं एक तो वह जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड देना आवश्यक हो। और दूसरी श्रेणी में यह है कि जिनको कि सस्पेंड करने या हटाने की आवश्यकता हो। तो यहां पर एक कमेटी दो व्यक्तियों की रख दी गयी है जो वाइस चांसलर के साथ बैठकर अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करेंगे। यह दूसरी स्थिति भी रख दी गयी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की आवश्यकता संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या है। क्या सरकार यह समझती है या सरकार को इतना अविश्वास है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में भी ऐसी सारी परिस्थितियां पैदा हो जायंगी जो कि वांछनीय नहीं हैं। अगर हम एक ओर इस बात का दावा करते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार जो संगठित विश्वविद्यालय हैं उनकी प्रणाली से भिन्न नहीं होगी तब तो बात दूसरी है। हमने इस विधेयक में फैकल्टीज की कोई गुंजाइश नहीं रक्खी है, हेड आफ दी डिपार्टमेंट की गुंजाइश नहीं रखी है। हमने ऐसे लोगों को भी अध्यापक माना है जो सीधे विश्वविद्यालय की नौकरी में नहीं हैं।

विश्वविद्यालय के ऐसे भी अध्यापक हो सकते हैं जो अपने घर पर बैठे रहें। दो सौ तीन सौ मील दूर पर बैठे हुये भी वे विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। उनको हमने अध्यापक के नाम से परिभाषित किया है। ऐसे अध्यापकों के प्रति कौन सी कार्यवाही होने जा रही है। क्या उन पर इन प्राविजन्स को लागू करना संभव है जबकि उपखंड ५ और ६ के अनुसार जिन पर कि यह आस्था रक्खी गयी है और जब कि उपखंड ७ नीचे रखा हुआ है। उपखंड ७ में उपकुलपति को इमर्जेन्सी पावर्स दी हुयी हैं। किसी आकस्मिक स्थिति के आ जाने पर उपकुलपति को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जिसे उचित समझें और उसे कार्यकारिणी समिति के सामने रख सकते हैं लेकिन उपखंड ५ और ६ में उपकुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जिसमें कार्यकारिणी की सम्मति न हो। इस प्रकार की असाधारण ली जाने वाली शक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये शोभनीय नहीं है जहां पर कि मैं यह समझता हूं कि संस्कृत के विद्वान् कार्य को चलाते होंगे, जहां पर अभी कोई दलबन्दी की संभावना नहीं है। तो जब हम ऐसा विधान बनाने जा रहे हैं तो अनावश्यक अधिकार उप कुलपति को देने की आवश्यकता नहीं है और इसको इस खंड से हटा दिया जाना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं यदि हम किसी जगह किसी कर्मचारी को उसके स्थान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता हो तो वह शिक्षा विभाग में अत्यधिक है। शिक्षा संस्थाओं में जो कर्मचारी हैं, जो पढ़ाने वाले हों, जो अध्यापक हों उनके ऊपर हर समय, हर क्षण एक ऐसे अनुशासन की तलवार लटकती हो जो अनियंत्रित हो और जिस रूप में चाहो उस रूप में उसे घुमा सको मैं समझता हूं कि किसी भी सभ्य देश के लिये कलंक की बात है। कहा जा सकता है हमारे तर्क के विरोध में तो क्या अध्यापकों के लिये कोई अनुशासन नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा के जगत में अध्यापक स्वतः अनुशासित होगा। वह कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं है कि उसको विभागीय दंड देने के लिये किसी आई० जी० की आवश्यकता हो। वह तो विद्या दान करता है। देश के जो भावी कर्णधार हैं उनको पैदा करता है, उनके चरित्र का निर्माता होता है। अध्यापकों के आचार विचार, अध्यापकों के पढ़ाने लिखाने की रीति नीति, उनके व्यवहार और चाल चलन का बराबर असर पड़ता है। यदि ऐसा कोई अध्यापक हो जो प्रतिदिन यह सोचता रहे कि यदि हम कहीं भी सरकारी नीति रीति के या सरकार के द्वारा

[श्री राजनारायण]

जो संकेत होते रहते हैं उसके विरुद्ध चलें तो हम समझते हैं कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र विद्या दान नहीं कर पायेगा। मध्यम वृत्ति से दब करके ही वह चलता रहेगा। इसलिये इतना बड़ा अधिकार देना कि "उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कर सकता है और जब आवश्यक हो उसे निलम्बित यानी सस्पेंड कर सकता है। यदि उप-कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और मामला उसके मतानुसार—

(क) ऐसा न हो जिसके लिए पदच्युत करने, हटाने, वेतन वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे,

(ख) ऐसा हो जिसके लिए पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे उसकी जांच करेगा"।

अब इसको देखा जाय और इसकी व्यापकता, इस धारा की निरंकुशता कितनी दूर तक जा सकती है, इस धारा का मनमानापन कितनी दूर तक अधिकार देता है किसी भी उप-कुलपति को कि जब चाहे तब, क्योंकि आवश्यकता को वही आंक सकता है, आवश्यकता किसके अनुसार, किसके द्वारा जांची जायगी, आवश्यकता है या नहीं, वह उपकुलपति ही होगा। तो उपकुलपति किसी भी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुसाशन की कार्यवाही करे और उसे सस्पेंड भी कर दे, निलम्बित भी कर दे, यह सब अधिकार यह धारा उप-कुलपति के हाथ में देती है। अगर सही माने में हमने शिक्षा के क्षेत्र को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने, शिक्षा के क्षेत्र को अबाध गति से चलाने और जनतान्त्रिक प्रणाली की बुनियाद पर चलना अपना कर्त्तव्य समझा है तो इसके लिये मैं समझता हूं मुझे कोई विशेष तर्क देने की आवश्यकता नहीं रह गयी। सदन के सम्मानित सदस्य स्वतः अपने कर्तव्यों का ख्याल करें और बतायें कि किसी भी अध्यापक और किसी भी वैतनिक पदाधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध बिना उसके ऊपर दोषारोपण किये, एक साधारण सी सुरक्षा होती है कि यदि किसी के ऊपर अनुशासन की कार्यवाही करनी हो तो उसके ऊपर दोष लगाये जायं, उससे जवाब तलब किया जाय, उसको सफाई का मौका दिया जाय, यह तमाम साधारण कार्यवाही होती है, साधारण विभागों में होती है, मगर यह तो शिक्षा का क्षेत्र है और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है जहां पर संस्कृत पढ़ायी जायेगी, चाहे माननीय परिपूर्णानन्द जी संस्कृति की ओर यहां ध्यान दें या न दें। मैं जानना चाहूंगा क्या इसके समकक्ष किसी भी सभ्य सरकार में या सभ्य मुल्क में इतना बड़ा अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के हाथ में सन्निहित किया जा सकता है जो मनमाने तरीके से आवश्यकता की अनुभूति करके किसी भी अध्यापक या वैतनिक पदाधिकारी को सस्पेंड कर दे। यह तो प्रत्येक मान्य जनतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में यह अनीति है इसको बढ़ावा देना है, अत्याचार को बढ़ावा देना है, जोर जुल्म को बढ़ावा देना है। शिक्षा के क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित होने के मार्ग में बाधक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा अधिकार किसी उपकुलपति के हाथ में सिपुर्द नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरा तर्क हमारे इस तर्क का खंडन करने के लिए उठाया जा सकता है कि क्या उपकुलपति में आपको विश्वास नहीं है क्या। जो उपकुलपति इतना योग्य होगा, जिसके लिए ऐसी-ऐसी शर्तें होंगी वह मनमानी कर सकता है? यह तो उपकुलपति में विश्वास कर रहे हैं माननीय नारायणदत्त जी या राजनारायण जी। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा देखा गया है और इतिहास साक्षी है चाहे उसको कोई काल्पनिक समझे, चाहे उसको ठीक समझे, और इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्य समय-समय पर इन भावों को व्यक्त भी कर चुके हैं कि कभी-कभी एक व्यक्ति जो प्रत्येक प्रकार से ज्ञानपरिपूर्ण होगा, प्रत्येक प्रकार से जिसकी बुद्धि

साधु बुद्धि होगी, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए कभी-कभी लोग कह दिया करते हैं कि कई एक डिक्टेटर भी बहुत अच्छे हुए हैं, अपने इस तर्क को उपस्थित करने के लिये बहुत से लोग तो यहां तक आगे बढ़ कर कह देते हैं कि राम ने जो व्यवस्था अपने यहां की वह जनतांत्रिक मुल्कों में नहीं है, ऐसी बातें कही जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तब इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह स्पष्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वह जनतांत्रिक प्रणाली छोड़ रहे हैं, वह किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष की खोज में हैं जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा सारे जगत का कल्याण होगा। एक व्यक्ति विशेष चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे उसके पास कितनी ही प्रतिभा क्यों न हो मगर आज उसके हाथ में वह शक्ति हम नहीं देना चाहते कि यदि उसका मस्तिष्क घूम जाय और फिर जाय तो वह मनमाना करने लगे, जो चाहे अनर्थ कर डाले। इसीलिए श्रीमन्, आपने इसकी टीका टिप्पणी सुनी होगी। हमारे भारतीय संविधान में भी कभी-कभी तो इतना बड़ा व्यापक अधिकार दे दिया गया है चाहे वह राष्ट्रपति को हो या अपने सूबे के पैमाने पर राज्यपाल को हो कि वे जब चाहें तब किसी परिस्थिति विशेष की घोषणा करके तमाम विधान सभाओं को भंग कर सकते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली को सामने रखते हुए इसकी भी जानकार लोग टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आज इस समय उस पर नहीं जाना चाहता।

मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उपकुलपति जो विश्वविद्यालय के होंगे चाहे वह कितने ही सुयोग्य हों, कितने ही प्रतिभासम्पन्न हों, कितने ही संस्कृत विद्या विशारद हों मगर उनके हाथ में इस शक्ति का देना जनतांत्रिक प्रणाली का द्योतक नहीं होगा, इस शक्ति का देना तानाशाही मनोवृत्ति का द्योतक होगा और ऐसी मनोवृत्ति का द्योतक होगा जो एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार दे कर के उसके द्वारा तमाम अनर्थ और तमाम काम कराना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उपकुलपति के हाथ में जो इतना बड़ा व्यापक अधिकार विधेयक के द्वारा दिया जा रहा है वह संकुचित किया जाय, सीमित किया जाय, उसको छोटा बनाया जाय और उसको संकुचित और छोटा करने के लिए माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन को माना जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः जनतांत्रिक पद्धति और प्रणाली को सामने रखते हुए सदन के सम्मानित सदस्यों की सद्बुद्धि को जगाते हुए निवेदन करूंगा इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से कि वह इस संशोधन के पक्ष में अपनी सम्मति दें।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा उपस्थित संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी श्री राजनारायण जी ने....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—कोरम नहीं है सदन में।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री देवकीनन्दन विभव—मैंने इस खंड को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे यह कहीं भी नहीं मिला कि जो उपकुलपति होंगे वह कोई ऐसी अनुशासन की कार्यवाही बिना किसी अध्यापक से या जिस व्यक्ति के विरुद्ध वह अनुशासन की कार्यवाही करेंगे वह बिना उत्तर उसका लिए हुए करेंगे, ऐसा इस विधान में मुझे तो नहीं दिखलाई दिया। मेरा ख्याल यह है कि अब संस्थाओं में और खास तौर से हमारी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में जिस तरह से अनुशासन-हीनता प्रवेश करती जा रही है और जिस तरह कुछ अध्यापक और दूसरे व्यक्ति भी शिक्षा की तरफ ही अपना ध्यान केन्द्रित न कर के दूसरे-दूसरे तरीके के काम में अपना ध्यान दे रहे हैं जिससे शिक्षा में दिक्कतें पैदा होती हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह की अनुशासनहीनता के कार्यों में कुछ शक्ति या कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिये जिससे विशेष परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा सके। आप जानते हैं उपकुलपति के पास ऐसे मामले और हस्तक्षेप करने के लिए इस तरह की परिस्थितियां रोज-बरोज उत्पन्न नहीं हुआ करतीं।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

मैंने तो कभी नहीं सुना कि आज भी जो दूसरे विश्वविद्यालयों में अधिकार उपकुलपतियों को दिये गये हैं उनका कोई दुष्प्रयोग किया गया है और उसके सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें हैं। मैं नहीं समझता कि फिर क्यों यहां एक संस्कृत का विद्यालय स्थापित करते समय हम उपकुलपति को उन अधिकारों से वंचित रखें जोकि दूसरे विश्वविद्यालयों में आवश्यक समझे गये हैं। मेरा ख्याल यह है कि श्री राजनारायण जी ने जनतंत्र के ऊपर बड़ी परिभाषा और एक बड़ा उपदेश हम लोगों को दे डाला। जनतंत्र की भावना शायद सदन के इस पक्ष में बैठने वाले लोग भी उतनी ही समझते हैं जितनी कि शायद माननीय राजनारायण जी समझते हों। तो आज हमारे देश में जनतंत्र के लिए जितना अधिकार व्यक्तियों को है स्वतंत्रता के साथ पालन करने का, मेरा ख्याल यह है कि दुनिया के बहुत कम देश हैं जहां कि जनतंत्र का अधिकार उन्हें इस तरह से प्राप्त हुआ हो और मैं तो समझता हूं कि कभी-कभी उनका दुष्प्रयोग होता है उस स्वतंत्रता का। तो आपके देश में आवश्यकता इस बात की है कि हम देश को अनुशासन में बांध कर ले जायं और जो व्यक्ति देश के अनुशासन को खत्म करने की कोशिश करता है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं होनी चाहिये कि देश को वह हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है।

तो जिस उपकुलपति, जिस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति के सम्बन्ध में हमने यह रखा कि वह अधिक से अधिक, योग्य से योग्य व्यक्ति रखा जाय, यदि हम विशेष परिस्थितियों में अनुशासन को स्थापित करने के लिए उसको यह एक छोटा सा भी अधिकार नहीं देते हैं तो हम कहां तक उसके साथ न्याय करते हैं और कहां तक हम उसे शक्ति देते हैं जोकि एक संस्था को, एक संस्कृत के विश्वविद्यालय जैसी महान् संस्था को आज बनाने के लिए आवश्यक है तो मेरे ख्याल से जनतांत्रिक भावनाओं को इस समय लाने की आवश्यकता नहीं थी। यह अंग इसमें अवश्य होना चाहिये और इन शब्दों के साथ में जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जब हमने यह मान लिया है कि उपकुलपति की नियुक्ति हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके अधिकार क्या हों, उसके कर्तव्य क्या हों। जब माननीय राजनारायण जी और नारायणदत्त जी उनकी नियुक्ति को स्वीकार कर चुके हैं तो वह इससे सहमत होंगे कि उपकुलपति के क्या अधिकार हों या जो इस बिल में जो व्याख्या की गयी है, रखे जायं।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि आज विश्वविद्यालयों में जैसा कि विभव जी ने कहा कि अनुशासनहीनता अध्यापकों में, कर्मचारियों में या विद्यार्थियों में फैली हुयी है उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि उपकुलपति को अधिकार दिये जायं। इस बिल में तो केवल यह व्यवस्था की गयी है कि जो वैतनिक कर्मचारी या अध्यापक हैं, उनके विरुद्ध उपकुलपति को अधिकार दिया गया है कि उनके मामले उठ खड़े हों तो वह कार्यवाही कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जैसे तनख्वाह कम करना या रिमूव करना तो उसमें उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है कि जब तक दो आदमी उनके साथ नहीं होंगे तब तक उपकुलपति कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। ससपेंड वह कर सकते हैं लेकिन ऐसे मामलों की जांच जब ही होगी जब दो आदमी उनके साथ एसोशियेट हो जायं। इससे यह साफ जाहिर है कि दो आदमी और उनके साथ लगाये जायंगे तब उनको अधिकार होगा किसी को रिमूव करने का या वेतन में रिडक्शन करने का। यह खाली कह देना कि उपकुलपति की नियुक्ति तो हो लेकिन उसको कोई अधिकार न हों तो ये दोनों बातें ठीक तरह से चल नहीं सकती हैं। एक तरफ तो आप मालिक बनायें और दूसरी तरफ उनको अधिकार न दें जिससे वह गड़बड़ी को रोक सकें तो यह दोनों बातें असंगत प्रतीत होती हैं। मैं नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं और जो अधिकार दिया गया है, वह ठीक है उसके रहने की आवश्यकता है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं और विरोध करने के साथ ही साथ अपने उन माननीय सदस्यों से जो वास्तव में इस विषय को समझना चाहते हैं, दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि जो मैं निवेदन करूंगा, यहां पर बहुत से विद्वान् लोग उपस्थित हैं, माननीय पालीवाल जी बैठे हुये हैं, यह लोग मेरा विश्वास है कि मेरे कथन से सहमत होंगे। वह सहमत नहीं हो सकते हैं जो दूसरों की सद्बुद्धि की दुहाई देकर अपनी बुद्धि का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, जो प्रजातंत्र के नारे लगा सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र प्रणाली तक से परिचित नहीं हैं, मैं उनको कैसे समझा सकता हूं जो सभ्य देशों की दुहाई देते हैं लेकिन वहां की सभ्यता की प्रणाली की जिनको जानकारी नहीं है।

इस सदन के सम्मुख कह दिया कि प्रजातंत्र के नाम पर उपकुलपति को अधिकार दे दिया कि किसी शिक्षक को सस्पेंड कर दे, या किसी के विरुद्ध कार्यवाही कर ले तो यह अनर्थकारी बात हो जायगी, यह अनुचित बात है। इसलिये कम से कम भारतवर्ष जैसे देश बहुत कम होंगे जहां की शिक्षा के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध हो और जिस देश में शिक्षा से सरकार का सम्बन्ध बहुत कम है और जहां पर विश्वविद्यालय अपने आप ही बने और पनप रहे हैं, उन देशों में वहां के उपकुलपति को या पदाधिकारी को कितने अधिक अधिकार हैं? बहुत सी संस्थाओं को इस बात की शिकायत है कि जिस प्रकार से कम्युनिस्ट देशों में अध्यापकों को निकाल दिया जाता है उसी तरह से प्रजातंत्रीय देशों में निकालने की व्यवस्था अभी भी है। कम से कम हमारे देश में, इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भी जो विधेयक बनाये हैं उनमें अध्यापकों की रक्षा के लिए इतने काफी अधिकार दिये गये हैं जिससे कि उनके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। हां, श्रीमन्, इस अधिकार की सीमा को समझने के लिए जरूरी यह है कि केवल किसी संशोधन का समर्थन न कर दिया जाय, उसके आगे और पीछे, ऊपर और नीचे पढ़ भी लिया जाय तब जा कर पूरा विधेयक समझ में आ सकता है। मैं निवेदन करूं कि जिस समय यह विधेयक पहले माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन की मेज पर रखा था उस समय संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों में खलबली भी मची कि हमारे सस्पेंशन के बारे में, हमारे डिसमिसल के बारे में, हमारी नौकरी के बारे में क्या होगा, और हमारे ऊपर कोई अभियोग लगाया गया तो हमको सफाई देने का मौका कैसे मिलेगा? उन्होंने पत्र लिखे हैं, उनके पत्र मेरे पास भी आये हैं और अब जब कि प्रवर समिति से यह संशोधित विधेयक मिला तब से उनको बड़ी शांति मिली है। इसमें इतनी गुंजाइश कर दी गयी है कि यदि उनको मालूम पड़े कि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है तो इतने दिनों के अन्दर वे डिफेंस इकट्ठा करेंगे, उसकी सुनवाई होगी। यानी जितने नियम बनाये जा सकते थे एक अध्यापक के अधिकार की रक्षा के लिए, वे सब बना दिये गये। किन्तु इस सदन में एक नारा लगा कि प्रजातंत्र के विरुद्ध एक सचमुच बहुत बड़ा अनर्थ कार्य हो रहा है। हमारी सद्बुद्धि है या नहीं, यह तो शायद जिनके पास हो वे ज्यादा समझ सकें। मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रकार के संशोधन उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं होता, कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता और उस से यह भी नहीं होता कि हमें एक विदेशी प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ जानकारी कराई जा सकती हो। इससे तो केवल यह साबित होता है कि हमें विदेशों की प्रणाली के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं।

पहले जो कुलपति या उपकुलपति हुआ करते थे उनके अधिकारों की बात तो जाने दीजिये। कहां एक उपकुलपति के पद की मर्यादा और उसके साथ यदि इतना भी अधिकार नहीं दिया जावेगा तो क्या होगा और फिर उस अधिकार को इतना बांध दिया गया है कि उससे तो किसी प्रकार की हानि हो ही नहीं सकती। कम से कम संस्कृत कालेज के अध्यापकों से थोड़ा सा मैं भी परिचित हूं और कुछ अध्यापक वहां थे जिनसे मैंने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का ऐसा नियम ही है कि सबके दिल में यह भाव उत्पन्न कर देंगे कि देखो भाई, जो हो रहा है वह बहुत खराब हो रहा है। तो वे तो अपने काम से बाज नहीं आयेंगे। लेकिन जो वास्तव में अध्यापक वर्ग है वह महसूस भी करता है कि इस प्रवर

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

समिति वाले विधेयक में उनके अधिकारों का प्रबंध कर दिया गया है और संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों के लिए खासतौर से प्रबंध की आवश्यकता भी है। संस्कृत की पढ़ाई से जो परिचित हैं उनको मालूम होगा कि विधायकों में मतभेद बड़ी जल्दी हो सकता है। एक मामूली चीज पर, शास्त्र के तर्क के ऊपर, न्याय के सिद्धांत के ऊपर, किसी छोटी सी चीज पर मतभेद इतना अधिक बढ़ जाता है और इस मतभेद के सम्बन्ध में पंडित लोग आपस में लड़ने भी लगते हैं। संस्कृत कालेज को ही लीजिये, जिसकी शिकायत मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी की थी कि वहां के प्रिंसिपल बहुत दिनों तक अस्थायी क्यों रहे और शिक्षा मंत्री महोदय ने इसका कारण बता भी दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस का तर्क कुतर्क वहां बहुत ज्यादा चलता रहा। तो वह तो संस्कृत कालेज की एक चीज होती है। जहां पर बहुत से विद्वान् बैठते हैं, वहां विद्या के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। किन्तु इस प्रवर समिति से आये हुए विधेयक ने तो इतनी काफी गुंजाइश कर दी है कि ऐसे मतभेदों के रहते हुए भी उनके हितों की रक्षा की जा सके और मैं पहले कह चुका हूं कि जहां तक विदेशों की शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है, यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर के राइट्स ऐंड प्रिविलेजेज इतने अधिक होते हैं कि मुझे यह देख कर दुःख होता है कि हम लोग अपने को इतना छोटा समझते हैं कि कोई शोभा की चीज भी हमको काटने दौड़ती है।

मुझे थोड़ा सा परिचय विदेशी विश्वविद्यालयों से है। मैंने विदेशी विश्वविद्यालयों की इमारतों को ही नहीं देखा है, उनके पुस्तकालयों को ही नहीं देखा है बल्कि उनके चांसलर और वाइस चांसलर से परिचय का सौभाग्य हुआ है। मैंने उनके उत्सव समारोह भी देखे हैं, उनके अधिकारों की बात भी मैं जानता हूं, एक विदेशी के नाते विदेश के चांसलरों के, वाइस चांसलरों के अधिकारों को और उनके पद की मर्यादा को देखा है और जब मैंने उसको देखा तो मैं ललचा पड़ा कि हमारी यूनिवर्सिटीज की अथारिटीज को इतने राइट्स क्यों नहीं हो सकते और यही नहीं हमने जब यहां उपकुलपति का स्थान बनाया और सरस्वती भवन के साथ इसको जोड़ दिया तो मुझे तो शिक्षा मंत्री से निवेदन करना होगा कि उपकुलपति के अधिकारों को कुछ और बढ़ावें जैसा कि लन्दन यूनिवर्सिटी में उसके वाइस चांसलर को वहां की लाइब्रेरी और शिक्षा के सम्बन्ध में भी अधिकार है। कई जगहों में यह परिस्थिति है कि चांसलर किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी अध्यापक को किस प्रकार से, किस स्थान से, किस स्थान पर किस प्रकार कर दे, इतने उसके राइट्स और प्रिविलेजेज हैं जो हमारे उपकुलपतियों को प्राप्त नहीं हो सकते। जो महाशय प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे थे वे जरा प्रजातंत्र की दुहाई देने के पहले और विश्वविद्यालयों के संविधानों का अध्ययन कर लें तो अधिक उचित हो। मैं माननीय नारायणदत्त जी से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय की प्रगति में अभिरुचि रखते होंगे, वे अवश्य उसकी प्रगति में रुचि रखते हैं और उसको वह स्थान नहीं बनाना चाहते होंगे जो भिन्न मतों की क्रीड़ा-भूमि बन जाय तो इस प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित करना नितान्त आवश्यक है। सामंजस्य की दृष्टि से भी उसका औचित्य है तो मेरे विचार से वे इसे समझते होंगे तो उनको इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिये।

(इस अवसर पर ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अधिनियम के खंड १२ के उपखंड ५ में उपकुलपति को अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने का तथा उसको निलम्बित करने का अधिकार दिया गया है। श्रीमन्, इसमें एतराज सिर्फ निलंबित करने पर है। अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही जो उपकुलपति करेगा उसके साथ दो व्यक्ति और होंगे जांच करने में लेकिन निलम्बित करने में उसको ही अधिकार होगा कि वह कर दे। इसमें आगे कहा गया है कि यदि उपकुलपति द्वारा पूर्वोक्त अनुशासन सम्बन्धी

कार्यवाही की गयी हो आदि-आदि, तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि अगर इसको निकाल दिया जाय तो फिर हर्ज नहीं हो सकता। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस प्रदेश और प्रदेशों में भी पुलिस के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही दफा ७ के अधीन होती है लेकिन वह मुअत्तल नहीं होता है। वह अपने थाने में रहता है और उसके खिलाफ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कार्यवाही करता रहता है और जब सब हो जाता है तब निलम्बित होता है या बरखास्त होता है और उसके अनुसार जो उसका वेतन है, उसका जो काम है वह करता है। इस उपखंड में यह जो निलंबित करने वाला वाक्य है इसको निकाल देने से मैं समझता हूं कि अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के होने में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यों तो यह बात सही है जो माननीय विभव जी ने कहा कि हम लोग भी जनतंत्र की बात जानते हैं, जनतंत्र की बात तो हर एक जानता है, हर एक सरकारें जानती हैं, लेकिन चलती कितनी हैं इसकी बात होनी चाहिये। यह सरकार कितनी जनतंत्र की परिभाषा, उसके वाक्य, उसके ऊपर लेख आदि के ऊपर कार्य करती है। इस सदन में बैठने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, मंत्रिमंडल में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो लेख लिख सकते हैं लेकिन रोजमर्रा की जो कार्यवाही है उसमें जनतंत्र का कितना स्थान रखा जाता है यह मेरा ख्याल है कि वह देखते नहीं। अगर वह देखते तो इस प्रदेश में कितनी-कितनी कार्यवाहियां हुयी हैं कि जो जनतंत्र के खिलाफ हुई हैं और जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने रूलिंग तक दे दी हैं। इनकी जानकारी भी उनको होती और फिर सरकार को चलाने वाले समझते कि हमारी सरकार जनतंत्र को कितना मानती है। तो मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इस खंड में जनतंत्र की बात तो है लेकिन वह केवल अनुशासन के लिए है। निलंबित करने की बात जनतंत्र में नहीं है। दो आदमी कमेटी में तो सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। हो सकता है कि जो कमेटी बने वह अच्छी हो, वह सारी बातों को देखे, कार्यवाहियों को देखे और अगर उसके बाद उसकी राय में निलंबित करना आवश्यक हो तो वह करे। लेकिन इसके लिए उपकुलपति को जो अधिकार दिया गया है वह मैं समझता हूं कि जनतंत्र के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि अगर यह हटा लिया जाय तो हम लोगों को भी और अध्यापकों को भी सांत्वना मिल सकेगी।

श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कहा गया है कि इस प्रदेश में और भी विश्वविद्यालय हैं। यह अधिकार उन सब में उप-कुलपति को है। मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़ कर यह अधिकार किस विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को है। क्या बनारस में है? क्या अलीगढ़ में है? अगर उनमें हो और सारे विश्वविद्यालयों में हो तो मैं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो तर्क है वह सही हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलाहाबाद और लखनऊ को छोड़ कर अन्य विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति को इस तरह से निलंबित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो यूनिवर्सिटी है और जिस के मातहत माननीय परिपूर्णानन्द जी और यह सरकार चलती है वह उसकी नकल करने की कृपा करेंगे। उनको इस सरकार के रास्ते की नकल नहीं करनी चाहिये और इस प्रकार सही रास्ते को अपना कर उनको नारायणदत्त जी के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं फिर इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुयी कि हमारे माननीय मित्र परिपूर्णानन्द जी ने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों में अधिक दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है कि उनकी इस दिलचस्पी लेने के साथ-साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

शायद इस विधेयक का कुछ सुधार हो सकेगा। लेकिन मजबूरी यह है कि जब वे अपने विस्तृत अनुभव और विदेश यात्रा का जिक्र करते हैं और ऐसे-ऐसे प्रतिक्रियावादी विधेयक के खंडों का समर्थन करने लगते हैं तो हार्दिक दुख होता है। यह सही है कि हममें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इतने साधन या अवसर प्राप्त हुये हों कि वे विदेश यात्रा कर सकें और विदेशी विश्वविद्यालयों के चांसलरों अथवा वाइस-चांसलरों से परिचय प्राप्त कर सकें, उनके अधिकार, उनकी कार्य-प्रणाली का कोई व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त कर सकें। लेकिन इतना तो निसंदेह कहा जा सकता है कि जैसा विधान या जैसे परिनियम वहां के विश्वविद्यालय ने अपने लिए निर्धारित किये हैं उस प्रकार के परिनियम और वैसे विधान इस देश के लिए अभी बहुत दूर की बात है। इंग्लैन्ड में तो इस प्रकार के पार्लियामेंट के कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना होती ही नहीं। काश परिपूर्णानन्द जी यह भी बतला देते कि वहां पर यूनिवर्सिटीज पार्लियामेंट के कानून के द्वारा नहीं बनायी जातीं बल्कि वहां किंग के चार्टर द्वारा वे बनायी जाती हैं और राजा के विशेष आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय बनाये गये हैं। जब कभी विश्वविद्यालयों के सुधार की चेष्टा की गयी तब एक सर्वांगीण विधेयक सभी विश्वविद्यालयों के लिए लाया गया, वह भी तब जब कि उन विश्वविद्यालयों ने यह कामना की। तो सर्वोच्च सत्ता जिस प्रकार से इंग्लैन्ड में सुरक्षित है उसकी यहां पर कल्पना करना माननीय परिपूर्णानन्द जी के लिए अधिक शोभनीय नहीं है इसलिये कि वह विरोध कर रहे हैं। विरोधी दल तो यह चाहता है कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो। विरोधी दल तो यह चाहता है कि इस संशोधन के द्वारा उप-कुलपति की मर्यादा जो उनको मान्यता दी गयी है उनके वैधानिक अधिकार सुरक्षित हों, लेकिन विरोधी दल यह नहीं चाहता है कि उपकुलपति एक तानाशाही के रूप में, एक अधिनायक के रूप में हम विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित करें। उपकुलपति की सहज वह कामना होनी चाहिये, वह पद होना चाहिये, जिससे विश्वविद्यालय के अन्दर अध्यापक और विद्यार्थी आपस में सहज सम्मान प्राप्त कर सकें। सहज सम्मान कानून के द्वारा प्राप्त महान् अधिकारों के द्वारा और कुचलने वाले अधिकारों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। वह तो उनकी विद्वता, उनका व्यक्तित्व और उनके निजी व्यवहार से होता है, इस बात को परिपूर्णानन्द जी और शिक्षा मंत्री महोदय जानते हैं।

अध्यापकों के लिए तो मेरा ऐसा विचार है कि पहले तो ऐसे अध्यापक आयेंगे नहीं जिनके लिए इस प्रकार के अनुशासन की बात आये। लेकिन मैं आपका ध्यान खंड ४१ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कैसे लोग आयेंगे—"विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक को दे दी जायगी।" (२) में यह दिया हुआ है कि—"विश्वविद्यालय तथा उसके किसी अधिकारी अथवा अध्यापक के बीच किये गये संविदे के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, संबंधित अध्यापक अथवा अधिकारी की प्रार्थना पर अथवा विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal of Arbitration) को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिलकर बना होगा और ऐसे न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा"; तो जब कभी किसी अध्यापक के सम्बन्ध में या किसी अधिकारी के सम्बन्ध में विवाद खड़ा हो जाय तो किसी प्रश्न के ऊपर उसको अधिकार दिया जा रहा है कि वह अध्यापक अपना प्रश्न जैसा विश्वविद्यालय चाहे या अध्यापक चाहे, दोनों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह अपना मामला एक न्यायाधिकरण के सामने ले जाय जिसमें चांसलर का एक अम्पायर भी रहेगा। जब वहां पर इस तरह के लोग रहेंगे तो फिर कैसे आशा की जा सकती है, वहां पर किस प्रकार से अध्यापक अपने अधिकार सुरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार से यदि कानून बनाया जाय और उसमें इस प्रकार के ट्रिब्यूनल को रखा जाय जो स्वतंत्र न हो तो फिर समझ में नहीं आता है।' एक तरफ

तो इन्क्वायरी कमेटी जांच करेगी जो विश्वविद्यालय निश्चय करेगा और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल इसकी जांच करेगा, क्या ऐसा सम्भव है ? मान लिया जाय कि अध्यापक और वाइस चांसलर के बीच में कोई विवाद खड़ा होता है। अध्यापक तो चाहता है कि आरबिट्रेशन ट्रिब्यूनल में उस पर विचार हो और वाइस चांसलर चाहता है कि वाइस चांसलर की कमेटी में हो। तो कितनी विषम परिस्थिति पैदा हो जायगी। सरकार को सोचना चाहिये कि कैसा असंगत विधेयक वह बना रही है। माननीय परिपूर्णानन्द जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कौन से विवाद आरबिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जावेंगे और कौन से वाइस चांसलर की कमेटी में जावेंगे। क्या यह विवाद अनुशासन के सम्बन्ध में नहीं हो सकता ? मुझे इस बात का भय है कि परिपूर्णानन्द जी केवल एक खंड को पढ़ रहे हैं और अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हमारे सम्मुख सारे विधेयक की रूपरेखा होनी चाहिये और उसकी कसौटी पर हमें एक खंड को कसकर देखना चाहिये। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार सीमित या असीमित न होकर सन्तुलित हों। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वे शायद निरुत्तर हैं। वे कहते हैं कि बार-बार इस पर बहस हो चुकी है। ठीक है, बार-बार बहस हो चुकी है और वह तो कई बातों पर हो चुकी है। वे कह सकते हैं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल पर बहस की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम इलाहाबाद और आगरा या लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पर बहस कर चुके हैं। हमको देखना चाहिये कि इसका सौन्दर्य या परिणति क्या है। मुझे अब भी आशा है कि माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देने की कृपा करेंगे। अगर इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे कारण बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस खंड को कुछ समझ बूझ कर रखा है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, नारायणदत्त जी के अंतिम भाषण को सुन कर मुझे कुछ ऐसा शक होने लगा कि शायद बहुत पढ़ने से आदमी कुछ बातों को समझने से रह जाता है। जिस खंड का उन्होंने जिक्र किया कि वह आरबिट्रेशन के यहां जायगा, उसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक वैतनिक नौकर की नियुक्ति चाहे वह अध्यापक हो या जो भी हो, एक मुआहिदे के जरिये होगी जिसमें एक ओर यूनिवर्सिटी होगी और दूसरी ओर अध्यापक या नौकर होगा। अगर उस कंट्राक्ट के अर्थ के बारे में कोई मतभेद हुआ तो वह ट्रिब्यूनल के पास जायगा, यह उस दफा में लिखा हुआ है, ४२ में। यहां यह है कि उपकुलपति को यह अधिकार होगा कि अगर किसी के ऊपर अनुशासन की कार्यवाही करना चाहे तो इस इस तरह से वह एक्शन ले सकता है। दोनों में क्या सम्बन्ध है, किस प्रकार से दोनों एक हैं ? और उस पर जोर यह है कि मैं निरुत्तर हूं और जो भी कहा जाय उस सबका उत्तर नहीं दे रहा हूं। हिन्दी में और अंग्रेजी में दोनों में साफ लिखा हुआ है कि एराइजिंग आउट आफ दि कन्ट्राक्ट (arising out of the contract) किसी कांट्रक्ट में यह नहीं लिखा जाता है कि यह भी प्रश्न होगा कि यह अनुशासन की बात है या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सर्विस कन्डीशन के बारे में कह दीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—हमको भी कुछ कहने दीजिये, मैं आपकी आज्ञा से ही बोल रहा हूं। श्रीमन्, मैं दोनों में आपस में कोई सम्बन्ध नहीं समझता, वह एक दूसरे से बिलकुल परे हैं इसका स्कोप कुछ है और उसका कुछ है। अगर उपकुलपति को विश्वविद्यालय में रख दिया जाय और उसको कुछ भी पावर्स न दी जायं ऐसी यूनिवर्सिटी तो तभी बनेगी जब श्री नारायण दत्त जी यहां एजूकेशन मिनिस्टर होंगे और मैं समझता हूं कि उन से कम उत्तरदायी मिनिस्टर अगर यहां रहेगा तो वह ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनायेगा और न वह उपकुलपति से कहेगा कि तुम वाइसचांसलर तो रहो लेकिन तुम को कोई पावर या अधिकार न होगा इसलिए कि तुम बहुत ऊंचे हो, वह कुलपति की भी बहबूदी नहीं चाहते। मैं समझता हूं ऐसी यूनिवर्सिटी से देश का कल्याण नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--माननीय रामनारायण जी ने मुझे अधिकृत कर दिया है अपने संशोधन को पेश करने के लिये, अभी उन का पर्चा मेरे पास था, मिल नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष--वह ठीक है, मैं माने लेता हूं। आप पेश करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (६) की पंक्ति ८ से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय--

"यदि वह उन से असहमत नहीं है।"

अब मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो बिल संयुक्त प्रवर समिति से आया है उस के नवें पेज को वह निकाल कर देखें तो उस का छठा उपखंड इस प्रकार है। जब तक मैं पढ़कर न सुनाऊंगा लोग उसे समझने में असमर्थ रहेंगे। मैं इसको इसलिये पढ़ रहा हूं क्योंकि यह खंड (५) से भी संबंधित है, उपखंड (५) के (क) से यह संबंधित है, जरा विशद हुआ जा रहा है, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पढ़ लेना दूसरी बात होती है और मनन कर के हृदयंगम करना और फिर उस को कहना दूसरी बात होती है, तो मैं उन्हीं के तर्कों का हवाला देते हुये कहूंगा कि इस उपखंड (५) के (क) में यह है कि यदि वह किसी को पदच्युत करना चाहता है, हटाना चाहता है या वेतनवृद्धि रोकना चाहता है या कोई पनिशमेंट या सजा देना चाहता है तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है और आगे (ख) में यह है कि यदि इस तरह के दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे, उसकी जांच करेगा। यानी जिस आदमी को वह सजा देना चाहते हैं या डिसमिस या ससपेंड करना चाहते हैं या जिसकी वह तरक्की रोकना चाहते हैं तो वह ऐसे व्यक्तियों के साथ जिस रीति नीति से सरकार उनको मुकर्रर करेगी उसके अनुसार जांच करेंगे। यद्यपि मैं इसका विरोधी हूं सरकार इसको स्पष्ट नहीं करती है कि कौन सी नीति रीति होगी लेकिन वह दूसरी बात है। अब उस नीति रीति के मुताबिक यहां कहा जा रहा है किसी "ऐसे मामले में जिसमें उपधारा ५ के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उपकुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद् को प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा ५ के खंड (ख) के अधीन उपकुलपति तथा जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली संस्तुति के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो, तो संस्तुतियां बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायंगी।" यानी मेजारिटी तीन आदमी की कमेटी बन गयी है--एक उपकुलपति होंगे, दो और व्यक्ति होंगे। यदि सब एक राय के हों तो बात दूसरी है लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो तो जो बहुमत होगा वह मत व्यक्त किया जायगा। "कार्यकारिणी परिषद् प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के अनुसार--यदि वह उनसे असहमत नहीं है--आज्ञा देगी। असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी संस्तुतिओं के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेंगे जिसे वह उचित और आवश्यक समझें।"

श्रीमान्, माननीय रामनारायण जी का संशोधन यदि थोड़े में देखा जाय तो यही है कि जो तीन आदमियों की कमेटी बनेगी वही तीन आदमियों की कमेटी जो अपनी सिफारिश करे चाहे सर्वसम्मति से करे चाहे बहुमत से करे उसको कार्यकारिणी परिषद् माने। माननीय रामनारायण जी का उद्देश्य यही है। मगर जो विधेयक है वह विधेयक यह कह रहा है कि कार्यकारिणी प्रस्तुत संस्तुतिओं के अनुसार यदि वह उनसे असहमत नहीं है यानी वह सहमत है तब तो उनके अनुसार आज्ञा देगी और यदि कार्यकारिणी परिषद् उस उपसमिति की मेजारिटी ओपीनियन से सहमत नहीं है तो वह अपनी रिपोर्ट कुलपति के पास भेजेगी। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मैं बिलकुल साफ कह रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं बिलकुल नहीं समझ रहा हूं।

श्री राजनारायण—आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से समझाता हूं । रामनारायण जी यह कह रहे हैं कि तीन आदमियों की कमेटी बनेगी । यदि किसी अध्यापक को निकालना है या सजा देना है तो तीन आदमियों की कमेटी कोई बहुमत से सिफारिश करे तो सिफारिश कार्यकारिणी परिषद् के पास जायगी और कार्यकारिणी परिषद् उस राय की न हो तो उसको अधिकार होता है कि वह अपनी रिपोर्ट कुलपति के पास भेजेगी और कुलपति महोदय जैसा चाहेंगे निर्णय देंगे । अब घूम फिर कर सर्वाधिकार सुरक्षित है माननीय कुलपति जी के हाथ में, जो राज्यपाल हैं ।

श्री हरगोविन्द सिंह—संशोधन क्या है ?

श्री राजनारायण—संशोधन यह है कि "यदि वह उनसे असहमत नहीं है" यह निकाल दिया जाय । जो मेजारिटी ओपीनियन हो उसको कार्यकारिणी परिषद् माने । यदि यह निकाल दिया जाता है तो जो उपकुलपति को ले कर दो और सदस्य किसी अध्यापक के खिलाफ जांच करेंगे तो जो मेजारिटी ओपीनियन आयगी कार्यकारिणी समिति उसी के मुताबिक कार्य करेगी ।

श्री हरगोविन्द सिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर । यह जो आपत्ति उठाई गई है इस कारण निराधार हो जाती है और कानून के खिलाफ हो जाती है कि अगर यह पास होगा "अगर वह उनसे असहमत नहीं है" यह निकाल दिया जाय और आखिर वाला ज्यों का त्यों रहे "असहमति रहने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी संस्तुतिओं के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी" इसको निकालने का कोई अमेंडमेंट नहीं है । आखिरी को ही निकालने का अमेंडमेंट है । वह निकल गया और बकिया ज्यों का त्यों पड़ा रहे तो पूरा खंड ही बेमानी हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैंने पढ़ लिया । लेकिन सवाल यह है कि वह यह समझते हैं कि वाक्य "यदि वह उनसे असहमत नहीं है" रिडन्डेंट है ।

श्री हरगोविन्द सिंह—लेकिन यही मैंने कहा कि यह संशोधन ही कानून की दृष्टि से गलत हो जाता है, क्योंकि अगर यह पास हो जाता है. . .

श्री अध्यक्ष—ड्राफ्टिंग जो है उसे ग़लत या डिफ़ेक्टिव रूप में रखने का उन्हें पूरा अख्तियार है । मैं क्या कहूं । यह अवैध नहीं हो सकता । यह थोड़ा सा डिफ़ेक्टिव हो सकता है । लेकिन सुधारने का भी उनको अख्तियार है, ग़लत बनाने का भी, फिर सदन को अधिकार है कि उसे सदन स्वीकार न करे ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, मैं उनसे कह रहा हूं कि यदि उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी है जो कि उन्होंने वैधानिक आपत्ति उठा कर के कही उसे तो आसानी से रिमूव कर दे रहे हैं । और श्रीमन्, उन्होंने जरा ग़ौर नहीं किया वह भी सरसरी नजर से पढ़ने के आदी हैं । जरा ध्यान से देखते इसी अमेंडमेंट में दूसरा अमेंडमेंट है रामनारायण जी का । और उसमें वही लिखा हुआ है जो माननीय शिक्षा मंत्री जी चाह रहे हैं । और अगर हमें इजाजत दें तो दोनों साथ प्रस्तुत कर दूं तो उनका भ्रम भी दूर हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं एक साथ ही प्रस्तुत कर दें ।

श्री राजनारायण—तो अब माननीय शिक्षा मंत्री का यह भ्रम भी दूर हो जाना चाहिये, क्योंकि जो वह वैधानिक आपत्ति द्वारा चाहते थे वही है । क्योंकि उसमें उन्होंने १३—ख में साफ़ लिख दिया कि "असहमत होने" तथा उसके बाद का वक्यांश निकाल दिया जाय । यह दोनों उन्होंने निकाल दिये । तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं आप के द्वारा कि अब तो हमारा बोझ हल्का हो गया, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस आपत्ति को चाहते थे . . . .

डाक्टर सीताराम—१३—ख है कि ग ।

श्री राजनारायण—रामनारायण जी का "१३—क और ख" है। "ग" तो नारायण-दत्त जी का है।

तो मैं यह कह रहा हूं जैसा अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी दोनों को साथ ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—इसमें आप यह कर देंगे कि "आज्ञा देगी"। ये शब्द कायम रहेंगे।

श्री राजनारायण—हां, वह रहेगा। "यदि वह उनसे असहमत नहीं है" यह शब्द तथा "असहमत होने" से लेकर बाक़ी सब निकल जायगा। "आज्ञा देगी" यह रह जायगा। हमारा संशोधन ठीक है। अब हम यह कह रहे हैं कि एक कमेटी सरकार जो नीति रीति से स्थापित करेगी उसके द्वारा नियुक्त होगी। उसमें माननीय उपकुलपति रहेंगे। जिस माननीय उपकुलपति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये और परिपूर्णानन्द जी ने, जब आप यहां नहीं थे, तो उपकुलपति को कितने व्यापक अधिकार होने चाहिये उसके बारे में उन्होंने बड़े तर्क दिये थे। मगर जो तर्क उन्होंने दिये हैं, अब मैं इन दोनों व्यक्तियों को, शिक्षा मंत्री और माननीय परिपूर्णानन्द को, अपने समर्थन में खड़ा करना चाहता हूं। यह सही है, मैं इसको मानता हूं कि अभी तक किसी विदेशी मुल्क में जाने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह भी सही है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी हमसे ज्यादा पढ़ते लिखते होंगे। मगर यह सही है कि यदि मान लिया जाय कि जो यह कहें कि मैं जनतंत्र पर चलता हूं वह चलें भी तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बिल्कुल ठीक कहा था और जब उन्होंने हवाला दिया था विदेशी मुल्कों का, कम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ को छोड़ दें, वहां के विश्वविद्यालय वह स्वतः अपने आप सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बने हैं तो वह हमारे तर्क के समर्थन में आ जा रहे हैं क्योंकि हम तो यही चाहते हैं न, कि सरकारी हस्तक्षेप न हो और बराबर इसमें जो संशोधन बार बार आ रहे हैं वह इसलिये संशोधन आ रहे हैं कि सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है ज्यादातर राज्यपाल के द्वारा, इसलिये हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बात हो। तो इंग्लैंड के अन्दर जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं वहां के जो विश्वविद्यालय सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं, वहां के उपकुलपति के पावर को यहां के उपकुलपति के पावर के समकक्ष लाना जहां पर कि सरकारी हस्तक्षेप बराबर है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उसी तरह से तर्क नहीं करना चाहिये। मगर यह सही है, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये शायद हमारा यह संशोधन उचित न लगे जो कि बराबर स्वतंत्रता का नाम लेते रहे हैं और स्वतंत्रता के संग्राम से भागते रहे हैं, जो कि बराबर जनतंत्र का नाम तो लेते रहे हैं, गरीब राज्य बनाने की बात तो करते रहे हैं मगर बराबर गरीबों के शोषकों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करते रहे हैं ऐसे लोग हमारे संशोधन को समझ सकने में असमर्थ रहेंगे। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के तर्क दे कर अभी कुछ बात कहने की कोशिश की गयी थी, तो केवल माननीय सदस्य को करेक्ट करने के लिये ही कि उनके तदनुरूप ही उत्तर दिया जा सकता है मैंने इतना कह दिया अगर आगे फिर आयेंगे तो फिर बाद में उत्तर दिया जायगा।

मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि मैं यह नहीं चाहता कि जो यह तीन आदमियों की कमेटी बनी है जिसमें उपकुलपति और दो और सम्मानित सदस्य हैं तो यह सभी जो सम्मानित सदस्य होंगे सरकार के द्वारा बनाये गए नियमों के मुताबिक वह जो निष्कर्ष निकालें या जिस राय पर आयें उस राय को कार्यकारिणी समिति पुनः बदल दे और जब कार्यकारिणी समिति बदले तो केवल कुलपति के हाथ में उसका भाग्य लटक जाय, क्योंकि जहां पर कार्यकारिणी परिषद् में और उन तीन सदस्यों की बनी हुई जो कमेटी है उनकी राय में मतभेद होगा तहां मामला चला जायगा कुलपति के हाथ में और कुलपति राज्यपाल होंगे जो कि सरकार की.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आगे जरा संभल कर चलियेगा कांस्टीट्यूशनल अड़चन इस जिक्र में पड़ेगी।

श्री राजनारायण—जी हां।

जो कि सरकार की राय से काम होगा, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की शक्ति शब्दों के गोलमोल से या वाग्यजाल बिछाकर के किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि तीन व्यक्ति जो पूर्णरूप से अच्छी तरह से काफी समय ले करके किसी दोषारोपण की जांच करेंगे, उसके मूल में जायेंगे, उसकी तह में जायेंगे, उन तीन व्यक्तियों की राय मान्य हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह असहमति निकाल दिया जाय और उसके बाद का जो वाक्यांश निकालने का संशोधन हमने प्रस्तुत किया है वह भी निकाल दिया जाय। इसमें किसी बड़े विशेष तर्क की जरूरत नहीं है। इसमें सम्मतियां दो हो सकती हैं, जेनुइन तरीके से दो सम्मतियां हो सकती हैं। हमने अपनी सम्मति रख दी और जिस तरह से हम अपनी शिक्षा प्रणाली चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम अध्यापकों के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं, जिस तरह से हम उनके भाग्य को किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में लटकाना नहीं चाहते, उसी तरह से, उसी के तदनुरूप मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है और आप के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा उन्होंने हमारे संशोधन के भाव को समझ लिया है, अब वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यदि मैंने संशोधन का ठीक अर्थ समझा तो उसका अर्थ यह होगा कि जो कमेटी तीन आदमियों की होगी उसी का निर्णय अगर संशोधन मान लिया जाय तो अन्तिम होगा। कार्यकारिणी को उसके बाद उस निर्णय में अपनी कोई राय दे करके उसमें परिवर्तन करने की पावर्स न रहेगी। शक्ति न रहेगी। शायद यह है उसका मतलब। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के लिए यह ठीक नहीं है कि यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही की जाय और यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी जो उसकी सुप्रीम बाडी होती है वह उससे वंचित रखी जाय। यह यूनिवर्सिटी के हित में नहीं होगा। उसमें कार्यकारिणी का स्तर नीचे होगा गोया इस मामले में वह तीन व्यक्तियों की कमेटी ही सब से ऊपर होगी। कार्यकारिणी उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह कार्यकारिणी के लिये, मैं समझता हूं, श्रेयस्कर नहीं होगा।

श्री राजनारायण—कार्यकारिणी से दो सदस्यों को चुनवा दीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—जाने दीजिये, आप बोल चुके अब मुझे भी मौक़ा दीजिये।

दूसरी बात यह है कि अगर तीन आदमियों की कमेटी पर यह अंकुश नहीं रहेगा कि उनका जो निर्णय होगा वह कार्यकारिणी के सम्मुख भी प्रस्तुत होगा, उस पर वह राय देगी तो इस बात की आशंका अधिक हो जाती है कि वह तीन आदमियों की कमेटी कुछ ग़लत राय भी दे, क्योंकि वह यह समझेगी कि अब मेरे ऊपर कोई नहीं, अधिकार मुझी को, हम तीन आदमियों को है, जो भी चाहें हम तीन आदमी कर दें। अब न मेरे ऊपर कोई कार्यकारिणी है न हमारे ऊपर कुलपति हैं, कोई नहीं। यदि यह मान लिया जाय तो न सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, न हाई-कोर्ट की, न डिस्ट्रिक्ट जजेज की। तो मैं समझता हूं जिन लोगों के मामलेजात इन कमेटियों के सन्मुख प्रस्तुत हो सकते हैं उनकी रक्षा के लिये तो इस बिल में इस प्रकार प्रबन्ध किया गया है कि उनको भी तीन मौके मिलें। एक तो कमेटी के सन्मुख, एक कार्यकारिणी के सन्मुख और एक कुलपति के सन्मुख। लेकिन प्रजातंत्र की नयी परिभाषा जो राजनारायण जी कर रहे हैं उनके कहने के मुताबिक तो एक मौका केवल उस कमेटी के सन्मुख कहने का हो, उस के बाद कार्य-कारिणी और कुलपति के सामने न हो, यह जो नयी परिभाषा प्रजातंत्र और फ्रीडम और डेमा-क्रैसी की है उस से मैं असहमत हूं और इसलिये इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने तो इसमें अपना तर्क दे दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ही तर्क दिया कि कार्यकारिणी परिषद् निरर्थक हो जायगी तो मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं। तीन आदमियों की कमेटी होगी, एक कुलपति होंगे। तो अगर कार्यकारिणी को वह सुप्रीम बनाना चाहते हैं, उसके अधिकार ज्यादा चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता

[श्री राजनारायण]

कि उसके अधिकार को सीमित किया जाय, तो दो सदस्यों का चुनाव उसके द्वारा करा दिया जाय क्योंकि नियम बनाने का अधिकार सरकार ने ले लिया है। (ख) में "ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे, उसकी जांच करेगा"। तो वह जो नियत रीति सरकार बनायेगी उस में सरकार यह कर दे कि जो तीन आदमियों की कमेटी बनेगी वह तीन आदमियों की कमेटी में दो आदमी का जो चुनाव होने वाला है उसको कार्यकारिणी करेगी, तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपनी शंका प्रस्तुत की वह दूर हो जायगी और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसमें कार्यकारिणी की महत्ता सुप्रीम हो जायगी और फिर कार्यकारिणी के हाथ से निकल कर कुलपति के हाथ में जाने की बात नहीं रह जायगी। तब जाकर सही माने में काम होगा। क्योंकि एक तरफ तो कार्यकारिणी की दुहाई दी जा रही है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अवश्य ही वह कमी जो वह कह रहे हैं उस को दूर करें, सही माने में कार्यकारिणी को सत्ता दें। वह तभी रहेगी जब कि कार्यकारिणी अपनी प्रतिनिधि द्वारा कोई फ़ैसला करा सकेगी। मगर यहां पर तो कार्यकारिणी की सत्ता सुप्रीम नहीं रहती। कार्यकारिणी परिषद् अगर उस समिति की राय से सहमत नहीं होती तब वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कुलपति के पास और कुलपति पता नहीं उस की बात माने या न माने, उसकी राय को ठुकरा दे। तो इस सही व्यवस्था को जिसे वह देना चाहते हैं अपने विधेयक के द्वारा ही हटा रहे हैं। इसलिये मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं और चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे इस तर्क को सुनने के बाद इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपनी पुरानी आदत को छोड़ देंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, अब कुछ कहना नहीं था। एक नया तर्क श्री राजनारायण जी ने रखा है उसके लिये मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अख्तियार दे दिया जाय कि हाई कोर्ट के जजेज को अप्वाइंट कर दें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की आवश्यकता ही नहीं है। कार्यकारिणी जो यह एक छोटी सी समिति बनेगी, इसमें अपने दो आदमी नियुक्त कर दे तो फिर यह बेकार है। उसको शक्ति नहीं होनी चाहिये यह आप का तर्क है, मैं इसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं दोनों संशोधनों को संयुक्त करके उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (६) की पंक्ति ८ से निम्न लिखित वाक्यांश "यदि वह उनसे असहमत नहीं हैं" और "असहमत होने" तथा उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं यह पेश कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने उपखंड (५) के ऊपर तो राय ले ली है, लेकिन उपखंड (६) पर राय नहीं ली है, इसलिये उस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (६) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३–१७

कोषाध्यक्ष

१३—(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :—

(क) कार्यकारिणी परिषद् यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपर्युक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी ।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी, परिषद् में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो तो सभा इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी; किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा चुनेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो । अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों ।

(२) कोषाध्यष पांच वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपने पद का कार्य भार न संभाल लें । यदि कोषाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पद-त्याग करना चाहे तो वह उस दिनांक से जिस पर वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले कुलपति के पास अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(३) कोषाध्यक्ष की पदावधि की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा नियत की जायंगी, जिनमें उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

(४) यदि कोषाध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय या यदि किसी अप्रत्याशित (unforeseen) कारण से उक्त पद स्थायी रूप से रिक्त ो जाय तो प्रस्तोता उक्त पद के सांप्रतिक (current) कर्त्तव्यों का संपादन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि कोई नियुक्ति न हो जाय । यदि रिक्ति छः मास से कम की हो या उसके छः मास से कम की होने की संभावना हो, तो कार्यकारिणी परिषद् कुलपति द्वारा पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए, स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकेगी । यदि रिक्ति स्थायी हो या उसके छः मास से अधिक की अवधि के लिये होने की संभावना हो, तो नियुक्ति उपधारा (१) में उल्लिखित रीति से की जायगी ।

(५) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा लगायी हुई धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह आय-व्ययक तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(१) यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय द्वारा (धन लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में) कोई ऐसा व्यय न किया जायेगा जो आय-व्ययक में अधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने दे जिससे किसी परिनियम या अध्यादेश के निबन्धनों (terms) का उल्लंघन होता हो या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो किन्तु की न गई हो।

प्रस्तोता

१४—(१) प्रस्तोता विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और परिनियमों में उल्लिखित रीति से संघटित निर्धारण समिति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) प्रस्तोता की उपलब्धियां (emoluments) अध्यादेशों द्वारा नियत की जायंगी।

(३) प्रस्तोता विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह शिष्ट परिषद्, कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत परिषद्, निर्धारण समिति तथा अर्थ समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् अथवा उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रस्तोता को विश्वविद्यालय में या अन्यत्र किये गये किसी कार्य के लिये ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

ग्रन्थाध्यक्ष

१५—ग्रन्थाध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(१) संस्कृत तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की ग्रन्थ सूची (bibliography) रखे; तथा

(२) प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों (ancient manuscripts) की सुरक्षा और रख-रखाव को सुनिश्चित करे तथा अनुसंधान (research) और अनुक्रमणिकाओं (catalogues) के प्रकाशन में सहायता दे तथा प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्वेषण के निमित्त प्रयत्न करे।

पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

१६—विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, उस दशा के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गई हो, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।

१७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :

(१) शिष्ट परिषद् (Senate);
(२) कार्यकारिणी परिषद् (Executive Council);
(३) विद्वत परिषद् (Academic Council);
(४) अर्थ समिति (Finance Committee);
(५) निर्धारण समिति (Selection Committee);
(६) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३, १४, १५, १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

शिष्ट परिषद्

१८—(१) शिष्ट परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

प्रथम श्रेणी—पदेन सदस्य (*ex officio* members.)

(१) कुलपति।
(१—क) प्रतिकुलपति।
(२) उप-कुलपति।
(३) कोषाध्यक्ष।
(४) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री।
(५) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश।
(६) उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक।
(७) प्रस्तोता।
(८) ग्रन्थाध्यक्ष।
(९) कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के सदस्य जो अन्यथा शिष्ट परिषद् के सदस्य न हों।
(१०) विश्वविद्यालय में शिक्षण -विभागों (Departments of Teaching) के समस्त अध्यक्ष (heads)।
(११) गुरुकुल कांगड़ी तथा उत्तर-प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण विभागों के अध्यक्ष।
(१२) ऐसे अन्य, जो किन्हीं ऐसे पदों पर हों जो नियत किये जायं :

द्वितीय श्रेणी—आजीवन सदस्य (life members)

(१३) ऐसे व्यक्ति, जिनकी संख्या किसी भी समय पांच से अधिक न होगी, जिन्हें संस्कृत के विद्वान होने के नाते अथवा संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के कारण, कुलपति, शिष्ट परिषद् की संस्तुति से नियुक्त करे।

(१४) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजनों के लिये २५,००० रुपये से अन्यून मूल्य के दान (donations) दिये हों ।

तृतीय श्रेणी---अन्य सदस्य

(१५) राज्य विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ।

(१६) राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य ।

(१७) पंजीकृत स्नातकों (Registered Graduates) के ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास आचार्य से कम की उपाधि न हो ।

(१८) ऐसी संस्थाओं (associations), व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के ऐसे संघटनों द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि, जो नियत की जाय, दान (donations) अथवा वार्षिक चन्दों (annual subscriptions) के रूप में देते हों ।

(१९) उपर्युक्त संख्या (१४) तथा (१८) में निर्दिष्ट दानदाताओं (donors) से भिन्न दान दाताओं (donors) के प्रतिनिधि ।

(२०) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी के सदस्यों में सम्मिलित अध्यापकों से भिन्न) तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कार्य-संचालकों (functionaries) के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं ।

(२१) संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखने वाली ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो नियत की जायं ।

(२२) कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सात से अनधिक सदस्य, जिनमें से चार सम्बद्ध महाविद्यालयों (affiliated colleges) के अध्यापक अथवा उनके प्रबन्धकों के सदस्य (members of the managements) होंगे ।

(३) उपधारा (१) की मद (१७) से लेकर (२१) तक में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन तथा नाम निर्देशन की रीति और उनका कार्यकाल, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित रीति को छोड़ कर वही होगा, जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय ।

(४) शिष्ट परिषद् पदेन अथवा आजीवन सदस्यों से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है जो बिना पर्याप्त कारण के लगातार उसके तीन अधिवेशनों (meetings) में अनुपस्थित रहा हो ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन जिसमें वह चाहते हैं कि खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (४) निकाल दिया जाय, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप उपखण्ड (१) के भाग (४) और (५) दोनों को एक साथ ले लीजिये ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि पहिले उपखंड (१) के भाग (४) ले लेने दें, बाद को शायद (५) को मैं पेश करने की जरूरत न समझूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि समय बचाने के लिये दोनों साथ-साथ ले लें ।

नोट---उपखंड (२) संयुक्त प्रवर समिति ने निकाल दिया ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दोनों को अलग-अलग ही ले लेने दें, क्योंकि खास-खास कारण हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें समय बच जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (४) निकाल दिया जाय। खंड १८ के उपखंड (१) का भाग (५) निकाल दिया जाय, इसको भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाय तो यह बिल खत्म हो जायगा।

श्री राजनारायण--आज तो बड़ा काम है फिर किस दिन देख लेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमन्, यदि आज यह खत्म हो जाय तो यह सोमवार को चला जायगा और कल शुक्रवार है और असरकारी दिन है।

श्री अध्यक्ष--आप ने कुछ खंड स्थगित भी तो किये हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--वह एक खंड स्थगित है। श्रीमन् की रूलिंग उस पर हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--यदि आप कोई प्रस्ताव लायें तो मैं उस पर राय ले लूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव न लायें तो अच्छा है। काफी जल्दी की जा रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह--प्रस्ताव सिर्फ इस वजह से ले आना चाहता हूं कि सोमावर को चला जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--सोमावर को चला जायगा तो क्या दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सोमवार को वैसे भी जायगा अगर बहस ज्यादा छिड़ गयी। वे जल्दी करना चाहते हैं यह उनसे कबूल करवा लीजिये तब तो सोमवार को खत्म हो जायगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--यह कह दें कि इस बिल के समाप्त होने तक बैठे रहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बिगड़ जायगा अगर सोमवार को कर लिया जाय। अगर पहले जिक्र कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आज तो ठीक ५ बजे के बाद हमारा प्रोग्राम बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष--(शिक्षा मंत्री से) खैर, आज तो इनका कहना मान लीजिये। लेकिन (श्री राजनारायण से) आप बहुत लम्बी बहस न कीजिये।

श्री राजनारायण--जी बिल्कुल नहीं। मैं इतना ही चाहता हूं कि १८ के (१) का भाग चौथा निकाल दिया जाय।

चौथे के लिये तो मैंने इतना ही कह दिया कि शिक्षा मंत्री जो एक पदेन हो रहे हैं मैं चाहता हूं कि वे पदेन सदस्य न हों। इस पर और ज्यादा भाषण करना नहीं चाहता, क्योंकि यह उनसे स्वतः संबंधित है और मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी या माननीय परिपूर्णानन्द जी पर्सनल बातों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि सदन में जब मैं कोई सिद्धान्त रखता हूं तो वे उसको पर्सनल रूप में ले लेते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं पांचवां भी चाहता हूं कि शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश भी यदि पदेन सदस्य न रहें तो अच्छा ही है।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, यदि राजनारायणजी यह वादा हमारे लिये कर दें कि शिक्षा मंत्री का पद मेरे लिये सदैव ही सुरक्षित रहेगा तब तो मैं इसको मान लेता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सम्भव है कि वे इस भवन के मेम्बर न रहें और मैं शिक्षा मंत्री न रहूं। इसलिये हमेशा के लिये शिक्षा मंत्री को रोक दिया जाय कि वह संस्कृत विश्वविद्यालय की एक बाडी का मेम्बर न हो यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर वे नहीं चाहते हैं तो मैं इसको वापस ही ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

*श्री रामेश्वरलाल---मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (१३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति जाति-पांति में विश्वास न रखने वाली संस्था या विचार के हों।"

श्रीमन्, मैंने यह जो अपना संशोधन रखा है इसके पीछे हमारी शंका है जिसके बहुत ही दृढ़ कारण भी हैं और विश्वास भी हमारा है कि संस्कृत शिक्षा में एकाधिकार है और उन एकाधिकारियों ने संस्कृत साहित्य में बहुत सी ऐसी बातें भर दी हैं जिनके अनुसार पिछड़ी हुई जातियां या अस्पृश्य कहलाने वाली जातियां, हरिजन कहलाने वाली जातियां जो हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है और उनके साथ दुर्व्यवहार अब तक होता चला आया है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि हमारा यह संशोधन मान लिया जाय कि जो ५ व्यक्ति नियुक्त हों वह हरिजन न हों तो कम से कम ऐसे अवश्य हों, जिन्हें जाति-पांति में किसी तरह का विश्वास न हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जब मैंने यह संशोधन रखा था कि हरिजनों की विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था संस्कृत विश्वविद्यालय में हो तो हमें संकुचित दृष्टिकोण का, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का समझकर स्वीकार नहीं किया था। किन्तु यहां कम से कम हमारे संशोधन को वे मानने की कृपा करें, क्योंकि अब वह संकुचित नहीं है बल्कि संविधान के अनुसार वैधानिक मान्यताओं के अनुसार है।

श्रीमन्, मैंने आज ही सुबह बनारस के एक प्रसिद्ध विद्वान श्री गोपाल जी शास्त्री का एक लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि यदि हरिजनों का उत्थान चाहते हो तो उन्हें संस्कृत की शिक्षा दो। वह लेख मेरे पास इस समय भी है, लेकिन मैं उसमें से उद्धृत नहीं करना चाहता लेकिन उसी में डाक्टर सीताराम जी का भी लेख है और भी नाना प्रकार के लेख हैं उनका ध्यान उस लेख की ओर आकर्षित करते हुये आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि गोपाल जी शास्त्री ने यह साबित करने की चेष्टा की है जो सही है और उन्होंने उसके लिये प्रमाण दिये हैं कि दक्षिण में बाहर से आई हुई कुछ जातियों को जिनका छुआ हुआ अन्न नहीं ग्रहण करते थे, संस्कृत में पारंगतता प्राप्त करने के बाद एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उसी लेख में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बाहर से आयी हुई जातियों की आज भी ऐसी अवस्था है कि जिनका छुआ हुआ पानी लोग नहीं ग्रहण करते थे, लेकिन संस्कृत में पारंगतता प्राप्त करने के बाद आज समाज में उनका विशिष्ट स्थान है। इस बात को देखते हुये यह बात बिलकुल सत्य है कि यदि हरिजन समाज को उठाना है तो उनकी शिक्षा-दीक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन जो आज प्रचलित है वहां यदि वह पढ़कर निकलता है तो उसकी उतनी कद्र नहीं होगी जितनी कि संस्कृत शिक्षा में पारंगतता प्राप्त करने के बाद यदि वह बाहर निकलता है तो होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस संशोधन में एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण है और वह व्यापकता माननीय मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप भी है और वह व्यापकता यही है कि जो समिति बनेगी उसमें कुछ गवर्नर के नामजद व्यक्ति होंगे, कुछ अध्यापकों के प्रतिनिधि होंगे और नाना प्रकार के कुछ पंडितों के होंगे; तो मैं यह चाहता हूं कि जो पांच व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे वे ऐसे हों जिनमें जाति-पांति का भेदभाव न हो। आज मैं दृढ़ हूं इस पर कि आज संस्कृत के विद्यालयों में चाहे वह बनारस में हों या प्रान्त के किसी भी कोने में क्यों न हों, उन सबमें उनके जो अधिकारी हैं उनमें इसका भेदभाव है और वह दूसरी जाति के लोगों को, जिनका छुआ हुआ वह भोजन नहीं करते, उनको अपने साथ बैठाकर पढ़ाने में असमर्थता प्रकट करते हैं धर्म के दृष्टिकोण से, रूढ़िवादिता के दृष्टिकोण से या अपने बनाये हुए ग्रन्थों के अनुसार और वह चाहते हैं कि अपने पाठशालाओं में उनको स्थान न दें, उनको शिक्षा न दें। श्रीमन्, मैंने कल भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहा था और आज भी चाहता हूं कि वह हमारी जानकारी के लिये बतायें कि .....

श्री अध्यक्ष—आप और बोलेंगे क्या ?

श्री रामेश्वर लाल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे। आप अपना भाषण कल पूरा करियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ जुलाई, १९५६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर)

टिकरी फारेस्ट में एक ठेकेदार की हत्या से सम्बन्धित विवरण

२६ मई सन् १९५६ को सरदार मलिक सिंह ने थाना अयोध्या, जिला फैजाबाद में यह रिपोर्ट की कि २५ मई सन् १९५६ की शाम को वह लेघना फार्म पर गये थे। वह अपने पिता श्री ईश्वर सिंह जो टिकरी जंगल थाना वजीरगंज जिला गोंडा में लकड़ी के ठेकेदार थे तथा एक नौकर को अपनी लकड़ी के डिपो पर छोड़ गये थे। जब रात को ९-३० बजे वह वापस आये तो देखा कि उनके पिता बंदूक के घाव से जख्मी पड़े थे। बताया जाता है कि राम बरन, ग्राम नेदुला, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती दो अन्य व्यक्तियों के साथ बंदूक लिये हुये उनके पास आया और रुपया मांगा। रुपया न देने पर बंदूक चला कर उन्हें जख्मी कर दिया। सरदार ईश्वर सिंह को फैजाबाद अस्पताल में दाखिल किया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक अभियुक्त गिरफतार नहीं हो पाये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७६ पर ।)

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

कुछ अपराधों के प्रशमन (composition) की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

यह इष्टकर है कि पुलिस ऐक्ट, १८६१, कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१, हैकनी कैरिजेज ऐक्ट, १८७९ और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन कुछ अपराधों के प्रशमन के निमित्त व्यवस्था की जाय तथा इन ऐक्टों को इनके उत्तर प्रदेश में लागू होने (application) के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त लागू हो जायगा।

२—पुलिस ऐक्ट, १८६१ की धारा ३४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्— — ऐक्ट ५, १८६१ में नयी धारा ३४—ए का बढ़ाया जाना।

"34-A. The offences punishable under sections 32 and 34 may be compounded by the District Superintendent of Police." — Compounding of offences under sections 32 and 34.

३—कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ की धारा २४ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्— — ऐक्ट १, १८७१ में नयी धारा २४—ए का बढ़ाया जाना।

"24-A. The offences punishable under section 24 may, with the permission of the court before which any prosecution for such offence is pending be compounded— — Compounding of offences under section 24.

(*a*) where the cattle is rescued after seizure from a pound, by the local authority owning or maintaining the pond, or, if such local authority has nominated any person in that behalf, by such person; and

(*b*) in other cases, by the person who was opposed in seizing the cattle or, as the case may be, from whom the cattle was rescued."

ऐक्ट १४, १८७९ ई० में नयी धारा ७–ए का बढ़ाया जाना।

४—हैकनी कैरिजेज ऐक्ट, १८७९ ई० की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ७–ए रख दी जाय, अर्थात्—

Compounding of offences under section 7.

"7-A. (1) The offences punishable under section 7 of the Hackney Carriages Act, 1879, may be compounded by the Executive Officer or, where there is no Executive Officer, by the Secretary of the Municipal Board.

(2) The expressions "Executive Officer" and "Secretary" in sub-seetion (1) mean the Executive Officer and Secretary of the Municipal Board concerned."

ऐक्ट ४, १९३९ ई० में नयी धारा ११४–ए का बढ़ाया जाना।

५—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा ११४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

Compounding of offences under sections 112, 113 and 114.

"114-A. (1) The offences punishable under sections 112 and 113 may be compounded by the Regional Transport Officer, or, where he is so authorized by the Regional Transport Officer, by the Assistant Regional Transport Officer.

(2) The offences under section 114 may be compounded by the Transport Commissioner or, where he is so authorized by the Transport Commissioner, by the Deputy Transport Commissioner (Administration).

(3) The expressions "Transport Commissioner", "Deputy Transport Commissioner (Administration)", "Regional Transprt Officer" and "Assistant Regional Transport Officer" mean the officers appointed as such by the State Government."

ऐक्ट ५, १८९८ ई० की धारा ३४५ की कुछ उपधाराओं का लागू होना।

६—(१) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३४५ की उपधारा (३), (५), (५–ए) तथा (६) के उपबन्ध परन्तु उपधारा (७) के नहीं, धाराएं ३४–ए, २४–ए, ७–ए तथा ११४–ए, जो उक्त ऐक्टों में इस अधिनियम की धारा २ से ५ तक के द्वारा क्रमशः जोड़ी गयी है, के अधीन प्रशमनीय अपराधों (Compoundable Offences) पर लागू होंगे।

(२) कोड की उक्त धारा ३४५ की उपधारा (४) के उपबन्ध भी पूर्वोक्त धारा २४–ए के खंड (बी) के अधीन प्रशमनीय अपराधों पर प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य और कारण

कतिपय अधिनियमों में कुछ ऐसे छोटे-मोटे अपराध हैं, जिनके निस्तारणार्थ परीक्षण (trial) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक (alternative) पद्धति नहीं है। यह इष्टकर है कि इन अधिनियमों के छोटे-मोटे अपराधों के प्रशमन (composition) के निमित्त एक प्रक्रिया नियत की जाय। अतएव इस विधेयक द्वारा हैकनी कैरिजेज ऐक्ट, १८७९ की धारा ७, कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ की धारा २४, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ११२,११३ तथा ११४ तथा पुलिस ऐक्ट, १८६१ की धारा ३२ तथा ३४ के अधीन अपराधों के प्रशमन की व्यवस्था की गयी है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एल० यू० पी०—ए० पो०—१२४ एल० ए०—१९५६-७९६।